खण्ड-244, अंक-3
शुक्रवार, 29 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(20 दिसम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 244 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	३०३–३०७
प्रश्नोत्तर	३०७–३५९
फारूक गोलीकांड के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	३५९–३६०
स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में जानकारी	३६०
उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया) ..	३६०
बहीखाते पर हस्ताक्षर न करने के संबंध में श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी गयी)	३६०–३७६
नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं	३७६–३७७
श्री बी० पी० मौर्य, सदस्य, लोक सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३७७–३८१
कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत सम्मिलित गांवों की अर्जित कृषि-भूमि को अधिक मूल्य पर बेचने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	३८२–३९१
मथुरा जिले के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों की यूनियन के अध्यक्ष और उनकी पत्नी को जेल भेजने आदि के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	३९१–३९३
२७ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न १० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३९३–३९४
१४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न २३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३९४
१९६३–६४ के लिये गुड़ तथा खांडसारी यनिट लाइसेंसिंग नीति नवीनीकरण सम्बन्धी रियायतें	३९४–३९७
प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करने का संकल्प (जारी)	३९७–४२१
नत्थियां	४२२–४४६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २० दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३७७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इ द ाल श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेलचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुरनारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्र ाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बनरव ल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल ऋहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्ष ालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
घुवीर, श्री
रघुवी सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर,
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्री निवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सिय राम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास. श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २० दिसम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बस्ती में मेहतरों की हड़ताल

**१—सर्वश्री श्यामलाल (जिला बस्ती), श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़) तथा श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती में बस्ती नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण वहां के बाल्मीकि (मेहतरों) ने आम हड़ताल कर रखी है जिसके कारण बस्ती में और उसके पास हैजा फैल गया व नगर में हर तरफ गन्दगी के ढेर लगे हैं, जिसके कारण नागरिक जीवन खतरे में है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी नहीं, मेहतर कर्मचारियों ने अध्यक्ष द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना के कारण नहीं, बल्कि अपनी कुछ मांगों के अध्यक्षद्वारा न माने जाने पर दिनांक २० सितम्बर, १९६३ से हड़ताल शुरू की। हड़ताल के कारण शहर की सफाई की दशा में कोई खराबी नहीं पैदा हुई ।

**२—श्री श्यामलाल, श्री झारखण्डे राय तथा श्री रणबहादुरसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हड़ताल के कारण कितने मेहतरों को अध्यक्ष, नगरपालिका द्वारा मुअत्तल किया गया और कितनों को नौकरी से पृथक् किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि बस्ती की दशा हड़ताल के कारण बहुत खराब हो चुकी है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

हड़ताली मेहतर कर्मचारियों में से ७६ मेहतरों को उनके खिलाफ अनुशासनीय कार्यवाही करने के पश्चात् नौकरी से पृथक् कर दिया तथा अन्य मेहतरों को जो कि दिनांक २० सितम्बर, १९६३ से जान बूझ कर कार्य से अनुपस्थित थे, अनुलम्बित कर दिया ।

यह सत्य नहीं है कि बस्ती की दशा हड़ताल के कारण बहुत खराब हो चुकी है । अतएव इस संबंध में सरकार द्वारा कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री श्यामलाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि नगरपालिका, बस्ती के मेहतरों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं और नगरपालिका अध्यक्ष, बस्ती ने कितनी मांगों को मान लिया है और कितनी को नहीं माना है और न मानने का कारण क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उनकी १७ मांगें थीं, जिनमें से ८ मागें तो मान ली गयीं और ९ मानने में कुछ कठिनाई उपस्थित थी, इसलिए अस्वीकार कर दीं ।

श्री श्यामलाल—

मैंने पूछा था कि जो-जो मांगें सरकार ने मान ली हैं, वे कौन-कौन सी हैं और जो नहीं मानी हैं, वे कौन सी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, जो नहीं मानी है उनका कारण पूछा है ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जो मांगें मंजूर नहीं की जा सकीं उसका कारण यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनमें बहुत सी ऐसी थीं जिनमें बहुत बड़ा खर्चा था । इसलिए फिलहाल नामंजूर कर दी गयीं, लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड इस बात के लिए तैयार है कि जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायगी तो वह उन मांगों पर विचार करेगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि म्युनिसिपल बोर्ड की माली हालत इसलिए खराब है कि बहुत सी म्युनिसिपल बोर्ड की दूकानें जो कि सरकारी अनुदान से और म्युनिसिपल बोर्ड के रुपये पर बनायी गयीं हैं वे बहुत कम रुपये पर दी गयी हैं और हजारों रुपये महीने का नुकसान हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को, जो निष्कासित कर दिये गये हैं, हड़ताल समाप्त होने पर उनको अपने स्थान पर वापस लिया गया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हड़ताल वापस नहीं हुई है। कई दफा स्ट्राइकर्स ने, जो हड़तालो मेहतर हैं, इच्छा जाहिर की कि बिला शर्त अपनी हड़ताल समाप्त करना चाहते हैं और उनकी मांगों के लिए कह दिया गया कि हड़ताल वापस होने पर फलां-फलां मांगों को मंजूर कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के कारण हड़ताल वापस नहीं हुई, वह अब भी जारी है।

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी ने बस्ती जिला परिषद् के अध्यक्ष, श्री धनुषधारी पांडेय द्वारा वहां के हड़तालो मेहतरों को यह संदेश भिजवाया था कि वे लोग शान्तिपूर्वक अपनी हड़ताल वापस ले लें और उसके बाद जिन सरकारी कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है या निलम्बित कर दिया गया है, उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और फिर क्या उनको यह भी सूचना है कि वह हड़ताल अभी समाप्त हुई है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे यह मालूम है कि कुछ मेहतरों ने धाषनुषधारी पांडेय के पास जाकर उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह कहा कि वे हड़ताल वापस लेने को तैयार हैं। किन्तु बाद को हड़ताल वापस नहीं ली गयी। उसके बाद २८ नवम्बर को हड़तालो मेहतरों के नेता मुझसे भी मिले और उन्होंने मुझसे वायदा किया कि वे उनको हड़ताल वापस लेने के लिये सलाह देंगे, किन्तु उनकी रिपोर्ट यह आयी कि हड़ताल वापस नहीं ली गयी। अगर अब माननीय सदस्य की यह जानकारी है कि हड़ताल खत्म हो गयी है, तो यह बड़ी खुशी की बात है, हम उनकी मांगों पर जो मानने योग्य हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा बतायेंगे कि कुल कितने सफाई कार्यकर्त्ता वहां पर नगरपालिका में हैं, और कितने निलम्बित किये गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१६५ कर्मचारी कुल थे जिनमें से ७६ बरखास्त किये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

निलम्बित कितने किये गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसकी सूचना इस समय नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जिन लोगों को बरखास्त और निलम्बित किया गया है, क्या उनकी जगह पर और लोगों को रख लिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बहुत से नये लोग रख लिये गये हैं। ९५ आदमी नये रखे गये हैं। उनमें से ५० स्थायी हो गये हैं, बाकी अस्थायी है। कुछ लोग रखे जरूर गये हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

मंत्री जी को क्या यह पता है कि बस्ती में ऐसे हैजे का प्रकोप हो गया है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बताया गया कि कोई असर नहीं है ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि वहां की नगर की स्थिति खराब है क्योंकि वहां पर—(१) २ लाख ३० हजार रुपया हाऊस और वाटर टैक्स का बकाया लापरवाही के कारण, (२) वहां के एक्जीक्यूटिव आफिसर को ५० रुपये मोटर भत्ता दिया जाता है जब कि उनके पास मोटर नहीं है, (३) ६,००० रुपये वहां के अध्यक्ष ने स्वयं टी० बी० अस्पताल के नाम से निकाल लिये हैं जब कि वहां का टी० बी० का अस्पताल सरकार स्वयं चलाती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह जो इतनी लम्बी सूची आपने दी है, इसी के कारण आर्थिक कठिनाई है (हंसी)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बुलन्दशहर कलेक्टरी से सेवा काल वृद्धि के लिये प्रार्थना-पत्र

*१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि G. O. no. 5527/11B—260-1962 दिनांक १९ अक्तूबर, १९६३ के अनुसार जिला बुलन्दशहर में २८ अक्तूबर, १९६३ को कलक्टरी के कितने प्रार्थना-पत्र (extention) के विषय में जिलाधीश के पास आये हैं और उन पर क्या हो रहा है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

केवल एक, और उस पर सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री हिम्मतसिंह—

जिसका प्रार्थना-पत्र आया था उसे एक्सटेंशन दे दिया गया है क्या ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

जी हां, दे दिया गया है ।

[२० दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बड़हलगंज ब्लाक निर्माण का ठेका

*१—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री विधान सभा के २ नवम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या २८ के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि कार्य से सम्बन्धित ओवरसियर कितने-कितने दिन छुट्टी पर रहा, उनके जिम्मे कौन-कौन से और काम थे, बाद ३१ जनवरी, सन् १९६२ को क्यों दिया गया था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२२ पर)

*२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या बाण्ड की प्रति ठेकेदार को कार्यालय में दी गई या डाक द्वारा भेजी गई ? यदि डाक से भेजी गई, तो क्यों ? उपरोक्त सन्दर्भ में क्या मन्त्री जी ११ जुलाई के पत्र की प्रतिलिपि देने का कष्ट करेंगे तथा यह भी बतायेंगे कि आगे किस तारीख तक समय बढ़ाने को कहा गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कार्यालय में न लेने पर डाक से भेजी गई ।

पत्र की प्रतिलिपि सदस्य महोदय की मेज पर रखी है । इसमें बाण्ड की शर्तों के अनुसार कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२३ पर)

*३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मंत्री जी २ नवम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या २९ के क्रम में बतायेंगे कि जी० पी० डब्लू० फार्म ९ ठेकेदार को दिया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं, क्योंकि बाण्ड की संक्षिप्त प्रति ही देने की प्रथा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

इसके लिये प्रथा की जगह कोई स्पैसिफिक आर्डर विभाग से क्यों नहीं गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब से निर्माण विभाग कायम हुआ है तभी से चला आ रहा है कि बान्ड का एक्सट्रैक्ट दिया जाता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रथा को समाप्त करने की कृपा करेंगे ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

यदि आवश्यक हुआ तो ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उक्त ओवरसियर के पहले वहां एक ओवरसियर साहब थे, वह कितने दिन छुट्टी पर रहे, छुट्टी के समय काम सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी किसकी थी जो कि ठेकेदार को हिदायत देता था कि बान्ड और फार्म ९ नहीं दिये जा रहे हैं और ओवरसियर को हिदायत के मुताबिक ही काम करना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह सब पुराना इतिहास इस समय मेरे पास नहीं है ।

"त्रिवेदी कमीशन"

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो "त्रिवेदी कमीशन" उत्तर प्रदेश में बलिया तथा बिहार की सरहद के बारे में निर्णय देने हेतु नियुक्त किया गया है, उसके टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह विधान सभा में प्रश्न संख्या १ के उत्तर में दिनांक ३ मार्च, १९६३ को बताये जा चुके हैं।

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कमीशन ने कोई प्रश्नावली तैयार कर खास तथा आम लोगों में वितरित की है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो ऐसा न करने का क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जहां तक सरकार को ज्ञात है आम व खास लोगों में कोई प्रश्नावली वितरित नहीं की गई है। यह निर्णय करना कि जांच किस प्रकार की जाय मध्यस्थ के अधिकार में है, राज्य सरकार के नहीं।

*६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी जमीन नदियों के कटाव या रास्ता बदलने के कारण उत्तर प्रदेश की बिहार में चली गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रश्न का उत्तर देना उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक यह न बतलाया जावे कि कितने व किस समय की सूचना प्रश्नकर्ता को चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या यू० पी० की सरकार ने त्रिवेदी कमीशन को कोई मेमोरेंडम दिया है कि यू० पी० की कितनी जमीन बिहार में चली गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एक मेमोरेंडम भेजा है जिसकी डिटेल इस समय हमें मालूम नहीं हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या इसमें यू० पी० की बिहार में गई जमीन दी हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी डिटेल बतलाना असम्भव-सा प्रतीत होता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी मेरा सुझाव त्रिवेदी कमीशन को देंगे कि वह जनता को प्रश्नावली जारी करें जिससे लोगों का पक्ष उसके सामने आ जावे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आर्बिट्रेशन का प्रोसीज्योर वही तय करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह सीमा-विवाद कब तक खत्म हो जाने की सम्भावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम समझते हैं कि इस कमीशन के मुकर्रर होने पर जल्दी ही खत्म हो जायगा।

बाराबंकी जिले में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के लिये सन् १९५६ में इस प्रकार की को राजाज्ञा प्रसारित की गई थी कि जब तक ट्रेंड टीचर मिलें, अनट्रेंड टीचरों की नियुक्ति न की जाय ? यदि अनट्रेंड टीचर रखने हैं, तो इंटरव्यू द्वारा चुनाव हो और चुने गये टीचरों की सूची की स्वीकृत जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति के पश्चात् नियुक्ति पत्र दिया जाय ? क्या सरकार उक्त राजाज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जिला परिषदों के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों के नियुक्त किये जाने के विषय पर जो राजाज्ञा सन् ५६ में निर्गत की गई थी, उसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२४ पर)

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को पता है कि बाराबंकी जिले में उक्त राजाज्ञा के विपरीत जुलाई, सन् १९६१, ६२, ६३ में किसी भी कैंडीडेट का विधिवत् चुनाव नहीं हुआ और न जिला विद्यालय निरीक्षक से नियुक्तियों पर कोई स्वीकृति ली गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शासन को सूचना मिली है कि जिला परिषद्, बाराबंकी, द्वारा जुलाई, १९६१ व १९६२ में जो अध्यापक नियुक्त हुये थे उनका विधिवत् साक्षात्कार हुआ था परन्तु नियुक्तियों के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति नहीं ली गयी थी । जुलाई, १९६३ में कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५६ में राजाज्ञा जो जिला परिषद् को भेजी गई उसका उसने किसी भी अंश में पालन क्यों नहीं किया है ? क्या मंत्री जी उसका पालन करावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो मेरी जानकारी नहीं है कि आज्ञा का किसी भी अंश में पालन नहीं किया गया । हां, उत्तर में मैंने निवेदन किया है कि सन् ६१–६२ में जो साक्षात्कार हुआ उसकी स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक से नहीं ली गई । उसका मैं पता लगाऊंगा ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

सन् ६३ में मनमाने ढंग से टीचरों की नियुक्तियां की गई, जिनमें चौथे और छठें पास भी हैं, क्या मंत्री जी इसकी छानबीन करावेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य कोई ब्योरेवार सूचना देंगे तो मैं पता लगाऊंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनट्रेन्ड टीचर्स को रखने के बारे में विज्ञप्ति में आपने कोई क्वालीफिकेशन भेजी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वैसे तो प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षक की नियुक्त की क्वालीफिकेशन आठवां दर्जा पास है। किन्तु यदि इससे अधिक क्वालीफिकेशन के लोग मिलते हों, हाई स्कूल अगर मिलते हों, तो यह चाहा जाता है कि अधिक क्वालीफिकेशन के लोग रखे जावें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार ने इस राजाज्ञा में यह भी सुझाव दिया है कि जो अनट्रेन्ड टीचर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग से मुक्त कर दिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो प्रश्न के उत्तर में दिये हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या अनट्रेन्ड टीचरों को ट्रेनिंग देने की योजना पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस विषय में विचार तो होता ही रहता है।

श्री ऊदल—

हर जिले में ट्रेन्ड अध्यापकों की कमी होने के कारण सन् ५६ से अब तक बहुत से अनट्रेन्ड अध्यापक रखे गये हैं, तो क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जिनकी सर्विस ३ साल से अधिक हो चुकी है, उनको २–३ महीने की ट्रेनिंग देकर ट्रेन्ड मान लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

अभी इसी बात को तो श्री केशरीप्रसाद जी ने पूछा था।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

सन् ६१–६२ में साक्षात्कार हुआ, ६३ में कोई नहीं हुआ और टीचर्स की नियुक्ति की गयी। इसकी स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक से क्यों नहीं ली गयी ?

श्री कैलाशप्र काश—

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इसका पता लगाया जायगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक से स्वीकृति क्यों नहीं ली गयी।

गवर्नमेंट इण्टर कालेज, मैनपुरी द्वारा सहायता की मांग

*९–श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि मैनपुरी जिले के गवर्नमन्ट इंटर कालेज के अधिकारियों ने सरकार के पास हाल ही में दरख्वास्तें तथा तार भी भेजे हैं कि सन् १९६३ ई० में जो कक्षा ११ का अतिरिक्त क्लास साइंस का खोला है, उसके लिये धन की और अध्यापकों की विशेष आवश्यकता है, जिनके अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस मामले में अब सरकार क्या कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

हाल में कोई दरख्वास्त या तार नहीं प्राप्त हुए हैं।

पूर्व मांग के आधार पर अतिरिक्त क्लास के लिए दो डिमांस्ट्रेट[illegible]ो लेक्चरर्स की मंजूरी तथा १,५०० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया है।

माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों को चिकित्सा सुविधायें

*१०–श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १ और २ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक नियम तैयार हो गये हैं? यदि हां, तो क्या उन्हें वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

*११—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वार्षिक व्यय ३,८३३ लिपिकों पर कितना पड़ेगा और इससे लिपिक कब से लाभान्वित होंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। प्रस्तुत संकटकालीन स्थिति में इस योजना को कार्यान्वित करना कठिन हो गया है। फिर भी यह विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आपके पास क्या लेखा-जोखा है कि इन लिपिकों के ऊपर वार्षिक व्यय क्या होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। पूरे रूप में अभी ज्ञात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन लिपिकों के सम्बन्ध में उनके सामने संकटकालीन स्थिति कब तक रहेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

हम तो नहीं चाहते हैं लेकिन संकट तो आ ही जाता है।

गवर्नमेंट इण्टर कालेज, मैनपुरी के लिये बिजली

*१२–श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी के गवर्नमेन्ट इंटर कालेज के प्रिंसिपल ने अभी हाल ही में कई बार सरकार को लिखा है कि होस्टल में, होस्टल अध्यक्ष के कमरों में और प्रिंसिपल, इंटर कालेज के मकान को बिजली दे दी जावे ? यदि हां, तो अभी तक बिजली न पहुंच सकने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस सम्बन्ध में प्रिंसिपल ने लिखा है।

छात्रावास में बिजली लगवाने की स्वीकृति ३१ अक्टूबर, १९६३ को दी जा चुकी है और प्रधानाचार्य तथा अधीक्षक छात्रावास के आवास-गृहों में बिजली लगवाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

एस्टिमेट तैयार करने, शासन की स्वीकृति लेने तथा पी० डब्लू० डी० द्वारा कार्य सम्पादन करने में समय लग जाता है।

श्री गणेश चन्द्र काछी—

क्या सरकार बतायेगी कि वार्ड सुपरिन्टेन्डेन्ट और प्रधानाचार्य के कमरों में बिजली देने का जो प्रश्न विचाराधीन है, वहां बिजली की रोशनी कब तक पहुंच जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभी तो वह विचाराधीन ही है ।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, फतेहपुर की छात्राओं को सुविधाएं

*१३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एजूकेशन बोर्ड की धारा १०६ के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले एक पिता के कई छात्रों एवं छात्राओं को भाई—बहनों की रियायत देने का प्राविधान होते हुये राजकीय कन्या इंटर कालेज, फतेहपुर की प्रिंसिपल द्वारा अनेक छात्राओं को इस वर्ष उनकी बहनों को फीस में रियायत देने से किस आधार पर इनकार कर दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षा संहिता के अनुच्छेद १०६ के अन्तर्गत एक ही स्कूल में पढ़ने वाले केवल उन्हीं छात्र या छात्राओं को फीस में भाई—बहन की रियायत देने का प्रविधान है जिनके पिता अथवा संरक्षकों की आर्थिक दशा अच्छी न हो । इसी आधार पर इस वर्ष भी जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे उन पर विचार किया गया तथा ५६ छात्राओं को यह सुविधा प्रदान की गई ।

*१४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कालेज ने गत वर्ष एक छात्रा को छात्र वृत्ति निःशुल्कता तथा पुस्तकीय सहायता की तीन-तीन रियायतें दी थीं और गरीब व उपयुक्त छात्राओं को इन सुविधाओं से वंचित रखा तथा इस वर्ष कक्षा १० तक रियायत पाने वाली छात्राओं व हरिजन छात्राओं तक को फीस या छात्रवृत्ति में से एक ही सुविधा देने की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो ऐसा करने का आधार क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह सही है कि गत वर्ष इस कालेज की एक छात्रा को तीन रियायतें दी गईं । इस ध्येय से कि अधिक से अधिक छात्रायें इन रियायतों का लाभ उठा सकें । इस वर्ष स्कूल कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि एक छात्रा को केवल एक ही सुविधा दी जाय । स्कूल कमेटी का यह निर्णय प्रचलित प्रथा के अनुसार नहीं है अतः स्कूल कमेटी द्वारा अब इस निर्णय को रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है ।

*१५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि उक्त कालेज की बस पूर्णरूप से नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो बस कैसे नष्ट हो गई ? क्या सरकार छात्राओं की सुविधा हेतु बस सर्विस पुनः चालू करने के बारे में उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, बस पुरानी थी और जीर्ण होने के कारण टेक्निकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर दिनांक ५ जूलाई, १९६३ को मरम्मत हेतु कानपुर भेज दी गयी है । बस के मरम्मत हो जाने पर बस सर्विस पुनः चालू हो जायगी ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इंटर कालेज, फतेहपुर की जिन ५६ कन्याओं को भाई-बहनों का कन्सेशन दिया गया तो क्या इसके अलावा और गरीब संरक्षकों की लड़कियां उस स्कूल में नहीं पढ़तीं हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इनके अलावा जो पढ़ती हैं उन को भी सुविधायें प्राप्त हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं और जब स्कूल कमेटी ने उच्च जाति और हरिजन छात्राओं को एक ही सुविधा देने का जो नियम बना रखा है, उसके विरुद्ध एक लड़की को छात्रवृत्ति, निःशुल्कता और फीस तीनों की सुविधा किस नियम के अन्तर्गत दी है ?

श्री अध्यक्ष—

लड़की का नाम बता दें।

श्री रघुवीरसहाय कैथवर—

माधुरी त्रिपाठी।

श्री कैलाशप्रकाश—

उस कमेटी के सदस्यों की सूची तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन यह सही है कि उस एक लड़की को तीनों सुविधायें दी गईं जबकि साधारणतया २ सुविधायें तक दी जा सकती हैं। किन्तु इस लड़की के सम्बन्ध में यह हुआ है कि पुस्तकक्रय का जो अनुदान दिया जाता है उसकी स्वीकृति मार्च मास के अन्त समय में पहुंची इसलिये प्रिंसिपल ने यह मुनासिब समझा कि उसको ही यह रुपया दे दिया जाय क्योंकि वह गरीब तो थी ही।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब टैक्निकल इंस्पेक्टर ने स्कूल बस को पुरानी जीर्ण और बेकार घोषित कर दिया और जब वह २५ जुलाई से मरम्मत पर जाने के बाद अभी तक वापस नहीं आई, तो लड़कियों की तकलीफ को देखकर अब तक दूसरी बस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसी संस्थाओं में २ बसें नहीं रहती हैं, जितनी आवश्यकता होती है, उतनी ही रहती है, वही कभी बिगड़ जाती है तो मरम्मत के लिये भेज दी जाती हैं और कुछ असुविधा उन दिनों होती है।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह देखते हुये कि हमारे प्रदेश में लड़कियों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अलग से शिक्षा दी जाती है लिहाजा यह जो व्यवस्था है कि एक ही स्कूल में लड़की और उसके भाई पढ़ते हों जब कन्सेशन देते हैं, क्या अब उस व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे कि यदि किसी दूसरे विद्यालय में भी गरीब पिता के लड़के लड़की अलग-अलग पढ़ते हों तब भी लड़कियों को ऐसी सुविधा मिलेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सम्भवतः यह व्यावहारिक नहीं होगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि किसी स्कूल में सगे भाई बहिन २ से अधिक की संख्या में हैं, तो क्या उन की सुविधा भी संख्या के अनुपात से ही बढ़ती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

मंत्री जी ने बताया कि कमेटी ने इस साल जो सिफारिश की या छात्रावृत्तियां दीं वह नियमानुसार नहीं थीं और उसको रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है, तो मैं जानना चाहता हूं क्या यह जुलाई से फिर से नये प्रकार से छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं । जैसा मैंने कहा प्रथा यह है कि इन तीन सुविधाओं में से साधारणतया एक छात्र को दो सुविधायें दी जा सकती हैं । वहां की कमेटी ने तय कर दिया कि केवल एक सुविधा दी जायगी । कि केवल एक सुविधा दी इसको बदलने के लिये प्रयास किया जा रहा है । दो सुविधायें तो किसी भी छात्र को दी जा सकती हैं यदि उसकी आर्थिक दशा कमजोर हो ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी ने बतलाया कि बस की मरम्मत हो रही है, तो मंत्री जी बतायेंगे कि डेढ़, दो महीने में उसकी मरम्मत हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो इस पर डिपेन्ड करता है कि कितनी खराब है बस, उसी हिसाब से समय लगेगा ।

श्री रघुवीरसहाय कंथवार—

मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त कालेज की प्रिंसिपल ने अप्रैल, मई में अपना निजी मकान फतेहपुर में बनवाया और मकान का सामान ढोने में उस बस को नष्ट कर दिया ? अप्रैल, मई से अब तक लड़कियों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है जिससे उनको बड़ी तकलीफ है । अतः इस दिक्कत को देखते हुये मंत्री जी दूसरी बस की तत्काल व्यवस्था करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

पहली बात की मुझे जानकारी नहीं है । रही दूसरी बात कि उस विद्यालय के लिये किसी दूसरी बस का प्रबन्ध किया जा सके, यह अभी संभव नहीं मालूम होता ।

*१६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[१९ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न ७२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

रामगंगा तथा गोला नदी की बाढ़ से क्षति

*१७—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली तहसील में मीरापुर व खिल्चीपुर गांव राम गंगा बाढ़ ने काट दिये हैं ? यदि हां, तो कितनी हानि हुई तथा ग्रामवासियों को सरकार द्वारा क्या क्या सुविधायें प्रदान की गयीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मीरापुर ग्राम बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ । अतः वहां कोई सहायता प्रदान करने का प्रश्न नही उठता । खिल्चीपुर ग्राम में १६ घर राम गंगा से कट गये जिससे लगभग ३ ५०० रु० हानि हुई । बाढ़ पीड़ितों को ८० रुपये की अहेतुक सहायता तथा ४०० रु० की गृह-निर्माण सहायता दी गयी । उन्हें बसाने के लिये नई भूमि प्राप्त करने की भी कार्यवाही की जा रही है ।

*१८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम शांतिपुर ३, ४ तहसील किच्छा, जिल नैनीताल में, गोला नदी की बाढ़ के कारण भयानक संकट उत्पन्न होग गया है और हजारों बे घर-बार लोगों के बच्चे भूखों मर रहें हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके लिये कितनी व क्या-क्या सहायता प्रदान कर दी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ग्राम शांतिपुर ३, ४ में अत्यधिक वर्षा से गोला नदी में पानी बढ़ जाने के कारण खेतों में पानी भर गया। पर इससे न तो कोई व्यक्ति बे घर-बार हुआ और न भूखों मरा। आपत्तिग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उन्हें लगभग ६० रु० अहेतुक सहायता दी गयी। लगान में छूट देने तथा अन्यत्र भूमि दिये जाने के लिये भी उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को जानते हुये कि एक घर पर केवल छप्पर डालने में दोनों तरफ लगभग १०० रुपये व्यय हो जाते हैं, तो क्या खिल्चीपुर ग्राम के लोगों को कम से कम १,२०० रु० प्रति घर के हिसाब से मकान बनाने की सहायता प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

रूल्स परमिट नहीं करते।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने परिवारों को सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां तक मुझे याद है ५, जो गरीब थे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन पांच परिवारों को अहेतुक सहायता दी गयी, उनका कोई काम नहीं चल सका और वे बाकई बे घर बार हो गये हैं ? ऐसी स्थिति में क्या सरकार उन्हें और कोई सहायता प्रदान करने की गुंजायश निकालेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गुंजायश हमारे निकालने की बात नहीं है। जो रूल में लिखा है वह लिखा है। हमारे निकालने से गूंजाशय नहीं निकलती।

श्री रघुवीर—

क्या राजस्व मंत्री जी को मालूम है कि उनके विभागीय अधिकारियों द्वारा उन किसानों से मालगुजारी वसूल कर ली गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारा तो ऐसा ख्याल नहीं, लेकिन सूचना की आवश्यकता है डेफिनिट बात कहने के लिये।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि १० घर बरबाद हो गये ? तो आपकी, घर बरबाद होने की क्या परिभाषा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर घर बिलकुल बरबाद हो गये हैं तो बरबाद की परिभाषा में आते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरी सूचना को सही मानकर कि वहां अब भी लगान वगैरह वसूल किया जा रहा है और नयी भूमि प्राप्त करने के लिये, आज ७ महीने गुजर गये हैं, कोई प्रबन्ध नहीं हो सका और वे परिवार दूसरों के घरों में बसे हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पहले इन्टैरिम रिपोर्ट आती है बोर्ड आफ रेवेन्यू से, फिर फाइनल रिपोर्ट आती है। उस समय छूट छाट दी जाती है। जहां तक मालगुजारी की वसूलयाबी का मामला है, मैं देख लूंगा।

हाई स्कूल परीक्षा फल रोकना

*१९—श्री रक्षपालसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में कितने विद्यार्थियों का परीक्षा फल किन-किन कारणों से रोक दिया गया है तथा घोषित नहीं किया गया है ? ऐसे विद्यार्थियों का परीक्षा फल कब तक घोषित किया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवश्यक प्रतिबन्धों की पूर्ति न करने, उपस्थिति की कमी होने, आवश्यक तथ्यों को छिपाने, जाली प्रमाण-पत्र देने, मारपीट करने एवं अनुशासनहीनता करने आदि कारणों से १९६३ की हाई स्कूल परीक्षा के १९०७ परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया। ३०-११-६३ तक १०५२ मामलों का निर्णय लिया जा चका है। शेष मामलों में लगातार जांच हो रही है। ज्यों-ज्यों जांच पूरी होती जायगी, निर्णय लिया जायगा। आशा की जाती है कि संपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में लगभग एक मास का समय अभी और लगेगा।

*२०—श्री रक्षपालसिंह—

उक्त प्रकार के विद्यार्थियों का साल न बरबाद हो तथा वे व्यक्तिगत रूप में परीक्षा दे सकें उसके संबंध में क्या सरकार कोई उचित कार्यवाही करने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

† कैलाशप्रकाश—

ऐसे परीक्षार्थियों को कक्षा १० में संस्थागत छात्र के रूप में पढ़ने तथा व्यक्तिगत रूप से आगामी परीक्षा का आवेदन पत्र भरने की भी सुविधा दी गई है। जो छात्र अंतिम निर्णय लिये जाने पर निर्दोष पाये जाते हैं, उन्हें ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश की सुविधा दी जाती है और उपस्थिति की कमी की छूट भी दी जाती है।

श्री रक्षपालसिंह—

मंत्री जी ने बतलाया कि १९६० परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोक दिया गया। ३१ नवम्बर तक आधों का निर्णय हो पाया और आधे अब भी बाकी हैं और उनका निर्णय एक मास में हो जायगा, तो क्या भविष्य में वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिये अंतिम तिथि होती है फार्म भरने की सितम्बर या अक्तूबर तक उसके पहले ऐसे निर्णय हो जाया करें जिससे वे विद्यार्थी जो निर्दोष पाये जाते हैं या रोके नहीं जाते उनको भी इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो सके और उनका साल बरबाद न हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है कि परीक्षाफल शीघ्रातिशीघ्र घोषित किया जाय किन्तु न्यायालयों के निर्णयों के आने के एक प्रणाली का अनुसरण करना पड़ता है और उसे स्वभावतः देरी लग जाती है। इसलिये जिन विद्यार्थियों का परीक्षाफल रुक जाता है उन्हें इस बात की सुविधा दी जाती है कि वे प्राइवेट विद्यार्थी का फार्म दें सकें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जिन विद्यार्थियों के मामले में निर्णय ले लिये गये हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं, जो निर्दोष पाये गये और उनको परीक्षा देने की सुविधा दी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जो निर्दोष पाये जाते हैं उनका परीक्षाफुल घोषित कर दिया जाता है और परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात् उन्हें जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे ये हैं: अगर फेल हो जाते हैं तो उसी कक्षा में पढ़ सकते हैं। पास हो जाते हैं तो अगली कक्षा में पढ़ सकते हैं और इतने दिन परीक्षाफल घोषित न होने से जो अनुपस्थिति होती है उसकी उनको छूट दे दी जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

साल साल तक परीक्षाफल रोके जायं और उन्हें पढ़ने और इम्तहान देने की मनाही की जाय इसके लिये सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठायेगी कि परीक्षा फल जब मार्च में समाप्त हो जाती है तो जुलाई तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जायं ताकि जिनका दोष पाया जाय उनका भी नतीजा आउट हो जाय जिससे जुलाई या अगस्त से वे नियमित रूप से अध्ययन कर सकें ?

श्री अध्यक्ष—

रक्षपालसिंह जी ने यही पूछा था कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि शीघ्रातिशीघ्र विद्यार्थी इम्तहान दे सकें उसी का उत्तर माननीय मंत्री ने दिया था कि ऐसे कुछ कानूनी झगड़े रहते हैं जिनकी वजह से देर होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या यह सही है कि जांच करने वालों की कमी के कारण साल भर तक परीक्षा की जांच होती है और उसी कारण रिजल्ट आउट करने में अथवा दोषी व निर्दोषी साबित करने में असुविधा होती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसी बात नहीं है। जब कोई विद्यार्थी दोषी पाया जाता है और उच्च न्यायालयों के निर्णय के अनुसार उसके विरुद्ध कार्य करना होता है तो देर लग जाती है। जैसा कि अदालत में होता है पहले उसकी शिकायत होती है। इन्टरमीडिएट बोर्ड के विधि के अनुसार इस बात का अधिकार है कि वह सजा दे। इसलिये जब वह शिकायत आती है और चार्ज शीट लगाई जाती है तो वह उस विद्यार्थी को दी जाती है। उससे फिर जवाब लिया जाता है। उस जवाब के बाद अगर जरूरत होती है तो उसका साक्षात्कार किया जाता है। यह सब कुछ कार्यवाही करने के पश्चात् उसका परीक्षाफल घोषित किया जाता है यानी यह तय किया जाता है कि उस दोष का वह दोषी है या नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि बहुत से बोर्ड के ऐसे छात्र थे जिनका परीक्षा फल घोषित कर दिया गया, लेकिन ८–९ महीने बाद उन लोगों को जो फर्स्ट और सेकिंड डिवीजन में पास हुये थे और दूसरी जगह दाखिला ले चके थे, फिर नवम्बर में फेल कर दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मेरी व्यक्तिगत जानकारी में तो यह बात नहीं है, सिवाय एक मामले के ।

*२१-२२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

[हटा दिये गये ।]

श्री अब्दुल वहीद की गिरफ्तारी

*२३—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री जी कृपा करके यह बतावेंगे कि आजगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के बिलारियागंज ग्राम निवासी श्री अब्दुल वहीद वल्द इस्माइल से एक ही खाते की मालगुजारी दो बार वसूल की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं ।

*२४—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उक्त ग्राम के खाता ५८५ का क्षेत्र खाता ६९३ में चला गया है और उसकी पूरी माल गुजारी ऊपर लिखे प्रश्न से संबंधित व्यक्ति ने साल ब साल अदा किया है और फिर भी उसके ऊपर वारन्ट निकाल कर उसको दो दिन हवालात में बन्द रखा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

खाता नम्बर ५८५ के १५ नम्बरों में से १३ नम्बरान खाता नं० ६९४ में चले गये जिसकी मालगुजारी श्री अब्दुल वहीद ने साल ब साल अदा की है । खतौनी में खाता नम्बर ५८५ से उक्त १३ नम्बरान गलती से न काटे जाने से उसकी बकाया मालगुजारी उक्त व्यक्ति से वारन्ट गिरफ्तारी द्वारा वसूल की गई ।

*२५—श्री उमाशंकर—

क्या यह भी सच है कि उक्त व्यक्ति से पांच साल की मालगुजारी जो चुकता की जा चुकी थी, फिर से वसूल की गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां । ऐसा खतौनी में अशुद्धि रहने के कारण हुआ था । लेकिन अब खतौनी में दुरुस्ती कर दी गई है और अधिक धनराशि जो वसूल की गई उसकी वापसी के लिये श्री अब्दुल वहीद को सूचना भेज दी गई है ।

श्री उमाशंकर—

अध्यक्ष महोदय, २३ नम्बर के प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिये । दूसरे में हां तो कर दिया गया है, लेकिन हां में वही बात कही गयी है, लेकिन जब १३ नम्बर उसके खाते से काट कर दूसरे खाते में चला गया और उसकी मालगुजारी वसूल कर ली गयी तो जो खाते में बकाया रह गया फिर भी उससे मालगुजारी कैसे वसूली की गयी ? यह देख कर क्या मंत्री जी उनको हुक्म देंगे कि उसको दुरुस्त करें ?

श्री हुकुमसिंह सिवसेन—

मैं भाई उमाशंकर का बड़ा मश्कूर हूं कि उन्होंने हमारी तवज्जह इस तरफ दिलायी । कुछ असावधानी की वहज से यह बात पैदा हुई । बोर्ड आफ रेवेन्यू ने उन अधिकारियों के खिलाफ

इन्क्वायरी करने का आदेश दे दिया है। उनकी गलती पायी जाने पर उनका तदारुक किया जायगा। करेक्शन की जहां तक बात है वह कर दिया गया है। वहीद साहब को जो तकलीफ हुई, उसके लिये मुझे अफसोस है।

श्री उमाशंकर—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके ऐसे खातों की दुरुस्ती का हुक्म देने का कष्ट करेंगे जैसे कि सगड़ी तहसील में और खास बिलरियागंज में हैं कि जो लोग पचीसों वर्ष पहले मर चुके हैं उनके नाम कागज में चले आ रहे हैं और उनकी मालगुजारी बेजा तरीके से दूसरों से वसूल होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आमतौर से हमारा हुक्म जाता तो है नहीं लेकिन जो केस प्वाइंट आउट किया जायगा उसमें हम जरूर तवज्जेह कर के ठीक कराने की कोशिश करेंगे।

श्री लखीसिंह—

माननीय मंत्री को यह ज्ञान है कि यहां तो उन्होंने अफसोस जाहिर कर दिया लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस विभाग में सैंकड़ों गलत इन्दराज कर के किसानों को हवालात में डाल दिया जता है, तो क्या दोबारा सब कागजों की दुरुस्ती करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी हो रही है, सब दुरुस्त हो रहे हैं।

कर्मनाशा नदी के पुल पर टौल टैक्स की वसूली

*२६—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी, तहसील चकिया के अन्तर्गत कर्मनाशा नदी में मंगरौर गांव में जो पुल बना है, उससे अगस्त, १९६३ तक कितना टोल टैक्स वसूल किया गया है और उस टोल टैक्स को वसूलने में सरकार ने कितना रुपया व्यय किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अगस्त, १९६३ तक ५५,७५२ रुपये ४२ नये पैसे वसूल किया गया है और ३५,८०४ रुपये ५३ नये पैसे टोल टैक्स के वसूलने में व्यय हुआ।

*२७—श्री गयाप्रसाद—

क्या यह सही है कि जितना टोल टैक्स उपर्युक्त पुल से वसूल नहीं होता है उससे ज्यादा वसूल करने में खर्च हो जाता है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आय, व्यय से अधिक है।

श्री गयाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के यह बतायेंगे कि यह कब की वसूली और व्यय है और सालाना आय-व्यय भी बतायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

३०-७-५८ से अगस्त, १९६३ तक का आय-व्यय है।

श्री गयाप्रसाद—

क्या मंत्री जी को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि उक्त पुल पर टोल टैक्स की वसूली में बहुत भ्रष्टाचार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

सिकन्दरपुर कलां में चकों की हदबन्दी

*२८—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सिकन्दरपुर कलां, परगना कोट, जिला शाहजहांपुर में चकों की डिमार्केशन सही न होने के कारण कितने प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में एस० ओ० सी० शाहजहांपुर के पास पहुंचे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उक्त ग्राम में चकों के डिमार्केशन सही न होने से सम्बन्धित दिनांक ८-१०-६३ तक ३० प्रार्थना-पत्र बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुए थे ।

*२९—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गरीब किसानों को हानि से बचाने के लिए उन प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही मौके पर हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उन सभी प्रार्थना-पत्रों से सम्बन्धित चकों को फिर से मौके पर पैमाइश कराके दुरुस्त करा दिया गया है ।

*३०—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसी गांव में जिन व्यक्तियों ने चकरोड तथा सार्वजनिक कामों के लिये छोड़ी हुई भूमि तथा आम रास्ते तोड़ कर चक में मिला लिये है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सार्वजनिक कार्यों के लिए सुरक्षित भूमि पर अनधिकार कब्जा कर लेने के जितने मामले सामने आये, उनमें मौके पर प्रधान गांव समाज की उपस्थिति में फिर से पैमाइश करा दी गई है । अनधिकार कब्जों के न छोड़ने अथवा पुनरावृत्ति होने की दशा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का सुझाव प्रधान को दे दिया गया है ।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस जमीन पर अनधिकृत कब्जा हो गया है उनको पुलिस के द्वारा कार्यवाही करके छुटाया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में है फिर पुलिस ऐक्ट क्यों लागू करते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अभी मंत्री जी ने कहा कि सुझाव दिया गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार सुझाव देगी या आदेश देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

प्रधान को सुझाव देना ही अच्छा होता है ।

श्री दयाराम शाक्य---

क्या मंत्री जी बतायगें कि चक अधिकांश कम पाये जाते हैं उनका डिमारकेशन ठीक न होने के कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो क्या बिना खर्चा लिये उनका दुबारा डिमारकेशन करायेंगे जब तक कि उनके चक ठीक न हो जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

करीब-करीब ठीक हैं, कहीं गलती होती है तो दुरुस्त कर दिये जाते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि कितने प्रार्थनापत्र उनके गलत चक के आये थे और कितने सही पाये गये और उनकी दुरुस्ती की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह तो जबाब में दे दिया गया है कि ३० आये थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि कितने प्रार्थना-पत्र सही पाकर उनके चक दुरुस्त किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसकी डिटेल्ड सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री दयाराम शाक्य---

क्या मंत्री जी इस प्रकार के आदेश देंगे कि जिनके चक कम हैं उनका डिमारकेशन बिना खर्चा लिये किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ऐसा सम्भव नहीं मालूम होता है ।

कानपुर के इमदादिया इस्लामिया स्कूल

*३१---श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जिला कानपुर के अन्तर्गत कितने इमदादिया इस्लामी स्कूल हैं, जिनको सरकारी सहायता प्राप्त होती है तथा कितने रुपये माहवार आर्थिक सहायता उन्हें दी जाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

कानपुर जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्कूलों की संख्या ३५ है जिनमें से कोई भी शासन की अनुदान सूची पर नहीं है ।

श्री शिवनाथसिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस्लामिया स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई होती है और यह हमारे प्रदेश की मुख्य भाषा है तो इन स्कूलों में इस तरह के अनुदान न देने की उदासीनता क्यों बरती जाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इन स्कूलों को सहायता नगर पालिकाओं तथा महानगरपालिकाओं से की जाती है।

श्री शिवनाथसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कानपुर में कुछ स्कूलों को १५ रु० माहवार की सहायता जिला परिषद् की तरफ से दी जाती है जो बहुत कम है तो क्या सरकार इस पर विचार करके जिला परिषद् को आदेश करने की कृपा करेंगी कि उनको कुछ इससे अधिक सहायता दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आन्तरिक मामला है, उनसे पूछिए। जिला परिषद् देखेगी।

बदायूं तहसील में चकों का निर्माण

*३२--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं तहसील बदायूं के अन्तर्गत, ग्राम गुलडिया, भगवतीपुर, नौसानन में छोटे-छोटे किसानों के चक आबादी से कितनी दूर पर बनाये गये है और बड़े किसानों के चक आबादी से कितनी दूर पर तथा कितने चक कुल बनाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उक्त ग्रामों में कुल चकों की संख्या और २ एकड़ से अधिक व २ एकड़ रकबे तक के चकों की संख्या, जिन्हें आबादी के पास अथवा दूर दिया गया है, से सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२५ पर)

चकिया के कलेक्शन नायब तहसीलदार

*३३--श्री गयाप्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी, तहसील चकिया के कलेक्शन नायब तहसीलदार करीब ५ साल से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनका तबादला अभी तक क्यों नहीं किया गया, जब कि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी हां, क्योंकि वह आवश्यक नहीं समझा गया। भ्रष्टाचार के आरोप सरकार को कोई नहीं प्राप्त हुए हैं।

श्री गयाप्रसाद--

तो मेरी इस सूचना को सही मानकर के क्या मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सही हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

शिकायतें जो हुईं उनकी जांच हुई तो कोई साबित नहीं हुई।

श्री गयाप्रसाद--

अभी एक मंत्री जी ने कहा कि शिकायत नहीं मिली और दूसरे मंत्री जी ने कहा कि नहीं, शिकायतें हुईं और जांच में कोई दोष नहीं पाया गया, तो कौन उत्तर सही है ?

श्री हुकमसिंह विसेन--

जो उन्होंने कहा वह बिलकुल सही कहा। मुमकिन है मेरी जबान से कोई बात निकल गई हो। आप हमको लिखकर दे देंगे तो हम फिर से जांच करा लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह कलेक्शन नायब तहसीलदार ५ साल से एक ही स्थान पर हैं जब कि सरकारी आदेश है कि कोई भी अफसर तीन साल से अधिक एक जगह न रखा जाय, तो यह पांच साल से वहां क्यों पड़े हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सन् ६० में गवर्नमेंट का ऐसा आदेश हुआ है कि एक तहसील में चार पांच साल तक रह सकता ह, लेकिन एक सर्किल में तीन साल से ज्यादा नहीं रह सकता है ।

बांदा–कर्वी सड़क

*३४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की कच्ची सड़क जो बांदा से ग्राम पल्हरी व गुरेर व कुल कुमहारी बेलगांव-बेसन्डा कोर्रही तथा ओरन होती हुई पक्की सड़क को जोड़ कर राजपुर व कर्वी को मिलाती है और जो बहुत जरूरी सड़क है, उसे अब तक पक्की क्यों नहीं बनवाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

धनाभाव के कारण इस सड़क का निर्माण अभी तक सम्भव न हो सका ।

श्री मतोलासिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस सड़क के हर मील पर पक्के पुल और पक्के कुएं बने हुए हैं और नहर का जाल बिछा हुआ है, नहरी पानी के कारण अन्न की पैदावार अधिक बढ़ गई है, तो किसान सड़क के अभाव में अपना गल्ला कैसे कहीं पहुंचावें जबकि नहर का पानी सड़कों पर भरा रहता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जितनी बातें माननीय सदस्य ने बतायी हैं उनका आभास हमको है और हम चाहते हैं कि सड़क को बना दें । जैसे ही हमारे पास धन हो जायगा, हम इसको जरूर बनाने की कोशिश करेंगे ।

श्री मतोलासिंह—

तो क्या सरकार का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसको रखने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि जितनी जल्दी होगा हम बना देंगे, जब रुपया होगा ।

श्री मतोलासिंह—

क्या चतुर्थ योजना में इस के लिये रुपया निकालने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

चतुर्थ योजना में यह रखी जाय, इस पर मैं विचार जरूर करूंगा ।

बड़ागांव में पानी जमाव से क्षति

*३५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या यह सच है कि जिला झांसी के बड़ागांव व गांव के चारों तरफ जहां आबादी लगभग ३।। हजार के है, पानी भरा हुआ है व सड़कें इत्यादि टूटी पड़ी हैं व हरिजन बस्ती के मकान बारिश से गिर पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा जन सुविधा के हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं। इस समय गांव के चारों तरफ कहीं पानी नहीं भरा है। केवल बरसात में पी० डब्लू० डी० की सड़क की खंत्तियों में पानी भर जाता है जो माह अक्तूबर तक भरा रहता है और बाद में सूख जाता है। गांव में कोई सड़क नहीं है, केवल पी० डब्लू० डी० रोड गांव के बाहर से गुजरती है जो कहीं टूटी नहीं है। गांव के अन्दर के रास्ते अपनी पुरानी हालत में हैं।

हरिजन बस्ती का पूर्णतः कोई मकान बारिश में नहीं गिरा, केवल कुछ पुराने मकानों की दीवालों का कमजोर भाग व मिट्टी का पलास्तर आदि गिर गया था। कोई पूरा मकान या मकान का ऐसा भाग नहीं गिरा जिससे खास नुकसान हुआ हो और जो सहायता के योग्य हो।

श्री लखपतराम शर्मा—

मंत्री जी की जानकारी में जब है कि बरसात में पानी भर जाता है और उससे हरिजन बस्तियों को क्षति पहुंचती है तो भविष्य में पानी न भरे, उसके सुधार के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और अगर नहीं उठाये हैं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी बहुत सी जगहें हैं इसलिये यह बड़ा मुश्किल है। पानी ज्यादा बरस गया तो भर गया होगा, नहीं तो झांसी में पानी का हमेशा अकाल पड़ा रहता है।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब प्रान्त की हुकूमत आपके हाथ में है और जन जीवन की सुरक्षा का भार आपके ऊपर है और मजदूर बस्ती तथा ग्रामीण क्षेत्र में आप सुधार करने में अपने को असमर्थ पाते हैं तो इस परिस्थिति में त्यागपत्र देकर क्यों नहीं अपनी जगह से हट जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम भरसक कोशिश करते हैं, त्याग-पत्र की जरूरत नहीं है।

नैकाना ग्राम में भूस्खलन से क्षति

*३६—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि गत डेढ़ माह के अन्दर जिला नैनीताल में भीषण वर्षा से यातायात के साधनों को भारी क्षति पहुंची है और कई जानवर व व्यक्ति पहाड़ के धस जाने से नैनीताल के निकट ग्राम नैकाना में दब कर मर गये और कई व्यक्तियों को चोटें आयीं ? यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या सक्रिय कदम उठाये और पीड़ित व्यक्तियों की राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। इस वर्ष बरसात में भीषण वर्षा से नैनीताल में यातायात के साधनों को क्षति पहुंची है। नैकाना ग्राम में भूस्खलन से एक मकान गिर गया जिससे दो व्यक्ति घायल हुए तथा उसमें दब कर एक व्यक्ति एवं आठ पशुओं की मृत्यु हो गई। घायल व्यक्तियों की उचित चिकित्सा की गई और आपत्ति-ग्रस्त परिवार को दैवी प्रकोप सहायता कोष से २५० रु० की आर्थिक सहायता दी गई।

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बाढ़ सहायता सलाहकार कमेटी के प्रस्तावों का कार्यान्वयन

*३७—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९६३ के महीने में बाढ़ सहायता सलाहकार कमेटी की बैठक गोंडा जिले में श्री देवेन्द्रप्रतापसिंह, सभा सचिव की उपस्थिति में हुई थी ? यदि हां, तो उसमें पारित प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। पारित प्रस्तावों का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

*३८—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दोहरी घाट में घाघरा का पक्का पुल

*३९—श्री झारखण्डेराय तथा श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि में दोहरीघाट का प्रस्तावित घाघरा पर (जिला आजमगढ़) पक्का पुल जो राष्ट्रीय राजपथ पर अवस्थित होगा, के निर्माण के निर्णय की दशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल के निर्माण कार्य को केन्द्रीय सरकार ने १२६.०० लाख रुपये की लागत पर राष्ट्रीय मार्गों की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया है। इस पुल के निर्माण का आगणन तैयार किया जा रहा है।

*४०—श्री झारखण्डे राय तथा श्री इन्द्रासनसिंह—

दोहरीघाट में घाघरा पर जब तक पक्का पुल न बन जाय, तब तक गैर बरसाती मौसम में पीपे के पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। इस कार्य के १७.५० लाख रुपये के आगणन को केन्द्रीय सरकार को उनकी स्वीकृति के लिये भेजा गया है।

*४१—श्री गोपीनाथ दीक्षित तथा श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

[११ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न १०७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

परिगणित जातियों की सुरक्षित स्थानों पर नियुक्ति

*४२—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी जी० ओ० नम्बर, B २८७६/IB—१४९–बी/–५९, दिनांक १६ अगस्त, १९६१ में परिगणित जातियों के लिये १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं, समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कर्यालयाध्यक्षों को परिगणित जातियों के लिये १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने के संबंध में आदेश नियुक्ति (ख) विभाग द्वारा सन् १९५३ में ही जारी किये जा चुके हैं। उन्हीं आदेशों को कथित जी० ओ० में पुनः समावेश करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*४३--श्री छेदालाल चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, लखीमपुर खीरी के कार्यालय में B. O. no. २१६८९-७४८-AII-२६७-ए०-५३, दिनांक ११ नवम्बर, १९६२ के आदेशानुसार सूची बी में से स्थायी कर्मचारियों की वास्तविक नियुक्ति के समय कुल कितने लोग नियुक्त हुये और उनमें परिगणित जाति की क्या संख्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

पेड एप्रेन्टिसों की सूची (बी) के लिये चुने गये कुल ३७ व्यक्तियों में से ४ व्यक्ति कलक्ट्रेट में स्थायी पदों पर नियुक्त हुये तथा इनमें से एक व्यक्ति परिगणित जाति का है।

फतेहपुर जिले के लिये एच० टी० सी० ट्रेनिंग के लिये सूची

*४४--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रदेशीय शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना कर फतेहपुर जिले के लिये शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ने इस वर्ष एच० टी० सी० ट्रेनिंग के निमित्त कुछ इस प्रकार के नाम भेजे हैं, जिन्हें एच० टी० सी० ट्रेनिंग के लिये बनी जिला कमेटी ने अपनी लिस्ट में नहीं भेजा था ? यदि हां, तो किन विशेष परिस्थितियों वश और किन अधिकारों से ?

*४५--क्या शिक्षा मंत्री जिला कमेटी द्वारा नामजद किये गये लोगों के नाम शिक्षा योग्यता सहित और उप शिक्षा निदेशक द्वारा उन नामजद लोगों के नाम शिक्षा योग्यता सहित जिन्हें एच० टी० सी० ट्रेनिंग के चुनाव के लिये बनी जिला कमेटी ने अपनी सूची में नहीं भेजा था, बताने की कृपा करेंगे ?

*४६--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चुनाव एच० टी० सी० कमेटी ने जो लिस्ट भेजी थी वह किस दिनांक को तथा उप शिक्षा निदेशक ने अपने अधिकार से नामजद लोगों को किस दिनांक को किया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उतरौला-गोंडा सड़क के पुराने पुल

*४७--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में उतरौला से गोंडा आने वाली सड़क पर कितने पुल ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं और उन पर ब्रिज डेंजरस की नोटिस लगी हुई है और कब से ? क्या सरकार उनका पुनः निर्माण शीघ्र करायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

ऐसे कुल ११ पुल हैं। इनमें से केवल ४ ऐसे हैं जिनपर सावधान, ५ टन से ऊपर भार के लिये अयोग्य की नोटिस लगी है जो जुलाई, १९६३ से लगाई गई है। इनके पुनः निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है। आवश्यक मरम्मत समय-समय पर की जाती है।

*४८—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन पुलों पर जब रोडवेज बसें पहुंचती हैं, तो आने से पहले यात्रियों को बस से उतार दिया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ऐसा केवल ४ पुलों पर ही किया जाता है ।

*४९—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

इन पुलों की देखभाल के लिये कितने चौकीदार नियुक्त हैं और उन पर मासिक व्यय सरकार को कितना करना पड़ता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस कार्य के लिये एक चौकीदार (गैंगबेलदार) नियुक्त है जिसका मासिक वेतन ३५ रु० है ।

निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा व वयस्क शिक्षा योजना

*५०—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य भर में निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना लागू करने के लिये सरकार ने कोई निश्चित योजना तैयार की है ? यदि हां, तो इस योजना के अनुसार इस पर कितना रुपया व्यय होगा, राज्य में कुल कितने प्राइमरी स्कूल खोलने पड़ेंगे तथा छात्रों व अध्यापकों की अनुमानित संख्या क्या होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*५१—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना लागू करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग से कुछ निर्देश राज्य सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं ।

*५२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के वयस्क निरक्षर पुरुषों व स्त्रियों को साक्षर बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । ऐसी एक योजना सरकार के विचाराधीन है । उसकी रूप-रेखा अभी तय नहीं है ।

वाराणसी के घाटों की मरम्मत

*५३—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी के घाटों की मरम्मत के लिये केन्द्रीय सरकार ने १५३.७५ लाख रुपये सन १९४९ में मंजूर किया था और यह काम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिये था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि—

(क) अब तक उस काम के लिये कितने रुपये का एस्टीमेट बनाया जा चुका है और कितना काम हो चुका है ?

(ख) कार्य की इस अत्यन्त मन्द प्रगति का कारण क्या है और क्या स्टाफ एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुये जिसके कारण कि इस धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है, सरकार इस अभाव की पूर्ति करने के लिये वर्क चार्ज में भी आदमी रखकर निर्धारित समय के भीतर इस काम को पूरा करने की कोशिश करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

जी नहीं, केन्द्रीय सरकार नें ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी थी ।

(क) प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

*५४---श्री ऋषिनारायण शास्त्री---

क्या सरकार बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने वाराणसी स्थित पक्के घाटों की साधारण मरम्मत के लिये १४ लाख रुपये तथा टूटे हुये घाटों के पुनर्निर्माण के लिये १३लाख रुपये मंजूर किये हैं, जिसको कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त हो जाना है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस काम को निर्धारित अवधि के भीतर संपन्न कराने की कोशिश कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है ।

पंचक्रोशी सड़क

*५५---श्री ऋषिनारायण शास्त्री---

क्या यह सही है कि वाराणसी में वरुणा नदी के मुहाने और अस्सी नाले के बीच पंचक्रोशी सड़क को २१२ फुट तक ऊंची करके ले जाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने १८.७५ लाख रुपया मंजूर किया था और जिसका निर्माण कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिये था, किन्तु अब तक उसमें हाथ भी नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस काम को समय के अन्दर पूरा करने के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं, केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है ।

गवर्नमेंट इण्टर कालेज, इटावा में पंखों का प्रबन्ध

*५६---श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)---

क्या यह सच है कि गवर्नमेंट इन्टर कालेज, इटावा में अप्रैल, १९६३ में विद्यार्थियों के सुविधार्थ पंखे लगकर तैयार हो गये थे, किन्तु उन्हें सितम्बर तक चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो पंखे चालू न करने के क्या कारण हैं और अब कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

पंखों की फिटिंग २६ सितम्बर, १९६३ को समाप्त हुई, किन्तु असिसटेन्ट इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी तक उसे इस्तेमाल के लिये पास नहीं किया है । फिटिंग के पास होने पर ही पंखे चालू हो सकेंगे ।

गंगा व महावा नदी की बाढ़ से क्षति

*५७---श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९ सितम्बर, १९६३ के बाद बदायूं जिले में गंगा तथा महावा नदी के बीच जो बाढ़ आई उसमें अनुमानित हानि कितनी हुई तथा ग्राम अनुसार सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

फसल तथा मकानों की कुल हानि का अनुमान ३२,५८,४६० रु० का है। इस बाढ़ से पिपरौल बांध और उसहत बांध को भी करीब १०,००० रु० का नुकसान हुआ। सरकार द्वारा जरूरतमन्द बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को कुल ४०,४२४ रु० ३७ नये पैसे की तात्कालिक सहायता, ३२,००० रु० की भवन-निर्माण सहायता तथा १,१६,०५० रु० की तकावी दी गई। इसके अतिरिक्त ८१ रु० का सामान बांटा गया। ग्रामवार सूची बड़ी है, इसे कार्यालय में देखा जा सकता है।

सौरांव तहसील में चकबन्दी

*५८—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद सौरांव तहसील में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में कितनी ऐसी चकबन्दी की अपीलें हैं जो ३ साल से अनिर्णीत पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो उसका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई नहीं।

*५९—श्री मेवालाल जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के सौरांव तहसील में जो किसानों को चकबन्दी में चक एलाट किये गये हैं, उन में कितने प्रतिशत की नाप करा दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

९०.९४ प्रतिशत चकों की नाप करा दी गई है।

बाढ़ और सूखा निवारण

*६०—श्री सुखदेवप्रसाद तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में बलरामपुर तहसील में सूखा के कारण अगहनी धान की फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो किसानों को सहायता देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। पीड़ित किसानों को सहायता देने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

१—लगान में नियमानुसार छट देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

२—सूखा पीड़ित क्षेत्र में लगान की वसूली भी स्थगित की जा रही है।

३—तकावी बांटने का कार्य हो रहा है।

४—अहेतुक सहायता भी आवश्यकतानुसार बांटने की कार्यवाही विचाराधीन है।

*६१—श्री सुखदेवप्रसाद तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार प्रदेश में बाढ़ और सूखा के निवारण हेतु सही रूप से जांच करवाकर उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

तुलसीपुर-बिसकोहर बाजार व डुमरियागंज-बस्ती बाजार सड़कें

*६२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार को पता है कि सरकार ने गोंडा जिले में एक सड़क तुलसीपुर से गौरा चौराहा होते हुये बिसकोहर बाजार जिला बस्ती के निकट तक निकाली है जो अधूरी है और आवागमन में काफी कठिनाई है ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक पूरा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। संभवतः इस सड़क को पूरा होने में अभी एक वर्ष लगेगा।

*६३—श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार को यह पता है कि बस्ती जिले में डुमरियागंज से इटवा होते हुये एक सड़क बस्ती बाजार तक बनाई गई है जो अधूरी है ? क्या सरकार इस सड़क को भी शीघ्र पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह सड़क डुमरियागंज से इटवा होती हुई बढ़नी को जाती है, इसकी लम्बाई २४ मील है। यह सड़क पूर्ण हो चुकी है और उस पर यातायात चालू है। उसके ११ मील के भाग का आधुनीकरण किया जा रहा है।

*६४—श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त सड़क जो तुलसीपुर से गौरा चौराहा होते हुये गोंडा सरहद तक आई है और दूसरी सड़क जो डुमरियागंज से इटवा होते हुये बिसकोहर तक आई है, इन दोनों सड़कों के बीच में एक मील का फासला है जहां पर कोई सड़क नहीं है ? क्या सरकार इन दोनों सड़कों को मिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। इन दोनों सड़कों के बीच में छूटे हुये भाग का, जो १ मील ४ फर्लांग लम्बा है, निर्माण स्वीकृत हो चुका है और उस पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायगा।

नायब तहसीलदार कलेक्शन को रेगुलर नायब तहसीलदार बनाना

*६५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बतायेगी कि जो नायब तहसीलदार कलेक्शन रेगुलर नायब तहसीलदार के साथ मिलाये गये हैं वे सर्वे ट्रेनिंग और डिपार्टमेन्टल परीक्षा पास कर चुके हैं या नहीं? यदि नहीं, तो किन कारणों से उन लोगों को रेगुलर नायब तहसीलदारों के साथ मिलाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नहीं। जिन कारणों से यह किया गया है उसका उल्लेख इस प्रस्ताव पर व्यय की स्वीकृति लेने के समय १९६२-६३ के आय व्ययक साहित्य के खंड ३ (आयोजना से भिन्न) में किया जा चुका है।

लखनऊ और गोरखपुर रीजन के स्कूलों का इन्सपेक्टिंग स्टाफ

*६६—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और गोरखपुर रीजन के हर जिले में इन्सपेक्टिंग स्टाफ में सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स तक कौन-कौन व्यक्ति हैं और वे उन जिलों में कब से काम कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न तालिका† में दी हुई है।

*६७—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बतायेगी कि इन व्यक्तियों में से कौन-कौन अधिकारी उसी जिले के रहने वाले हैं, जहां वे काम कर रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न तालिका† में दी हुई है।

*६८—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी कि हर ब्लाक के हेडक्वार्टर पर सब-डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रह कर स्कूलों का निरीक्षण किया करें?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह प्रबन्ध लखनऊ तथा उत्तराखंड डिवीजन में परीक्षण स्वरूप चलाया गया है।

विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन-क्रम

*६९—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों से उनके कर्मचारियों के वेतन-क्रम पुनर्निर्धारण की योजना सरकार के सामने आई है?

श्री कैलाशप्रकाश—

इलाहाबाद व लखनऊ विश्वविद्यालयों से नान-टीचिंग तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से टीचिंग व नान-टीचिंग तथा रुड़की व कृषि विश्वविद्यालयों से अध्यापकों के वेतन-क्रम को पुनर्निर्धारित करने की योजना आई थी।

*७०—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उसमें कितन धन की सहायता सरकार को देनी होगी तथा कितना विश्वविद्यालय वहन करेगा?

श्री कैलाशप्रकाश—

सब सहायता सरकार को देनी होगी।

गंगा की बाढ़ से मंझा ग्राम को क्षति

*७१—श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली)—

क्या सरकार को सूचना है कि ग्राम मंझा, तहसील आंवला, जिला बरेली के बाकी रहे हुये मकान भी गंगा की बाढ़ के कारण बह गये हैं, अब वे सब लोग रास्तों के किनारों पर पड़े हैं? यदि हां, तो सरकार अब तक उनको क्या सहायता दे चुकी है और क्या देने जा रही है?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम मंझा के शेष ६ परिवारों के भी मकान राम गंगा की बाढ़ में बह गये हैं तथा वहां के लोग नजदीक के ग्राम क्यारा में बस गये हैं। ग्राम मंझा के प्रभावित परिवारों को २,४४०रु० तकावी तथा ४७०रु० अहेतुक सहायता के रूप में बांटे जा चुके हैं। गृह निर्माण सहायता बांटे जाने का भी प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिये सरकार ने ५,२५० रु० की धनराशि स्वीकृत कर दी है।

लखनऊ-कानपुर सड़क पर गंगा के पुल में दरारें

*७२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या यह बात सही है कि लखनऊ, कानपुर-सड़क के गंगा नदी पर बने (सड़क पंदल), पुल में दरारें पड़ गयी हैं, जिससे आवागमन के लिये संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो जन-सुरक्षा एवं खतरे की स्थिति को दूर करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। कथित पुल के ऊपरी डेक पर दरारें अवश्य पड़ गई हैं। जब तक इसकी मरम्मत न हो जाय तब तक के लिये पुल का वह भाग असुरक्षित समझा गया है, परन्तु आवागमन के लिये कोई संकट नहीं है। जहां कहीं खराबियां पाई गई हैं वहां उचित मरम्मत की जा रही है।

मुख्य मार्गों को चौड़ा करने के आदेश

*७३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के द्वारा कोई इस प्रकार का आदेश प्रसारित किया गया है जिसमें कि यह कहा गया कि मुख्य मार्गों पर मार्ग के केन्द्र से २२० फीट दोनों ओर का स्थान सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से अधिग्रहीत कर लिया जाय?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं।

*७४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसे कार्यान्वित करने से सरकार को कितना व्यय करना पड़ेगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रेषित योजना

*७५—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सरकार के सामने कोई ऐसी योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को पेंशन, इंश्योरेन्स की सुविधा बिना सरकार के कोई व्यय किये हुये दी जा सकती है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे स्वीकार करने का विचार कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। उक्त योजना शासन के विचाराधीन है।

पी० डब्ल्यू० डी० के ठेकेदारों की कथित हड़ताल

*७६—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार को पता है कि रायबरेली में पी० डब्लू० डी० ठेकेदारों की हड़ताल चल रही है? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार क्या करने जा रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

रायबरेली में पी० डब्लू० डी० ठेकेदारों की कोई हड़ताल नहीं चल रही है।

श्री जौहरी, ए० सी० ओ० सुल्तानपुर के विरुद्ध श्री ओम् प्रकाश की शिकायत

*७७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश, ग्राम सुल्तानपुर कुन्हारी, जिला सहारनपुर का कोई शिकायती-पत्र दिनांक ११ अप्रैल, १९६३ जो Director of Consolidation of Holding U.P, Lucknow को लिखा गया था, उसकी नकल सरकार को भी मिली है? यदि हां, तो सरकार ने श्री जौहरी, ए० सी० ओ०, सुल्तानपुर अवमपुर सर्किल ऐट कुन्हारी, परगना ज्वालापुर, रुड़की तहसील, जिला सहारनपुर जिनके विरुद्ध यह शिकायत थी, क्या कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। अभी जांच चल रही है। जांच समाप्त होने पर ही सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उठेगा।

*७८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त श्री जौहरी ने केस नम्बर, ४२, ६५ और २६ यू/एस-६ आफ यू० पी० कन्सोलीडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट में २० जनवरी, १९६० को क ही समय जो दो भिन्न फैसले लिखे हैं, वह दोनों सरकार को मिले हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग स्कीम (एन० सी० सी०)

*७९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग स्कीम (एन० सी० सी०) स्कूल तथा कालिजों में लागू होने के सम्बन्ध में यह आदेश देगी कि कालेज तथा स्कूल के समय में ही एक घंटा इस कार्य के लिये रक्खा जावे, ताकि कोई विद्यार्थी जा कर वापिस न आने के कारण गैरहाजिर न रहे?

श्री कल्याणप्रकाश—

इस विषय पर कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को लिखा है।

राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय, बड़ागांव को छात्रावास का किराया

*८०—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊबल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय, बड़ागांव, वाराणसी को कितने रुपये छात्राओं के निवास स्थान के किराये के लिये दिया जाता है और शुरू से जुलाई, सन् १९६३ तक कितने रुपये का मकान किराये पर लिया गया था? क्या अब उस मकान को छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश—

छात्राध्यापिकाओं के निवास के लिये जो भवन अब जुलाई, सन् १९६३ ई० से किराये पर लिया गया है उसका किराया २५० रुपया मासिक दिया जाता है। उसके पूर्व जिस भवन में छात्राध्यापिकायें रहती थीं उसका किराया १०० रु० मासिक था। जुलाई में उस मकान को छोड़ दिया गया है क्योंकि वह जर्जर दशा में था और छात्राध्यापिकाओं की संख्या अधिक हो जाने के कारण पर्याप्त भी नहीं था। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी निवास के लिए वह उपयुक्त नहीं था।

एल० टी० व सी० टी० ग्रेड अध्यापकों के नियुक्ति सम्बन्धी नियम

*८१—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊबल—

क्या सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि प्रसार अध्यापक के स्थान पर एल० टी० ग्रेड व सी० टी० ग्रेड के व्यक्ति हायर सेकेन्डरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल में क्रमशः रक्खे जायेंगे? यदि हां, तो उसका पालन वाराणसी जिले में क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसकी जांच सरकार करने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के प्रसार अध्यापक

*८२—श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में कितने ऐसे प्रसार अध्यापक हैं जो एक ही स्थान पर पांच साल से कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

आठ प्रसाराध्यापक।

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४२७ पर।)

गैरसरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा इण्टर कालेजों के कर्मचारियों का वेतन

*८३—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित हायर सेकेन्डरी स्कूलों और इंटर कालेजों के अध्यापकों के वेतनक्रम में सन् १९४७ और १९६० में दो-दो बार बढ़ोत्तरी हुई उसी प्रकर इन शिक्षा संस्थाओं के कार्यालय कर्मचारियों तथा चपरासी, चौकीदार, माली आदि के वेतन-क्रम को भी बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—

गैर सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा इन्टर कालेजों के लिपिकवर्ग का वेतनक्रम १९४७ में शासन द्वारा निर्धारित हुआ था। उनमें पुनः कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है क्योंकि उनका वेतनक्रम सरकारी स्कूलों के लिपिकों के लगभग बराबर है।

चपरासी, चौकीदार इत्यादि जो चतुर्थ वर्ग के व्यक्ति हैं, उनका वेतनक्रम शासन ने कभी निर्धारित नहीं किया। उनका वेतनक्रम स्कूलों के प्रबन्धक स्थानीय प्रचलित दरों के अनुसार देते हैं। इनके दरों को निर्धारित करने का प्रश्न प्रस्तुत "संकटकालीन परिस्थिति' में विचार करना सम्भव नहीं है।

फर्रुखाबाद में गंगा तथा रामगंगा पर पुलों की आवश्यकता

*८४—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार फतेहपुर कैन्टूनमेंट के महत्व को ध्यान में रखते हुये तथा प्रदेश की उत्तरी सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से फर्रुखाबाद में गंगा तथा रामगंगा के पुलों के निर्माण का कोई विचार कर रही है? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या पग उठाये हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इन पुलों के निर्माण की आवश्यकता के प्रति सरकार पूर्णतया जागरूक है किन्तु धनाभाव के कारण अभी तक इनके निर्माण के लिये आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध न कर सकी है। केन्द्रीय सरकार से इन पुलों के लिये ऋण अथवा अनुदान देने की प्रार्थना की गई थी परन्तु केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

कायमगंज में चकबन्दी का विरोध

*८५—श्री दयाराम शाक्य—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के उत्तरी भाग में लगभग प्रतिवर्ष जलप्लावित हो जाने पर भी उस क्षेत्र में चकबन्दी क्यों लागू की जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील कायमगंज में कुल ४४३ गांव हैं जिनमें से सर्वेक्षण के पश्चात् केवल ८४ गांव जलप्लावित होने के कारण चकबन्दी से अलग कर दिये गये थे, किन्तु सन् १९६३ की बाढ़ में गंगा नदी के बहाव का रुख दक्षिण की तरफ हो जाने के कारण कुछ और गांवों की भूमि पुनः नदी के पेटे में चली गई और इसका प्रभाव ३६ गांवों पर पड़ा है। इन गांवों को भी चकबन्दी के बाहर करने की सम्भावना पर जांच चल रही है।

*८६—श्री दयाराम शाक्य—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २६ अगस्त, १९६३ को चकबन्दी के विरोध में कायमगंज, तराई क्षेत्र के लोगों ने एक विशाल प्रदर्शन कायमगंज में किया और तहसीलदार तथा सी० ओ० द्वारा प्रतिवेदन सरकार के पास भेजे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कायमगंज के कुछ क्षेत्र को इस वर्ष की बाढ़ के कारण चकबन्दी से पृथक् कर देने के विषय में चकबन्दी अधिकारी (Consolidation officer) के कार्यालय के सामने कुछ किसानों द्वारा किये गये प्रदर्शन की सूचना मिली है। तहसील कार्यालय के सम्मुख हुए

ऐसे प्रदर्शन की कोई सूचना नहीं है। उन किसानों ने सरकार को भेजने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। कुछ गांवों के किसानों के प्रार्थना-पत्र उनके गांवों को चकबन्दी से अलग करने के लिये अवश्य प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

सफीपुर तहसील में चकबन्दी

*८७—श्री गोपीनाथ दीक्षित तथा श्री जियाउर्रहमान—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में सफीपुर तहसील में कटरी के ७७ गांवों को चकबन्दी से मुक्त करने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कथित प्रार्थना-पत्र पर समुचित विचार करने के पश्चात् कटरी क्षेत्र के २३ गांव चकबन्दी योजना से अलग कर दिये गये हैं।

*८८—श्री गोपीनाथ दीक्षित तथा श्री जियाउर्रहमान—

क्या यह बात सही है कि सफीपुर तहसील के कुल ३२० गांवों में से १२० गांवों को चकबन्दी से मुक्त करने का निश्चय पहिले हो गया था और उस आशय की सूचना सम्बन्धित गांवों को दे दी गई थी? यदि हां, तो इन्हीं १२० गांवों में से ७७ गांवों को पुनः चकबन्दी में शामिल करने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील सफीपुर में कुल ३९९ गांव हैं जिनमें से १२० गांवों को चकबन्दी से अलग करने का निर्णय पहिले लिया गया था, किन्तु इसकी सूचना सम्बन्धित गांवों को नहीं दी गई थी। इन १२० गांवों में से ७७ गांवों को पुनः चकबन्दी में शामिल नहीं किया गया।

प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार के विरोध में अनशन

*८९—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रतापगढ़ के किसी विधायक ने जिले की कचहरियों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध २२ अगस्त, १९६३ से २ सितम्बर, १९६३ तक कलेक्टर के इजलास के सामने अनशन किया था? यदि हां, तो भ्रष्टाचार निवारण के लिये कौन-सा कदम उठाया जा रहा है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या उस विधायक ने अनशन के पूर्व कोई पत्र जिलाधीश, प्रतापगढ़ और सरकार को लिखा था? यदि हां, तो क्या उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे और बतायेंगे कि पत्र के मांगों एवं सुझावों की पूर्ति की दिशा में कौन-सा कदम सरकार उठा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मुरादाबाद में लड़कियों की ट्रेनिंग की सुविधाएं

*९१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि मुरादाबाद जिले में लड़कियों की ट्रेनिंग के लिये नार्मल स्कूल अथवा जे० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या इस जिले में ट्रेनिंग स्कूल खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मुरादाबाद जिले में लड़कियों की ट्रेनिंग के लिये दो मान्यता प्राप्त गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थायें चल रही हैं । यदि और की आवश्यकता होगी तो खोलने के प्रश्न पर अगले वर्ष विचार किया जावेगा ।

*९२—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या लड़कियों के ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिये मुरादाबाद जिले से सरकार को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । मुरादाबाद जिले के तीन अराजकीय संस्थाओं से जे० टी० सी०, एच० टी० सी० कक्षायें उन संस्थाओं में खोलने के लिये इस वर्ष प्रार्थना-पत्र आये थे, परन्तु उन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकृत कर देना पड़ा क्योंकि वे प्रशिक्षण कक्षा खोलने के लिये उपयुक्त नहीं पाये गये ।

एटा में अमीनों का चुनाव

*९३—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में जो माल विभाग के अमीन वसूली के लिये नियुक्त किए गए हैं इस वर्ष, उनकी क्या योग्यता है और उनके क्या नाम हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४२८ पर)

*९४—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या यह सही है कि नये अमीनों के चुनाव में बिरादरीवाद व भ्रष्टाचार का प्रयोग किया गया इसी कारण जो अमीन पिछली फसल में थे, उनको नहीं लिया गया और नये अमीनों को ले लिया गया, जिनको कोई अनुभव नहीं था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं ।

*९५—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि इण्टरमीडियेट पास और बी० ए० फेल उम्मीदवार थे और उनको क्यों नहीं लिया गया और जो मिडिल पास भी नहीं थे वे ले लिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मिडिल फेल की नियुक्ति नहीं हुई है । जिन को नहीं लिया गया उनको जिलाधीश द्वारा उस पद के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया ।

*९६—९८—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न ६७–६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मंगलसेन भारतीय इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के अध्यापकों का वेतन

*९९—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मंगलसेन, भारतीय इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के मैनेजमेंट के अनुशासनहीनता के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर को अधिकार दिया गया है कि वह अध्यापकों आदि का वेतन वितरित करें ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कैलासप्रकाश—

जी हां, अक्तूबर, १९६१ से।

*१००—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या यह सही है कि वहां के समस्त अध्यापकों के वेतन एक साथ नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कितने अध्यापकों का वेतन कब तक का दिया जा चुका है और क्या किन्हीं अध्यापकों का वेतन अन्य अध्यापकों की अपेक्षा छै माह का कम दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं, सभी अध्यापकों को वेतन एक साथ दिया जाता है। एक अध्यापक को छोड़कर अन्य सभी अध्यापकों का वेतन सितम्बर, १९६३ तक दिया जा चुका है। एक अध्यापक का वेतन ६ माह का कम दिया गया है। कारण यह है कि इनको लगभग ६,००० रु० अवशेष वेतन के रूप में दिया जाना है और इतनी बड़ी रकम एक ही किस्त में देने से अन्य अध्यापकों को वेतन देना सम्भव नहीं था। इसलिये इनके अवशेष वेतन का भुगतान किस्तों में किया जा रहा है।

रिहन्द बांध में ली गई भूमि के लगान की वसूली

*१०१—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कोटा के दो कृषकों, श्री कुबेर तथा श्री रामदुलारे की भूमि रिहन्द बांध में मुआवजा देकर सरकार ने ले लिया परन्तु उस भूमि का लगान नाजायज तरीके से तहसील के कर्मचारीगण वसूल कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

*१०२—श्री रामप्यारे—

क्या यह बात सही है कि दोनों कृषकों ने सम्बन्धित अधिकारियों का कई बार ध्यान इस ओर दिलाया परन्तु उसकी सुनवाई के बदले उल्टे शक्ति से २२ रुपये श्री रामदुलारे से वसूल कर लिया गया और शेष वसूली के लिए कुर्की की धमकी दी जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सही नहीं है। हुआ यह कि स्पेशल लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर द्वारा बची हुई भूमि पर जो मालगुजारी नियत की गई वह ठीक नहीं थी और उसी दर पर वसूली होती रही। बाद में कृषकों के आवेदन-पत्र देने पर उप-मन्डलाधीश द्वारा ठीक कर दी गई।

*१०३—श्री रामप्यारे—

क्या सरकार इस पर तत्काल कार्यवाही करने की व्यवस्था करेगी जिससे ये दोनों कृषक परेशानी से मुक्त हो सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं ।

इलाहाबाद नगरमहापालिका के शिक्षा विभाग में गबन

*१०४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगरमहापालिका के शिक्षा विभाग आय-व्यय निरीक्षक ने हाल में बहुत बड़ा गबन पकड़ा है, तथा उससे सम्बन्धित कई कर्मचारी सस्पेंड किये गये हैं? यदि हां, तो यह गबन कितने धन का है तथा इस में कितने कर्मचारी अब तक सस्पेंड (मुअत्तल) किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । इलाहाबाद नगर महापालिका के बालक तथा बालिका शिक्षा विभाग में, खेल के चन्दे के हिसाब में कुछ गबन, आडिट विभाग द्वारा पकड़ा गया है । हिसाब-किताब की जांच अभी जारी है ।

अभी तक केवल रु० १,७७२.२३ न० पै० का गबन प्रकाश में आया है, तथा विभाग के दो संबंधित कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये हैं ।

कालोनी बसही से सम्पूर्णानन्द नगर तक सड़क की आवश्यकता

*१०५—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सही है कि बसही, रानीनगर और कृष्णानगर के निवासी यातायात के साधन बिना बराबर कष्ट झेलते हैं? यदि हां, तो क्या निर्माण मंत्री , जिला खीरी के कालोनी बसही से सम्पूर्णानन्द नगर तक अविलम्ब एक सड़क बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं । यह सब बस्तियां सम्पूर्णानन्द नगर से कच्ची सड़कों द्वारा मिली हुई हैं। इन सड़कों को पक्का करने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

बसही कालोनी में स्कूल की आवश्यकता

*१०६—श्री मंगलदेव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिवेश योजना के अन्तर्गत बसायी गयी बसही कालोनी, पोस्ट सम्पूर्णानन्दनगर जिला खीरी में क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल है ? यदि नहीं, तो क्या वहां शीघ्रातशीघ्र बच्चों के शिक्षण के लिए एक स्कूल खोलने की व्यवस्था होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं । किन्तु निकट भविष्य में जब नये स्कूल खोले जायेंगे तब इस स्थान पर स्कूल खोलने के विषय में विचार किया जायगा ।

श्री शोभनाथसिंह, ओवरसियर के विरुद्ध शिकायत

*१०७—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—

क्या यह सही है कि बस्ती जिले के विकास खंड, नौगढ़ के अन्तर्गत श्री गेनाउल्लाह नामक व्यक्ति ने अगस्त, सितम्बर, सन् १९६३ ई० तथा अक्तूबर, १९६३ ई० में तहसील नौगढ़, जिला बस्ती के सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी ओवरसियर के विरुद्ध शिकायती आवेदन-पत्र सार्वजनिक निर्माण मंत्री को दिया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, परन्तु श्री शोभनाथ सिंह, ओवरसियर के विरुद्ध श्री गेनाउल्लाह के केवल अगस्त और अक्तूबर, १९६३ के शिकायती आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ।

*१०८—श्रीमती गेंदादेवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त शिकायती आवेदन-पत्रों में क्या शिकायतें की गयी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४२९–४३० पर)

*१०९—श्रीमती गेंदादेवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त शिकायती आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अगस्त, १९६३ के आवेदन-पत्र में लिखित शिकायतों की जांच की गई परन्तु श्री शोभनाथ सिंह ओवरसियर के विरुद्ध लगाये गये अभियोग निराधार साबित हुये । अतएव ओवरसियर के प्रति कार्यवाही न की जा सकी ।

अक्तूबर, १९६३ के शिकायती आवेदन पत्र के जांच की रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं ।

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की वेतन-वृद्धि

*११०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लगभग ५ हजार अपर प्राइमरी स्कूलों में गत वर्ष से ही कक्षा ३ में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी अध्यापकों को अतिरिक्त वेतन देकर रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था और उसे कार्यान्वित किया गया है ? यदि हां, तो गत वर्ष का अतिरिक्त वेतन अब तक क्यों नहीं दिया गया और कक्षा ४ में अंग्रेजी पढ़ाने का क्या आयोजन किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

गत वर्ष (१९६२–६३) प्रदेश में ८,७३२ प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी की पढ़ाई ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारम्भ हुई थी किन्तु उक्त विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को अतिरिक्त वेतन देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था । उक्त अध्यापकों को दस रुपये प्रति मास का विशेष भत्ता देने का निर्णय इस वर्ष से किया गया है । यह विशेष भत्ता अध्यापकों को स्थानीय निकायों और प्राइवेट स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा दिया जाना है ।

उक्त ८,७३२ स्कूलों में इस वर्ष कक्षा ४ में भी अंग्रेजी की पढ़ाई ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारम्भ कर दी गई है ।

उसेहत क्षेत्र के पीड़ितों को सहायता

*१११—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बदायूं जिले के उसेहत क्षेत्र में मंडी के निकट गंगा का बांध टूटने से फसल, जन, धन की अनुमानित हानि कितनी हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लगभग २७,९६६ एकड़ भूमि में खरीफ फसल नष्ट हुई । ४६,३८२ जन-संख्या पीड़ित हुई । लगभग १,५०९ मकान नष्ट हुए जिनकी अनुमानित हानि ३,२६,००० रु० है । सरकारी उसेहत बांध को भी लगभग ११,५०० रु० का नुकसान हुआ । किसी मनुष्य या पशु की जीव-हानि नहीं हुई ।

*११२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रभावित क्षेत्र की जनता को सरकार ने क्या सहायता प्रदान की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जरूरतमंद पीड़ितों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई :—

	रु०
तात्कालिक सहायता	२८,८००
भवन निर्माणार्थ सहायता	२०,०००
तकावी	७७,०००
प्रासंगिक व्यय (contingent)	४,४००

इसके अतिरिक्त सरकारी नावों तथा दवाइयों का प्रबंध किया गया । गुड़, चना, मिट्टी का तेल आदि का भी वितरण किया गया ।

जूनियर हाई स्कूलों को भवन-निर्माण हेतु सहायता

*११३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्राइवेट अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को भवन निर्माण के लिये अनुदान प्रदान करने के विषय पर विचार किया है ? यदि हां, तो निर्णय क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, केवल स्थायी मान्यता प्राप्त साहाय्यिक जूनियर हाई स्कूलों को ही भवन अनुदान दिया जाता है ।

*११४—श्री रघुनाथसिंह—

[हटा दिया गया ।]

आजमगढ़ जिले से छात्रों की सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*११५—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ की नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जिलाधीश ने सरकार को अप्रैल की किस तिथि को पत्र लिखा और सरकार द्वारा जिलाधीश, आजमगढ़ से अतिरिक्त मांग के औचित्य के सम्बन्ध में कब स्पष्टीकरण मांगा गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिलाधीश, आजमगढ़ ने दिनांक ८ अप्रैल, १९६३ को पत्र भेजा तथा शासन द्वारा दिनांक ३ अगस्त, १९६३ को औचित्य का स्पष्टीकरण मांगा गया ।

*११६—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ ने कितने रुपये की अतिरिक्त मांग की है और क्या स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया ? यदि हां, तो परिणाम क्या हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिलाधीश, आजमगढ़ ने १०,००० रुपये का अतिरिक्त अनुदान मांगा है किन्तु जो स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।

*११७-११८—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पहूज नदी की बाढ़ से क्षति

*११९—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में १५ सितम्बर, १९६३ या उसके बाद या जो पहूज नदी में बाढ़ आई उससे कितने ग्रामों को हानि हुई और कितनी आर्थिक तथा पशु और जन की हानि हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस बाढ़ से ४५ ग्राम प्रभावित हुए और १०२ मकानों को पूर्ण क्षति तथा ७८ मकानों को अंशतः क्षति पहुंची । ३६,५०० रु० की अनुमानित हानि मकानों को तथा लगभग १,४०,५०० रु० की फसल को हुई । किसी पशु तथा जन की हानि नहीं हुई ।

*१२०—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिस पहूज नदी की बाढ़ से पिछले कई वर्षों से लगातार लाखों रुपये की सम्पत्ति तथा जन हानि होती रही है, उसकी रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या सक्रिय कदम उठाया है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जालौन जिले में जो खरीफ की फसल नष्ट हो गई है उसका लगान माफ करने की कृपा करेगी और यह भी बतायेगी कि खरीफ का कितना रकबा इस बाढ़ से प्रभावित हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पहूज नदी में पिछले वर्षों में नियमित रूप से बाढ़ नहीं आती रही है जिससे धन-जन का लाखों की तादाद में नुकसान हुआ हो । इस वर्ष संभवतः अधिक वर्षा और परीक्षा बांध का पानी नदी में किसी तरह आ जाने से नदी का स्तर अधिक हो गया जिसने बाढ़ का रूप धारण कर लिया । बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी की माफी तथा स्थगन की कार्यवाही नियमानुकूल की जा रही है ।

इस बाढ़ से जिले में २,१७८ एकड़ का रकबा प्रभावित हुआ है ।

विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में तृतीय श्रेणी की समाप्ति की प्रार्थना

*१२१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि परीक्षाओं में तृतीय श्रेणी में सफल होने वाले विद्यार्थियों को घटिया समझा जाता है और उनको जीवन में अच्छे अवसर मुश्किल से ही प्राप्त होते हैं ? क्या सरकार उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में तृतीय श्रेणी को खत्म करने पर ध्यान देगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह स्वयं स्पष्ट है कि तृतीय श्रेणी में सफल होने वाला विद्यार्थी उतनी तीव्र बुद्धि का नहीं समझा जाता जितना कि प्रथम या द्वितीय श्रेणी में सफल होने वाला विद्यार्थी, परन्तु वह जीवन में अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे अवसर प्राप्त कर सकता है।

तृतीय श्रेणी समाप्त करने पर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है।

*१२२–१२३—श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१२४—श्री शिवनाथसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२५—श्री लखीसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२६—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२७–१२८—श्री शिवनाथसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गय।]

*१२९–१३०—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१३१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न १२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१३२–१३३—श्री लखीसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

नागर क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन

*१३४—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन कानून अब तक किन-किन नगरों में लागू हो चुका है और वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा तथा दूसरे और नगरों में कब तक लागू हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी तक २९६ नागर क्षेत्रों में जमींदारी विनाश हो चुका है। तत्सम्बन्धी विज्ञप्तियां संख्या २९०१/१–क, ३२३५/१–क, ३१२५/१–क तथा २६५३/१–क, दिनांक १९ जून, १९६१, २९ जून, १९६१, २१ जून, १९६२, और १० जून, १९६३ क्रमशः दिनांक २४ जून, १९६१, २९ जून, १९६१, ३० जून, १९६२ और २९ जून, १९६३, के सरकारी गजटों में छप चुकी हैं, जिनमें संबंधित नागर क्षेत्रों की सूचियां उपलब्ध हैं। आगरा तथा इलाहाबाद के नगरों में क्रमशः १ जुलाई, १९६१ तथा १ जुलाई, १९६३ से जमींदारी विनाश हो चुका है। शेष नागर क्षेत्रों में जमींदारी विनाश तब किया जायगा जब कि वहां पर उ० प्र० नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ३ से ५ तक के अधीन कृषि क्षेत्रों का परिच्छेद कार्य पूरा हो जायगा।

*१३५—श्री ऊदल—

इस कानून को अब तक सभी नगरों में लागू न करने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पूर्व प्रश्न में दिये गये स्पष्टीकरण के कारण यह प्रश्न नहीं उठता ।

*१३६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३७—श्री गिरजाप्रसाद—

[हटा दिया गया ।]

शिक्षा विभाग द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार

*१३८—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने सन् १९६२–६३ में कितने पत्र अपने कार्यालय से सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भेजे हैं, उनमें हिन्दी के कितने हैं तथा अंग्रेजी के कितने हैं ?

*१३९—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग में पूरे प्रा त से १९६२–६३ में कितने पत्र हिंदी में आये हैं ? उनमें से कितने पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विभाग में प्राप्ति पंजी अंग्रेजी में रखी जाती है । उसमें कौन पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में आया और उनमें किस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया गया यह उल्लेख नहीं किया जाता । इस कारण आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

*१४०—श्री रामचरण शाह—

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के जो उत्तर अंग्रेजी में दिये गये हैं उनका कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

हिन्दी में टंकन जानने वालों की कमी । फिर भी हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर यथा समय हिन्दी में दिये जाते हैं ।

*१४१–१४३—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

[हटा दिये गये ।]

प्रधान, ग्राम गाजीपुर सम्बन्धित पट्टे का वाद

*१४४—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा गाजीपुर, तहसील विधूना, जिला इटावा के गांव सभा के प्रधान ने विस्थापित जाति के बसाने वाली भूमि के एक भाग का जो २० एकड़ के लगभग है, अपने भतीजे एवं पत्नी के नाम पट्टा करवा कर धान लगवा लिया है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में स्थानीय ग्रामीण जनों द्वारा उच्चाधिकारियों से जो शिकायत की गई उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विस्थापित जाति को बसाने के लिये कोई भूमि इस गांव में सुरक्षित नहीं थी। प्रधान ने जो पट्टे किये थे उनके बारे में वाद न्यायालय के विचाराधीन है ।

*१४५—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा गाजीपुर, तहसील विधूना, जिला इटावा में विस्थापितों को बसाने की कितनी भूमि का क्षेत्रफल निर्धारित था और उसमें कितनी भूमि का विस्थापितों और भूमिहीन कृषक परिवारों को पट्टा दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विस्थापितों को बसाने के लिये कोई भूमि सुरक्षित नहीं थी। २८५.८५ एकड़ भूमि के पट्टे किये गये हैं।

*१४६—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न १२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मुहम्मदाबाद तहसील में ए० सी० ओ० के विरुद्ध आरोप

*१४७—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए० सी०, ओ० बरहतिर, जगदीशपुर तथा सेमा, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ ने सुरक्षा कोष में कुल कितना चन्दा किन-किन गांवों से वसूल किया है और उसमें अमदही गांव से कितना पैसा वसूल किया है ? क्या रकम रसीद द्वारा वसूल हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और, क्या वसूल किया हुआ धन सुरक्षा कोष में जमा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या राजस्व मंत्री इसकी तत्काल जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जमा की गई धनराशि से संबंधित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। अमदही गांव से कुल २३९ रुपया वसूल किया गया। जिन लोगों ने रुपया दिया उन्हें उसकी प्राप्ति की रसीद दी गई तथा प्राप्त की हुई धनराशि सुरक्षा कोष में जमा कर दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४३१ पर)

*१४८—श्री सुरजन राम विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए० सी० ओ० बहरतिर, जगदीशपुर, तहसील मुहम्मदाबाद के विरुद्ध बरहतिर, जगदीशपुर के प्रधान तथा इसी गांव की जनता ने सितम्बर के अन्तिम अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में कोई आवेदन जिलाधीश आजमगढ़, माल मंत्री चकबन्दी डाइरेक्टर तथा जिला बन्दोबस्त अधिकारी, आजमगढ़ को दिया है ? यदि हां, तो किस विषय का और उस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां।

प्रार्थना-पत्र अक्तूबर, सन् १९६३ के प्रथम सप्ताह में दिया गया था जिसमें ए० सी० ओ०, बरहतिर, जगदीशपुर के विरुद्ध चकबन्दी अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत की गई उत्तरदारियां गायब करने, प्रधान को धोखा देकर ग्राम समाज के मुकदमों में हस्ताक्षर कराकर ग्राम समाज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने, उसी गांव के कुछ लोगों से सुरक्षा कोष के लिये बिना रसीद दिये धन लेने, जनता से दुर्व्यवहार तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे।

जांच करने पर ये सभी आरोप निराधार पाये गये।

*१४९—श्री सुरजनराम विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए० एस० ओ० सी०, झांसी नं २६, २७, २८, और २९ दिसम्बर, १९६३ को किन-किन गांवों का मौके-मौके मुआइना करके उन गांवों का फैसला किया ? क्या यह सही है कि केवल जहांनागंज सी० ओ० सेंटर पर ही बिना मुआइना किये सारे मुकद्दमों का फैसला किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कानून के उल्लंघन के अपराध में उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ए० एस० ओ० सी० ने उन विनांकों में अकबरपुर तथा सेल्हीवारी गांवों का निरीक्षण किया। अपील के फैसलों का संबंध न्यायालय के कार्य से है उसके विषय में कोई सूचना देना उचित न होगा ।

*१५०-१५१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५२-१५४—श्री इन्द्रासनसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

शिक्षा दल के अस्थायी स्टाफ इन्स्ट्रक्टर्स का वेतन

*१५५—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रांतीय शिक्षा दल में कितने स्थायी और कितने अस्थायी स्टाफ इंस्ट्रक्टर कार्य कर रहे हैं और उनके वेतन-क्रम क्या हैं ? क्या सरकार के पास उन्होंने अपना कोई प्रार्थना-पत्र वेतन के संबंध में दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रदेशीय शिक्षा दल में ६८ स्थायी और ११४ अस्थायी स्टाफ इंस्ट्रक्टर्स कार्य कर रहे हैं, उनका वेतन ७५ रु० अचल (fixed) प्रति माह है । वेतन बढ़ाने के संबंध में कुछ स्टाफ इन्स्ट्रक्टरों ने शिक्षा निदेशक को प्रार्थना-पत्र भेजे हैं जिन पर अभी शिक्षा निदेशक द्वारा विचार किया जा रहा है ।

नोरहिइया नाले की मछलियों का नीलाम

*१५६—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम लोहरी पसई, परगना रामनगर, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत नाला नोरहिइया की मछली फसली सन् १३६८, १३६९ व १३७० में कितने रुपये की प्रत्येक फसली में नीलाम हुई थी ?

*१५७—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त फसली में किस फसली का रुपया सरकारी खजाने में नहीं जमा हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कानपुर महापालिका का प्रस्ताव

*१५८—श्री संतसिंह यूसुफ(जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महापालिका ने अपना प्रस्ताव संख्या २३९ जो २५ अगस्त, १९६२ को पारित हुआ था, सरकार के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

प्रस्ताव से संबंधित स्थिति मुख्य नगराधिकारी, कानपुर को स्पष्ट कर दी गई ।

अतारांकित प्रश्न

ऋण छात्रवृत्ति योजना

१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में अब तक उच्च शिक्षा के लिये कर्ज प्राप्त करने के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र आये तथा कितने लोगों को कितना धन कर्ज के रूप में दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

१९६२-६३ में उच्च शिक्षा के लिये ऋण देने की कोई योजना शिक्षा विभाग में नहीं थी । इस वर्ष भारत सरकार द्वारा चालू की गयी ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत १,३४६ प्रार्थना-पत्र आये जो शासन के विचाराधीन हैं ।

फतेहाबाद तहसील में नाले से क्षतिग्रस्तों को सहायता

२—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या एक नाला जो जिला आगरा की तहसील फतेहाबाद के जगराजपुर से नदिया अग्नौटा की ओर जाता है, उसमें हाल में बरसाती पानी का अधिक प्रवाह होने के कारण वहां के अनेक गांव गर्की के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें नगला नाथू, बसई, भोजपुर, रामगढ़, हीरापुरा प्रमुख हैं ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त गांवों को इस गरकी से कितनी हानि हुई है और उनको सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील फतेहाबाद के गांव जगराजपुर से निकलने वाले नाले से गांव रामगढ़ व हीरा का पूरा मजरा रामगढ़ की भूमि पर विशेष प्रभाव पड़ा है । गांव बसई में भी इसी गांव से निकलने वाले नाले से जो कि गांव जगराजपुर से निकलने वाले नाले में मिलता है, प्रभाव पड़ा है। गांव भोजपुर एवं नगला नाथू मजरा सलेमपुर धनकर में गरकी होने का कारण जगराजपुर से निकलने वाला नाला नहीं बल्कि नहर के व अतिवृष्टि के जल के निकास का न होना है ।

उपरोक्त गांवों में रुपये में बारह आने की हानि हुई है तथा मकानों को भी क्षति पहुंची है ।

जरूरतमन्द पीड़ितों को ४४० रु० अहेतुक सहायता, १,१७० रु० गृह निर्माण सहायता तथा ६,६८५ रु० आपद् तकावी के रूप में सहायता दी गई । चना, गुड़, आदि भी वितरित किये गये । राजकीय कर में छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है ।

फतेहपुर जिले में कन्या जूनियर हाई स्कूलों को सहायता

३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष १९६२–१९६३ में फतेहपुर जिलान्तर्गत किन-किन स्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त अथवा व्यक्तिगत कन्या जूनियर हाई स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा किन-किन प्रयोजनों के निमित्त कितनी-कितनी धनराशि किन-किन द्वारा कब-कब प्रदत्त की गई ? क्या प्राप्त की गई धनराशि का प्रयोग सही प्रकार से किन-किन प्राप्तकर्ताओं ने नहीं किया ? क्या उपरोक्त दी गई धनराशि विभागीय जांच-पड़ताल के पश्चात् दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४३२ पर)

दीक्षा विद्यालयों में छात्र

४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान चालू वर्ष में दीक्षा विद्यालयों (नार्मल, जे०टी०सी०, सी०टी०) में सरकार द्वारा भेजे जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में कौन-सी प्रणाली सरकार द्वारा अपनायी गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस वर्ष नार्मल, जे०टी०सी० तथा सी०टी० (पुरुष) में मनोनयन हेतु शासन ने निर्वाचन समितियों से निर्धारित कोटे से अधिक नामों की सूची मांगी और साधारणतया उसी के आधार पर मनोनयन किया गया ।

५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में दीक्षा विद्यालयों (नार्मल जे०टी० सी०, तथा सी०टी०) में इस वर्ष कितने छात्र सरकार द्वारा भेजे गये और गत वर्ष कितने भेजे गये थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

राजकीय नार्मल, जे०टी०सी० तथा सी०टी० में कुल मिलाकर इस वर्ष १,३२३ तथा गत वर्ष १,८७९ छात्र सरकार द्वारा भेजे गये ।

६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जे०टी०सी० ट्रेनिंग कालेज न खोलने का कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

आजमगढ़ में राजकीय जे०टी०सी० कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिन्दकी तहसील में लेखपालों का स्थायीकरण

७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिलान्तर्गत बिन्दकी तहसील में क्या लेखपालों की कोई ऐसी सूची बनी है जिससे समयानुसार उन्हें प्राथमिकता क्रम से स्थायित्व प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो वह कब बनायी गयी तथा सूची के क्रमानुसार लेख-पालों के नाम क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेखपाल सेवा नियमावली, १९५८ के नियम ६ के अन्तर्गत जिला स्तर पर उम्मीदवारों की एक सूची अवश्य बनाई जाती है जिसका प्रयोग नियुक्ति के लिये किया जाता है । स्थायीकरण के लिये कोई सूची नहीं बनाई जाती है । तहसील में कोई सूची नहीं बनाई जाती है ।

८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थायित्व प्राप्त करने संबंधी बनी प्राथमिकता—क्रम सूची से ही लेखपाल स्थायी किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन ? यदि नहीं, तो ऐसा न करने के मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न ७ के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा डिप्टी इन्स्पेक्टर, देवरिया के स्थानान्तरण पर विचार

९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के शिक्षा डिप्टी इन्स्पेक्टर, देवरिया में कितने दिनों से हैं ? तीन साल से अधिक देवरिया में इस पद पर रखने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

दिनांक २० जुलाई, १९६० से ।

पिछले वार्षिक प्रबन्ध के समय इनकी ३ वर्ष की साधारण अवधि पूरी नहीं हुई थी । अब इनके स्थानान्तरण का प्रश्न निदेशक के विचाराधीन है ।

प्रसार अध्यापकों का स्थानान्तरण

१०—श्री रामआसरे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रसार अध्यापकों के तबादले में क्या नियम अपनाया जाता है ? कितने समय तक वे एक स्थान पर रखे जाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रसाराध्यापकों के स्थानान्तरण के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है ।

११—श्री रामआसरे—

क्या यह सही है कि वाराणसी जिला में प्रसार अध्यापक साल-साल भर में एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर बदल दिये जाते हैं, जब कि वहीं पर अनेक ऐसे प्रसार अध्यापक हैं जो अपनी नियुक्ति के दिन से एक ही स्थान पर तथा एक ही विद्यालय में रखे गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

पंचायत हायर सेकेन्डरी स्कूल, गौरा-मेंहनगर के विद्यार्थियों की परीक्षा

१२—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि की शिक्षा देने के लिये जिन विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गयी उसकी प्रकाशित सूची में "पंचायत हायर सेकेंडरी स्कूल, गौरा मेंहनगर, जिला आजमगढ़" का नाम भी था ? यदि हां, तो उस विद्यालय के छात्रों को परीक्षा में बैठने की स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

परिषद् की १९६० की प्रकाशित सूची में पंचायत हायर सेकेंड्री स्कूल गौरा-मेंहनगर, आजमगढ़ का नाम कृषिवर्ग में हाई स्कूल की परीक्षा के लिये मान्य प्रेस की गलती से छप गया था और वास्तव में माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने इस संस्था को कृषिवर्ग में मान्यता प्रदान नहीं की थी । इस संस्था के कृषि वर्ग के विद्यार्थियों को हाई स्कूल की परीक्षा में इसी कारण संस्थागत विद्यार्थियों के रूप में सम्मिलित न करके विशेष अनुमति से व्यक्तिगत विद्यार्थियों के रूप में सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई ।

१३—श्री छांगुर—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विद्यालय का नाम मान्यता की प्रकाशित सूची में होने के उपरान्त भी उस विद्यालय को कृषि की मान्यता नहीं मिली और उसके विरोध में विद्यालय के प्रबन्धक ने सरकार के पास प्रतिरोध-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उसके क्या आधार हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रकाशित सूची में प्रेस की गलती से कृषिवर्ग में मान्य छप जाने से किसी संस्था को मान्यता पाने का अधिकार नहीं होता । परिषद् द्वारा वास्तव में इसे मान्यता प्रदान नहीं की गई थी । विद्यालय के प्रबन्धक ने बाद में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को प्रत्यावेदन किया और इसमें अमान्य कृषि कक्षा खोलने की भूल स्वीकार की और खेद प्रकट किया है । अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने इस संस्था के मान्यता की प्रार्थना पर पुनः विचार करने के आदेश दिये हैं ।

लखनऊ क्षेत्र में नार्मल तथा माडल स्कूल

१४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रीजन में कौन-कौन स्थानों पर गवर्नमेंट माडल स्कूल और गवर्नमेंट नार्मल स्कूल हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४३३ पर)

वाराणसी जिले में प्रशासन योजना से अलग हायर सेकेण्डरी स्कूल

१५—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में कितन ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिन्होंने प्रशासन योजना नहीं स्वीकार की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

केवल पांच ।

केराकत व मड़ियाहूं दीक्षान्त विद्यालय में हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्र

१६—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नार्मल स्कूल मडियाहूं एवं केराकत नार्मल स्कूल जो जौनपुर जिले में है उसमें प्रत्येक में इस वर्ष (१९६३–६४) में कितने छात्र भर्ती किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस वर्ष अभी तक नार्मल स्कूल केराकत में ५२ छात्र और मडियाहूं में ४४ छात्र भर्ती हो चुके हैं।

१७—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नार्मल स्कूलों में भर्ती करने का क्या आधार बनाया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

भर्ती करने का आधार अभ्यर्थियों की योग्यता तथा उनकी उच्चतम पास की हुई परीक्षा के प्राप्तांक हैं।

१८—श्री जगन्नाथ राव—

जौनपुर जिले के राजकीय दीक्षा विद्यालय केराकत व मडियाहूं में चालू वर्ष १९६३–६४ में जो छात्र भर्ती किये गये उसमें हरिजन व पिछड़ी जाति के कौन-कौन छात्र हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

केराकत में ११ हरिजन, १७ पिछड़ी जाति और मड़ियाहूं में ६ हरिजन, १३ पिछड़ी जाति के छात्र भर्ती हुए। उनके नामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४३४ पर)

श्रीमती आर० के० शंकर, प्रधानाध्यापिका का बदायूं से स्थानान्तरण न होना

१९—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला में शिक्षा विभाग के कितने ऐसे गजटेड अध्यापक हैं जो कि गत ५ वर्षों से अधिक से इसी जिले में कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

केवल एक।

श्रीमती आर० के० शंकर, प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, बदायूं।

२०–२१—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

[६ठे बुधवार के लिये प्रश्न १९–२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

२२—श्री इन्द्रासनसिंह—

[हटा दिया गया।]

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति

२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश के सभी हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों के रूप में बदल देने का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सुझाव के अनुरूप योजना के अन्त तक कार्य हो जायगा ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने सभी प्रदेशों में त्रिवर्षीय सेकेन्डरी पाठ्यक्रम लागू किये जाने का सुझाव दिया था और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से इस हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। आल इंडिया कौंसिल आफ सेकेन्डरी एजूकेशन ने इसे मन्द गति से कार्यान्वित किये जाने पर चिन्ता व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यहां इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रम सेडलर कमीशन के सुझावों पर सन् १९२१ से चालू है। इस स्थिति को शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया और उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में डाइवर्सिफाइड कोर्स को माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिये सहायता भी प्रदान की थी।

अक्तूबर, १९६३ में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने उत्तर प्रदेश की योजना को सही पाया और अब उन्होंने ४ वर्षीय हायर सेकेन्डरी कोर्स को चालू करने की संस्तुति की है। यह योजना पूर्णतया उत्तर प्रदेश की प्रचलित माध्यमिक शिक्षा योजना के अनुकूल है।

इस स्थिति में दूसरे तथा तीसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

२४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों के रूप में परिवर्तित कर सकने की कुल प्रतिशत क्या है तथा इस मन्द गति से कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उपर्युक्त स्थिति में यह प्रश्न भी नहीं उठता।

२५–२७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ विश्वविद्यालय में राज्य की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण

२८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराना प्रारम्भ किया था ? यदि हां, तो उसे बीच में ही क्यों रोक दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष ने स्वयं सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था। जिसके लिये १९६१–६२ व १९६२–६३ में आर्थिक सहायता दी गई थी। इस वर्ष, धनाभाव के कारण आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी है।

२९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या यह सत्य है कि उक्त संस्था द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । इस संबंध में रिपोर्ट की केवल एक प्रति ही उपलब्ध हो पायी है । माननीय सदस्य यदि देखना चाहें तो मेरे कार्यालय में इसे देख सकते हैं ।

३०-३२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ८६-८८ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

३३-३४—श्री कल्पनार्थासिह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

३५-३७—श्री सुखदेवप्रसाद—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

३८-४०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

४१-४२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

४३—श्री ऊदल—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

४४-४५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फरेंदा तहसील में कथित "मिजौबलिया" बांध

४६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के अन्तर्गत "मिजौबलिया बांध" के लिये जो जमीन किसानों की ले ली गई है उस जमीन का मुआवजा कब किसानों को दिया गया तथा किस दर से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गोरखपुर जिले में "मिजौबलिया" नाम का कोई बांध नहीं है अतएव इसके लिये जमीन लेने तथा उसका मुआविजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

४७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जमीन जो बांध में ले ली गयी है उसकी मालगुजारी अभी भी किसानों से वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

छात्र-वृद्धि आन्दोलन

४८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो भर्ती अभियान १४ अक्टूबर, १९६३ से चलाया गया है उक्त सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित किये गये, क्या उनकी संक्षिप्त रूप रेखा सरकार सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। आयोजित कार्यक्रम की †रूपरेखा प्रस्तुत है।

४९-५१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद अग्निकाण्ड

५२—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहर फर्रुखाबाद में अगस्त, १९६३ के दूसरे सप्ताह में बाजार में भीषण आग लगने की घटना हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितनी दूकानें जलीं और पीड़ितों को सरकार की ओर से क्या सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। इस आग से १५ दूकानें जलीं। दस पीड़ित व्यक्तियों ने सहायता के रूप में ऋण मांगा था। उनको सरकार ने २५० रु० प्रति व्यक्ति ऋण देना स्वीकृत किया।

५३—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सही है कि काफी बड़ी आबादी के इस जिले में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस जिले में अभी आग बुझाने के लिये फायर ब्रिगेड (आग बुझाने का दल) नहीं है। इसकी व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है।

पैलानी—गलौलीघाट सड़क

५४—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा में पैलानी से मड़ौली होती हुई भरुआसुमेर तक सड़क बनना स्वीकार हो चुका था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि उपरोक्त निर्माण-कार्य में क्या प्रगति हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पैलानी-भरुआसुमेरपुर सड़क के १० मील भाग के निर्माण का कार्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया था, परन्तु जिला परिषद्, बांदा ने सुझाव दिया है कि इस सड़क के स्थान पर पैलानी-गलौलीघाट सड़क का निर्माण किया जाय। यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है, जिस पर निर्णय होने के बाद सड़क निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा।

---

†छापी नहीं गई।

५५-५६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[६३ शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फारूक गोलीकांड के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, २७ सितम्बर की कार्यवाही में आपने यह आश्वासन दिया था कि फारूक गोलीकांड के विषय में सदन के सामने वक्तव्य दिलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

वह २७ सितम्बर की कार्यवाही मेरे सामने नहीं है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

फारूक गोलीकांड के संबंध में आपने माननीय गृहमंत्री से स्टेटमेंट दिलाने के लिये कहा था और यह भी कहा था कि तब हम विचार कर लेंगे कि यह रिपोर्ट यहां रखी जाय या नहीं । सदन इतने दिनों तक के लिये नहीं उठेगा कि यह मामला भूल जाय और अब कदाचित् आप भूल गये, परन्तु मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसको अब ३ महीने हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया हमसे मिल लें तो याद आजायगा ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

अगर आप गृह मंत्री जी से पूछें कि वह फारूक गोली कांड के विषय में विचार कर चुके हैं, या नहीं तो मालूम हो जायगा कि वह कब स्टेटमेंट देंगे । उन्होंने उस पर कहा था कि यह विचाराधीन है तो अब वे विचार चुके होंगे । अतः पूछ लिया जाय कि वह कब वक्तव्य देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, कृपया बतला दीजिये कि कब इस पर वक्तव्य दीजियेगा ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

उस वक्तव्य के लिये आप कोई तारीख निश्चित कर दें तो मैं दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

२४ तारीख को आप दे दें ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, मैं २४ तारीख को दे दूंगा ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का वह वक्तव्य सदन में आयेगा या वह रिपोर्ट सदन में चर्चा के लिये आयेगी । २४ तारीख को यह सदन भी उठने जा रहा है और २४ तारीख को ही वह वक्तव्य देंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि फारूक गोलीकांड के बारे में जो कमीशन की रिपोर्ट है वह इस सदन में चर्चा के लिये आनी चाहिये । वक्तव्य तो किसी समय दिया जा सकता है लेकिन २४ तारीख उस पर चर्चा के लिये नियत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं हो सकता। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि आज २०, २३ और २४ तारीख असरकारी दिवस हैं। असरकारी दिवस के लिये कोई ऐसा काम नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि उस दिन जब २४ तारीख को मंत्री जी बयान देंगे तो यह प्रश्न आप पूछ लीजियेगा। उस समय तय हो जायगा।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में जानकारी

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की हड़ताल के बारे में जानना चाहता था। उसके लिये आपने आज का दिन निर्धारित किया था। वह आज के एजेन्डे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है। कल उन्होंने अपनी अड़चन मुझे लिखकर भेज दी थी उसको मैंने सोमवार तक के लिये कर दिया है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं भी यह सवाल करना चाहता था कि स्टेट के आयुर्वेदिक कालेजों में जो हड़ताल चल रही है उसके लिये २० तारीख थी। यही जानकारी चाहता था जो अभी आपने बतलाई।

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ को, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४३५–४४१ पर)

बहीखाते पर हस्ताक्षर न करने के सम्बन्ध में श्री नरसिंहनारायण पांडेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना है, श्री बैजनाथ सिंह और श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त की। जो बातें यहां हुई हैं उनके विचार से यह महत्वपूर्ण है और उसे सचिव महोदय आपको पढ़कर सुनाये देते हैं।

सचिव, विधान सभा—

सेवा में, अध्यक्ष विधान सभा, लखनऊ।

निवेदन यह है कि मैं श्री नरसिंह नारायण पांडेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दे रहा हूं, माननीय नरसिंह नारायण पांडेय ने सदन के सामने एक बहीखाता इस बात के सबूत के रूप में रखा कि एक माननीय मंत्री जी ने नाजायज धन गांजे के तस्कर व्यापारियों से प्राप्त किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस बहीखाते पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा तो उन्होंने

इन्कार कर दिया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने एक जाली बहीखाता सदन के सम्मुख उपस्थित कर के सदन को मिसलीड किया है। यह सदन का अवमान है। इसलिये इसे विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेज दिया जाय। ह० श्री बैजनाथ सिंह और श्री ब्रज मोहन लाल गुप्त।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मुझे इसका कोई नोटिस नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में मैं एक सूचना दे दूं कि यह जब आया है उस समय तक हमारे सामने सिर्फ माननीय नरसिंह नारायण का इन्कार था कि वे हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं लेकिन सायंकाल करीब ६ बजे वे आये मेरे पास। उन्होंने लिख कर मुझे प्रार्थना-पत्र दिया और यह चाहा कि मैं इस सदन में इस बात की घोषणा कर दूं या करा दूं कि हस्ताक्षर करने के लिये माननीय नरसिंह नारायण तैयार हैं। मैंने उनसे कहा कि पहले आप हस्ताक्षर कर दीजिये। मैं घोषणा इस संबंध में कुछ नहीं करूंगा। इस पत्र का मैं नोटिस नहीं लूंगा। आप हस्ताक्षर कर दीजिये। तब आज मुझे यह रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये हैं और बहीखाते फिर से सील हो गये हैं। अब यह पोजीशन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं एक निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—

अब इस संबंध में माननीय बैजनाथसिंह अगर कुछ कहना चाहते हों तो उनको सुन लिया जाय।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने भी इस बात पर निर्णय दिया था और आपके बाद उस आसन पर बैठे हुये उपाध्यक्ष महोदय ने भी इस बात की घोषणा की थी कि अब यह मसला समाप्त समझा जायगा। माननीया सुचेता कृपालानी के उस वक्तव्य के बाद, माननीय नरसिंह नारायण जी ने जो कहा था, उस पर उन्होंने यह मत प्रकट किया कि वह हर पेज पर अपने दस्तखत कर दें और वे अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो उनको भी संदेह होगा कि क्या बात है। अब उन्होंने दस्तखत कर दिये हैं और उसकी सूचना आपको मिल गयी है और वह खाते सील हो गये हैं और आपने निर्णय कर दिया कि मामला समाप्त कर दिया जाय तो मैं नहीं समझता कि फिर इस मसले पर बहस आदि मौका आप क्यों दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना अंतिम निर्णय दें या यह का मामला चलता ही रहेगा, अलादीन की कहानी की तरह ?

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था प्रश्न है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं इसी व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में कहना चाहता हूं कि अगर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध उठाया जाता है तो पहला काम उसमें उस माननीय सदस्य को उसकी कापी देना होता है। वह कापी माननीय पांडेय जी को अभी तक नहीं मिली है। इसलिये इस संबंध में कोई बात नहीं होनी चाहिये।

*श्री कल्पनार्थसिंह—

अध्यक्ष महोदय, कई दिन से इस बात पर रोज एक न एक विशेषाधिकार का नोटिस आ जाता है । मुझे बड़ा ताज्जुब है श्रीमन्, कि उस दिन जब मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर आपको शक है कि टेंपरिंग होगी तो उसके हर पेज पर आप दस्तखत कर दें । और जब पांडे जी से दस्तखत करने को कहा गया तो उसमें उन्होंने अक्ल के दांव पेंच लगाये । मैं नहीं जानता कि वह कहां तक गलत है या कहां तक सही है लेकिन इतना मै जरूर कहना चाहूंगा कि जब पांडेय जी कल शाम को ही यह चैप्टर बन्द कर चुके थे, फिर बैजनार्थसिंह जी के मोशन को लाकर, उसे पढ़वाकर इस सदन में उस प्रसंग को फिर खोलने में कौन-सा औचित्य है ? क्या आप इस काम को अपने कमरे में कर लेने में सक्षम नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय झारखण्डेराय जी के प्रश्न पर आप मेरी बात सुन लें ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आज की तारीख से जितनी नोटिसें विशेषाधिकार की आयेगीं, चाहे उसमें प्राइमाफेसी केस बनता हो या न बनता हो वे संगत हो अथवा असंगत, क्या आप उन सबको सदन में पढ़ देंगे ?

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जब नरसिंहनारायण जी ने दस्तखत कर दिये उसके बाद तो विशेषाधिकार का कोई प्रश्न बनता नहीं । लेकिन श्रीमन्, इस संबंध में मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि इस सदन के सात आदमियों की एक कमेटी बना कर इस मामले को उसे सौंप दिया जाय । उसे पूरा हक हो कि इस बहीखाते को वह देखे और जो आरोप लगाये गये हैं, वह उन सारे आरोपों की जांच करे और उसके बाद वह अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे । कमेटी को यह भी हक हो कि जो भी दोषी ठहराया जाय उसके लिये वह दंड की सिफारिश करे । पहले उन्होंने दस्तखत करने से इन्कार कर दिया फिर न जाने क्या सोच कर दस्तखत कर दिये । हाउस में इन्कार किया और कमरे में जा कर दस्तखत कर दिये तो इससे संदेह पैदा होने को आधार मिलता है । जो बात सदन में कही गयी उसके लिये नोटिस की जरूरत नहीं होती । विशेषाधिकार का सवाल इसलिये भी उठ जाता है कि उन्होंने आप के कार्यालय पर आरोप लगाया कि हो सकता है कि टेंपरिंग करने की बात की गयी हो । इसके लिये मेरी प्रार्थना है कि सदन की एक कमेटी बनायी जाय जो इस सारे मामले को देखे ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) —

मैं यह उठा रहा हूं कि आपको नरसिंह नारायण पांडेय द्वारा लिखित यह सूचना दी गयी थी और मिल गयी कि वे दस्तखत करने को तैयार हैं और दस्तखत कल ६ बजे कर भी दिये । तो जिस प्रकार आपने मेरे एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को पढ़कर वहीं खत्म कर दिया और यहां नहीं पढ़ा उसी तरह से इसको भी वहीं खत्म कर देते और न पढ़ते । जब यह आपकी जानकारी में था कि उन्होंने दस्तखत कर दिये फिर भी आपने उसे पढ़ दिया तो क्या इससे सदन का अवमान नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उस सम्बन्ध में कहने जा रहा हूं । आप सुनिये तो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया) —

मैं जो प्रश्न झारखंडे राय जी ने उठाया है उसी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा रहा हूं। मैं आपका ध्यान विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में जो नियम हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि एक ही प्रश्न पर एक सत्र में कई बार विशेषाधिकार के प्रश्न उपस्थित नहीं किये जायेंगे। मैं यह बाअदब आग्रह करना चाहता हूं कि यह प्रथा कब बन्द की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप वही बात कह रहे हैं जो माननीय कल्पनार्थसिंह ने कही।

श्री रामायणराय —

इसीलिये मैंने आपसे उस दिन निवेदन किया था कि आप ऐसी बातों को सदन में न पढ़ें और वहीं अपने कक्ष में क्यों नहीं निपटारा कर देते।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) —

एक व्यवस्था का प्रश्न हमारा भी है। माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने तस्कर व्यापारियों की नामावली घोषित नहीं की है और सिर्फ बहीखाता पेश कर दिया है। उसमें सेल्स टैक्स की चोरी हुई हो तो उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ? नरसिंहनारायण पांडेय होंगे या तस्कर व्यापारी होंगे जब नाम उन्होंने नहीं बतलाये और बिक्री-कर का जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप मुझे भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

अभी मुझे व्यवस्था देनी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

मुझे आप गैग मत कीजिये यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—

पहले जो व्यवस्था का प्रश्न है उसको मैं समाप्त कर लूं। अगर मैं इसको स्वीकार करता तो मैं यह जानने का प्रयत्न करता कि माननीय नरसिंह नारायण पांडेय को इसकी प्रतिलिपि मिली या नही। मैं यह सूचना दे रहा हूं कि उन्होंने पहले इन्कार किया था और बाद को स्वीकार कर लिया और हस्ताक्षर कर दिये। अब ऐसी अवस्था में....

श्री रामायणराय —

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है। माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने एक दिन २ बहीखाते इस सदन में पेश किये थे और किसी विशेष मन्त्री की तरफ उनका संकेत भी था, भ्रष्टाचार का। उसी दिन...

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) —

ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कोई भी बीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हो, ज ा तक माननीय सदस्य को उसकी कापी न मिल जाय तब तक सदन के अन्दर उस पर किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसी को कह रहा था।

श्री नेकराम शर्मा—

जब माननीय सदस्य को कापी नहीं मिली तो उस पर कोई भी चर्चा होना यह बिलकुल परम्पराओं और नियमों के विरुद्ध है। इसलिये जितनी भी बहस इस पर अब तक हुई है उसको आप रिकार्ड में न लें उसको रिकर्ड से बाहर कर दें। और इस पर चर्चा आगे बन्द कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

नेकराम जी, मैं सोच रहा था कि इसे स्वीकार न करूं। अगर इस पर विवाद कराना होता तो नकल भिजवाने के लिये मैं कहता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं इसलिये नहीं भेजा जायगा।

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य—

पहले मेरी बात सुन लें, तब फैसला दें।

श्री रामायणराय—

इनकी बात जरूर सुनिये। आप लोग जान-बूझकर इस सदन में गड़बड़ी पैदा करते हैं। इनसे सुनवाइये, मान्यवर, हम लोग भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। इस सम्बन्ध में यह काशीनाथ जी का प्रस्ताव है। मैंने इसको पढ़ा नहीं है। काशीनाथ जी कुछ कह रहे थे इस सम्बन्ध में.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारा जो प्रस्ताव है वह पढ़ दिया जाय।

*श्री कल्पनार्थसिंह—

एक प्वाइंट आफ आर्डर है। आजकल कई दिन से गांजे के बारे में चर्चा चल रही है। न हम और न हमारे दल का कोई सदस्य अपने मन में कोई बात लाया। तकलीफ जरूर होती थी कि सदन की जो स्थिति बिगड़ रही है....

श्री अध्यक्ष—

आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री कल्पनार्थसिंह—

उसी के सम्बन्ध में भूमिका कह रहा हूं, उसके बाद आपको व्यवस्था देने में आसानी होगी। कल मुख्य मंत्री जी के ध्यान पर हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और गृह मंत्री के आश्वासन से भी काफी संतोष हुआ कि बड़ी अच्छी परम्परा इस सदन में रखी गयी। पुनः आज विशेषाधिकार का नोटिस जो पढ़ा गया, वह हमारी समझ से नियमों के अनुसार नहीं है और रामायणराय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री, नेकराम जी शर्मा, झारखण्डेराय जी ने भी कहा कि यह नोटिस नहीं पढ़ा जाना चाहिये था, क्योंकि नरसिंहनारायण जी ने कल दस्तखत कर दिये तो आटोमैटिकली अपने आप यह खत्म हो गया। दूसरे, नरसिंहनारायण जी को नोटिस नहीं मिला, प्रतिलिपि नहीं मिली इसलिये भी उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिये थी। तो जैसे आपने केशरीप्रसाद जी के कुछ शब्द रेकार्ड से हटवा दिये, ठीक इसी तरह से बड़ी मेहरबानी होगी और इस सदन की मर्यादा के लिये और हम लोगों की भावना के लिये यह उत्तम होगा कि जो नोटिस पढ़ा है उसको भी प्रोसीडिंग का पार्ट न बनाया जाय।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। कल नरसिंह नारायण जी ने यह आक्षेप लगाया था कि आपके पास से उस बही के ऊपर टेम्परिंग हुआ है, इसलिये वह उस पर दस्तखत नहीं करेंगे। प्रोसीडिंग्स मंगवा ली जायं, उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं है आपके दफ्तर पर, टेम्परिंग हुआ है.....

श्री अध्यक्ष—

एक बात सुन लीजिये, मुझे मालूम हुआ है कि अन्त में उन्होंने इस बात को विड्रा कर लिया था, वापस ले लिया था।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) —

वह उन्होंने वैसे ही थोड़े विदड्रा कर लिया। सदन में बड़ा भारी जोर दिया गया था, उनको झूठा और बेईमान कहा गया तब विदड्रा किया था, श्रीमन्। उनकी नीयत तो देखिये, श्रीमन्।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

एक टेक्निकल चीज लेकर आप इतने बड़े महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न को समाप्त करना चाहते हैं। मेरी आप से प्रार्थना है कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है और इस पर आपको गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये। उसके बाद आप इस पर निर्णय दें। यह सदन के अवमान का प्रश्न है। मन्त्री जी के खिलाफ तथा आपके खिलाफ भी उन्होंने आरोप लगाये हैं। यह भी उन्होंने कहा है कि आपके यहां टेम्परिंग हुई है। सारे हाउस के विरोध करने पर उन्होंने उन शब्दों को वापस लिया। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय जो इन सब बातों की जांच करे। आप हमारे इस विशेषाधिकार के नोटिस को स्वीकार करें। (व्यवधान)।

श्री नेकराम शर्मा—

इसके पूर्व मैंने निवेदन किया था और आप उस पर अपनी व्यवस्था दें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप नियम ६६ और नियम ६८ को देखें। नियम ६८ में यह है कि कम्पलेंट की एक कापी माननीय सदस्य को दी जायेगी ....

श्री अध्यक्ष—

यह सब जो आप कह रहे हैं मैं उसे मान रहा हूं। आप बहस क्यों कर रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो आप यह बहस बन्द करा दें और यह सब बहस रेकार्ड से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

जब एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है तो मैं चाहता हूं कि उस व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में, यदि किसी को कुछ कहना हो तो, मैं सुन लूं। ४ आदमी कह चुके हैं। अब अगर मैं किसी की न सुनूं तब भी एतराज होता है। तो अब मैं यह निवेदन कर दूं कि कल सदन के अन्दर बहुत सी बातें कही गयीं और एक आरोप मेरे कार्यालय पर भी लगाया गया। इसी को लेकर यह भी कहा गया कि गुटबन्दी हो रही है। मेरे बहीखाते में टेम्परिंग होगी ..... (व्यवधान) या होने का अन्देशा है। उसके बाद माननीय सदस्य ने उसको विद्ड्रा किया। अब दस्तखत करने से पूर्व मेरे पास विशेषाधिकार का प्रस्ताव आया। मैंने इस कारण से इसे पढ़ा कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कल दिन भर होते रहे और अन्त में जाकर उन्होंने दस्तखत कर दिये। इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव मेरे पास आने के बाद ही यह दस्तखत हुए। इसलिये मेरे दिमाग में यह बात थी कि माननीय नरसिंहनारायण पांडेय एक विशेष परिस्थिति में ऐसा कर रहे हैं और आवश्यकता इस बात की थी कि मैं सदन को इसकी सूचना दे दूं। यद्यपि श्री बैजनाथ सिंह इसको प्रेस कर रहे हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मैं इसको महत्व का नहीं समझता इसलिये मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

एक दूसरा प्रस्ताव माननीय काशीनाथ जी का है कि उसको भी स्वीकार करने में मुझे इसलिये कठिनाई हो रही है क्योंकि माननीया मुख्य मन्त्री ने सदन के समक्ष यह कह दिया है कि वे स्वयं इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करेंगी। इसलिये जब तक वे उस घोषणा को वापस न ले लें या यह सदन उसको ओवर रूल न कर दे, इस किस्म के प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता, बाद में भले ही आ सकता है।

इस समय जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उसको अस्वीकार करता हूं और श्री काशीनाथ मिश्र के प्रस्ताव पर यदि सदन विचार करना चाहे तो कर सकता है लेकिन स्थिति यह है कि जब माननीय मुख्य मन्त्री ने यह कह दिया है तब दो इन्क्वायरी कैसे हो सकती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न अस्वीकार किया जाता है और जो दूसरा प्रस्ताव है अगर वह सदन के सामने बाकायदा आयेगा तो उसे देखा जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मुझे दो मिनट का समय सफाई देने के लिये दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप आगे न कहिये। मैंने तो उसके बारे में कह दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र —

श्रीमन्, मैंने जो प्रस्ताव दिया है उस पर विचार करने के लिये यह सदन सक्षम है। मुख्य मन्त्री जी ने जो जांच का आश्वासन दिया है उससे कमेटी के स्थापित हो जाने से कोई विरोध न होगा। यह कमेटी सदन के द्वारा नियुक्त की जायगी। इसमें सभी दलों के सदस्य होंगे। वह आरोपों की जांच करेगी, और अगर किसी के विरुद्ध आरोप सही पाये जायेंगे तो उसके लिये दण्ड निर्धारित करेगी। ७ आदमियों की कमेटी है। उससे जांच करने के मामले में मुख्य मन्त्री जी को सहायता ही मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रस्ताव को मैंने अभी पढ़ा नहीं है। उसको मैं पढ़ लूं और आप मुझसे बातचीत कर लीजिये, और उसको समझा दीजिये, तब उसको मैं देख लूंगा।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न जो मैंने उठाया था जिस के बारे में अनेक साथियों ने चर्चा की और उसका समर्थन भी किया। उसका एक तो यह अर्थ है कि जब तक उस नोटिस की कोई प्रतिलिपि माननीय नरसिंह नारायण जी को नहीं दी गयी तब तक उसको यहां पढ़ा ही क्यों गया। दूसरा यह कि जब सारा मसला और उसकी इंक्वायरी प्रान्त की सर्वोच्च सत्ता, श्रीमती सुचेता कृपालानी ने अपने हाथ में ले ली, तो फिर उस मसले को आपने अपने कक्ष में क्यों स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर दिया? अगर उसको अस्वीकार कर दिया था तो यहां उसको पढ़ कर क्यों सुनाया गया? आपने जो इसके पूर्व व्यवस्था दी है उसमें इन बातों पर प्रकाश नहीं डाला है।

इसके अतिरिक्त एक सुझाव यह भी दिया गया था कि इस सम्बन्ध में जो अब तक कार्यवाही हुई है, उस सब को प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको निकाल दिया जाय। इन पर व्यवस्था दें।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं इसका अनुमोदन करता हूं कि आज की सारी कार्यवाही को प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाय।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा आपके द्वारा सदन से यह निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष—

आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो उसका जवाब भी सुन लें।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप व्यवस्था देने नहीं देते, प्रश्न पर प्रश्न उठाते जाते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

व्यवस्था आप से मांगी जा रही है वह आप दे ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मुझे अधिकार है मैं अपनी व्यवस्था देने से पहले किसी और को भी सुन सकता हूं।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

श्रीमन्, मैं आपसे तथा इस अत्यन्त सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्य बन्धुओं से....

श्री अध्यक्ष—

आपको बन्धुओं से नहीं मुझसे ही कहना है।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

मान्यवर, आप मेरे पूर्ण वाक्य को सुनने की तो कृपा कीजिये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि, श्रीमन्, आपसे तथा इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य बन्धुओं से चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों सभी से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं कि इस विषय को लेकर आज ४–५ दिवस से सदन का वातावरण उष्ण एवं क्षुब्ध हो जाया करता है। इसके निराकरण का उपाय, मान्यवर, आपको और हमें सबको करना उचित और संगत जान पड़ता है।

पहले माननीय श्री नरसिंह नारायण पांडेय ने बही खाते सदन में प्रस्तुत करते हुए किन्हीं माननीय मन्त्री जी जिनका नाम वह नहीं बता पाये, आरोप लगाया, तदुपरि सोशलिस्ट पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने माननाय श्री नरसिंहनारायण पांडे पर गम्भीर आरोप लगाते हुये श्री पांडेय को तस्कर व्यापार गांजा भांग का करने में दोषी बतलाया। इस पर नेता सदन मुख्य मन्त्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी ने सदन को आश्वासन दिया कि वह स्वयं बही खाते की जांच करेंगी और गांजा भांग के तस्कर व्यापार के विषय में माननीय गृह मन्त्री श्री हरगोविन्द सिंह जी ने जांच का आश्वासन दिया, किन्तु फिर भी सदन में पर्याप्त मात्रा में व्यापक संतोष के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री तथा गृह मन्त्री जी से निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि जांच शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करें।

यह सदन अत्यन्त आदरणीय एवं विशिष्ट सदन है, इस सदन रूपी सागर की महान् मर्यादा भी है.... (व्यवधान)

हां, तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस सदन रूपी सागर की महान् मर्यादा भी है—जैसे सागर के स्वच्छ निर्मल जल में तारे नाचंते हैं, चांद थिरकता है, लहरें गाती हैं, देवता संध्योपासन करते हैं, देवियां स्नान करती हैं, पर कोई मैले कपड़े नहीं धोता। संगमरमर की जमीन पर थूकने की रुचि भला किस में होगी —तो ऐसे महान् पवित्र और उच्चादर्शों के लक्ष्यों की ओर ले जाने वाले सदन की पवित्रता क्या इस बात से भंग नहीं होती कि हम इस सदन सरोवर में अपने भाव सुमनों के कमल खिलाने के बजाय आपस में परस्पर कीचड़ उछालें और उसे अपने आचरण से गंदा करें। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय से कहें कि इसे सदन की कार्यवाही पुस्तिका से निकाल दें। (व्यवधान)

श्री रामायणराय—

यही उनका उत्तर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न पर आपको कुछ कहना है तो कहिये। प्रश्न यहां केवल इतना है कि जो कुछ विशषाधिकार के सम्बन्ध में कहा गया है और नोटिस पढ़ी गयी है वह सब कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

मैं उसी के विरोध स्वरूप यह निवेदन करने जा रहा हूं कि यदि कार्यवाही से ये चर्चा के अंश निकाल दिये गये तो यह सत्यं शिवं, सुन्दरं के तो विपरीत होगा ही और न इससे, जब हम सत्य को त्याग दें तो हमारी और हमारे आदरणीय सदन की, शोभा बढ़ेगी।

जो भी कुछ सत्य है, उस सब का ज्यों का त्यों लिखे जाने का, मान्यवर, आप आदेश प्रदान करने का अनुग्रह कीजिये। तुरन्त ही इसकी जांच कराई जाय, यह मेरा निवेदन है, ताकि हम अपने अत्यन्त सम्मानित सदन की शोभा में वृद्धि कर सकें और उसकी पवित्रता की रक्षा कर सकें।

*श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और चाहता हूं कि आप की व्यवस्था इस पर हो जाय कि विशेषाधिकार के सम्बन्ध में अंभी तक की जो कार्यवाही है वह निकाल दी जाय और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि उसके साथ ही माननीय झारखंडेराय जी का वह प्रश्न भी है कि जिस सदस्य के खिलाफ शिकायत हो उसको कापी मिलनी चाहिये। आप नियम ६४ व ६८ देखें, उसमें लिखा है कि यदि किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायत हो तो उसकी प्रतिलिपि उस माननीय सदस्य को मिलनी चाहिये। दूसरे अगर माननीय सदस्य को कुछ एतराज हो, उनको कुछ कहना हो तो उसको भी हाउस में सुनना चाहिये। आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया, माफ कीजियेगा .....

श्री अध्यक्ष—

आप सुन लीजिये। जो मैं आपको सूचना दे रहा था कि मैं अस्वीकार कर रहा हूं उस पर यह बहस हुई कि आपने क्यों पढ़ा ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यही झगड़ा है। आपने उस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया जो माननीय झारखण्डे-राय जी ने उठायी। प्रक्रिया नियमावली का नियम ६४ कहता है कि जिस सदस्य के खिलाफ शिकायत हो ....

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़ रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो जवाब दीजिये। माननीय सदस्य को सूचना नहीं दी गई और आपने सुना नहीं। और उसका जब खंडन आपके सचिवालय में पहले ही से हो गया, तो इसको सुनाने की क्या आव-श्यकता हुई ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

मान्यवर, कार्यवाही में क्यों रहना चाहिये, इस सम्बन्ध में हमारी बात सुन लें।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

मेरा निवेदन है कि आपका पढ़ना प्रक्रिया नियमावली के अनुकूल हुआ है। नियम ६७ में आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। अगर नियमों को देखें तो ६४ में आपको सूचना देने का अधिकार है विशेषा-धिकार सम्बन्धित। इसके बाद नियम ६५ में यह है कि अगर यह हो तो मैं जिस सदस्य के विरुद्ध सूचना हो उससे पूछ-ताछ कर सकता हूं। ६६ में है कि क्या शर्तें ग्राह्यता की हैं। नियम ६७ को देखें "यदि नियम ६४ के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी सम्मति दें तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करके सदन को यह सूचना दे सकेंगे अथवा प्रश्नों के अनन्तर तथा कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वे शिकायत करने वाले सदस्य से अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये कह सकेंगे ....."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा—

नियम ६६(१) और ६८ (२) पढ़ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़ रहा हूं । नियम ६६ में है कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों से नियंत्रित होता है । नियम ६७ में है कि शिकायत करने वाले सदस्य से अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये कह सकेंगे । तत्पश्चात् सबस्य अपनी शिकायत, यदि कोई दस्तावेज हो तो उसके सहित, सदन के सम्मख पढ़ेगा तथा एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा । अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य सदस्य को सुनने के उपरान्त, यह विनिश्चित करेंगे कि क्या शिकायत नियमित है :

परन्तु यदि अध्यक्ष का, विषय की अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो वे किसी अन्य समय भी विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा दे सकेंगे ।

नियम ६८ में है "यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो . . .

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, नियम ६७ का अन्तिम वाक्य पढ़ लें ।

श्री अध्यक्ष—

"किन्तु जब अध्यक्ष ने नियम ६४ के अन्तर्गत सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उनकी राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो वे शिकायत को सदन में पढ़ कर सुना सकेंगे और कह सकेंगे कि वे सम्मति देने से इनकार करते हैं या वे उसको नियमानुकूल नहीं ठहराते ।"

अब अगर उसको मैं नियमानुकूल मान लूं, या नियम ६४ के अन्तर्गत सम्मति दे दूं, या समझूं नियमानुकूल है तब नियम ६८ आता है, उसके पहले नहीं आता है ।

नियम ६८ का प्रभाव केवल उस समय होता है जब मैं किसी विशेषाधिकार की सूचना को नियम ६४ के अन्तर्गत अपनी सम्मति देकर यहां रखना चाहूं या नियम ६४ के अन्दर उसकी अनुमति देकर नियम ६७ के अन्तर्गत उसको नियमानुकूल समझ लूं । जब ये दोनों बातें हो जायेंगी तब नियम ६७ के अन्दर सदन को सूचना दे सकूंगा, इसके पहले सूचना का कोई सवाल नहीं है । तो नियम ६४, ६५, ६६ और ६७ के अनुरूप केवल यह है कि जब मैं उसकी सम्मति दूं या उसको नियमानुकूल समझूं,तब यह आवश्यक समझता हूं कि उनको नकल दी जाय, वरना नहीं ।

मुझे अधिकार है कि जब मैं सम्मति नहीं देता हूं या उसको नियमानुकूल नहीं समझता हूं तो मैं शिकायत को सदन में पढ़ कर सुना दूं । इसमें लिखा हुआ है—जब अध्यक्ष ने नियम ६४ के अन्तर्गत सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उनकी राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो वे शिकायत को सदन में पढ़ कर सुना सकेंगे और कह सकेंगे कि वे सम्मति देने से इन्कार करते हैं या वे उसको नियमानुकूल नहीं ठहराते ।

अतः जो कार्यवाही हुई है वह ठीक है । अब समाप्त कीजिये ।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम ६५ को मैं पढ़ कर सुनाता हूं । इसमें लिखा हुआ है :

A member wishing to raise a question of breach of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the

sitting on the day the question is proposed to be raised. If the complaint is founded upon a document, the original or a copy thereof, shall accompany the notice."

जिस दिन यह प्रश्न उठाया जायगा, कल नहीं ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

आना चाहिये तो आज ही ।

लिख कर दे दीजिये एकोर्डिंग टू रूल ६५ ।

श्री नेकराम शर्मा—

नियम ६६ में है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे । नोट मोर दैन वन क्वैश्चन ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने पढ़ लिया ।

श्री नेकराम शर्मा—

नियम ६८ में यह लिखा हुआ है कि :

"A copy of the complaint shall be supplied to the member along with a copy of the document upon which the complaint is founded."

अगर कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज किसी सदस्य के ऊपर उठा है तो जब तक कापी नहीं दी जायगी तब तक ...

श्री अध्यक्ष—

यह कहां है ?

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यह नियम ६८(२) में है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इन सारी बातों पर आपने व्यवस्था दी है ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, इसमें लिखा है कि ए कापी आफ दी कम्पलेंट शैल बी सप्लाइड टु दी मेम्बर । तो जब तक कापी नहीं मिलेगी तब तक सदन में नहीं पढ़ा जा सकता ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस कर रहे हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा अपना मत यह है कि नियम ६५ के अनुसार जिस दिन यह प्रश्न उठाया जायगा, उस दिन लाया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न यह उठाया गया कि माननीय नरसिंहनारायण जी को उसकी कापी देनी चाहिये। उस सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दे दी। अब जहां तक कापी देने का सम्बन्ध है वह प्रश्न समाप्त हो गया।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आपने व्यवस्था नहीं दी। बिना कापी दिये ही उस प्रिविलेज को यहां पर पढ़ा।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जो हमारे नियम हैं उनके अन्तर्गत जब तक रूल ६८ की स्टेज नहीं पहुंचती तब तक उनको कापी देना आवश्यक नहीं है। ६८ की स्टेज उस समय पहुंचती है जब मैं सहमति दे दूं या सहमति देकर नियमानुकूल निर्धारित कर दूं।

श्री नेकराम शर्मा—

रूल ६५ के अन्दर जो मूल प्रश्न उठता है वह यह कि आपको अधिकार नहीं है कि उसी दिन यह आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

वह रूलिंग मैं दे देता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। वह यह कि नियम ६५ और नियम ६८ की तरफ मैं श्रीमन्, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

६३, ६४ और ६५ पर आप व्यवस्था दे चुके हैं। उस पर अब कोई व्यवस्था नहीं उठ सकती।

श्री अध्यक्ष—

कमलासिंह जी। अगर आप यह आर्ग्यु करने जा रहे हैं कि नोटिस मिलना चाहिये तो उस पर मैं सुनने नहीं जा रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

नोटिस के बारे में जिक्र नहीं करूंगा। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि रूल ६५ का सवाल है। मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

किस चीज को सपोर्ट करने के लिये ?

श्री कमलासिंह यादव—

कोई भी ब्रीच आफ प्रिविलेज सदन के सामने लाया जाय तो उसके लिये क्या-क्या कंडीशंस जरूरी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह मैं नहीं सुनना चाहता। प्वाइंट आफ आर्डर आपका क्या है ?

श्री कमलासिंह यादव—

जो प्रिविलेज का मोशन लाया गया उसके लिये जरूरी था कि जिस डाक्यूमेंट पर बेस हो वह इन ओरिजिनल या उसकी कापी श्रीमन् के सामने पेश की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं सुना जायगा । यह आपको पहले बतला देना चाहिये था ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आज गैर-सरकारी दिवस है । इस पर ही सारा टाइम समाप्त हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अब नेकराम जी को बतला दूं ।....

माननीय नेकराम जी, एक नियम यह है कि अगर कोई सूचना एक दिन पहले दी जाय जो उसको दूसरे दिन कैरी ओवर कर सकते हैं । यह कल दी गयी थी । कल उसको पेश करने का वक्त नहीं था, इट हैड टू बी कैरीड ओवर । ऐसा होता है कि हमारे यहां विशेषाधिकार के प्रश्न उठते हैं और मैं उसके ऊपर विचार करके दूसरे दिन लेता हूं । तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है । अब यह विषय समाप्त । (शोर)

जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में जो आपत्तियां उठायी गईं उन पर व्यवस्था मैंने अपने दृष्टिकोण से । इस आदरणीय सदन के समक्ष रख दी । यह व्यवस्था सही हो या गलत, लेकिन मैंने उसको सही समझ कर ही रख दिया । उस सम्बन्ध में अब मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा ।

श्री झारखण्डेराय—

मुझे बहुत तकलीफ है । आपने व्यवस्था दी, वह हमारे लिये शिरोधार्य है लेकिन मैं महसूस करता हूं कि हममें से कोई भी मेम्बर किसी भी भावावेश या उद्वेग में आपके पास कोई चीज लाकर दे । तो आपका भी यह फर्ज है कि उसके औचित्य अनौचित्य को आप देखें ...

श्री अध्यक्ष—

आप जो कुछ भी कह रहे हैं नियम के अन्दर कहते तो ठीक है । अब नियम के अन्दर अगर मैंने पढ़ कर सुना दिया तो मुझे अधिकार है, ...

श्री झारखण्डेराय—

मेरी बात सुन लीजिये । आपके इस तरीके को कि आप कूड़ा करकट, जो भी कोई दे आता है उसको यहां पढ़ देते हैं, उससे सदन का वातावरण गन्दा होता है । मैं समझता हूं कि आपका प्रैक्टिकल तरीका हाउस के चलाने का ठीक नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं और हम सब कम्युनिस्ट इस हाउस से आधे घंटे के लिये बाहर जाते हैं ।

(श्री झारखण्डेराय ने कम्युनिस्ट दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

†श्री रामायणराय—

अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी व्यवस्था देते हुये यह कहा कि मुझे उसको पढ़ने का अधिकार है । तो वह आपका डिस्क्रिशन है, इससे हम पूर्णतया सहमत हैं । लेकिन क्या ऐसे मामलों में

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामायण राय]

जिनसे पिछले दो दिन से इस सदन का वातावरण दूषित हो रहा है आपका उस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करना वांछनीय है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका जवाब मैं दे रहा हूं। झारखण्डेराय जी ने यही कहा है . . .

श्री रामायणराय---

आपकी जो व्यवस्था हुई है, नियमों का जिस प्रकार आप उपयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उससे इस सदन का वातावरण बनने की जगह बिगड़ रहा है। इसलिये विरोधस्वरूप हम इस सदन का पांच मिनट के लिये परित्याग कर रहे हैं।

(इसके उपरान्त प्रजा समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

†श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं आपकी रूलिंग का बहुत सम्मान करता हूं और मेरे पत्र को जो मैंने आपको लिखा है जिस तरीके से रिटार्ड किया गया, मेरा कोई आशय नहीं है कि आपके कार्यालय का किसी तरह से अपमान करूं। उस पत्र में मैंने यह साफ तरीके से लिखा कि आप माननीय मुख्य मंत्री क सामने उन रेकार्डस् और साक्ष्य के साथ पेश होने की इजाजत दें।

क्योंकि जो स्थिति है उसमें श्रीमन्, ऐसा संदेह हो गया है, जब मुझे से दस्तखत करने के लिये कहा जाता है। कल भी मैं कहना चाहता था कि मैं दस्तखत करने के लिये तैयार हूं। लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं और उसको रिकार्ड किया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे गैग किया जाता, वास्तविकता नहीं रखने दी जाती है। आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है वह एक साधारण धर्म और कर्तव्य के साथ कहा है। मेरे दिल में कोई ऐसी भावना नहीं थी और आज भी मैं उस धारणा को रखता हूं। अगर सरकार चाहे तो हाई पावर जूडिशियल कमेटी से बराबर जांच कराये। मैं आज भी कहता हूं कि मेरी बातें सत्य हैं, मैं आपकी रूलिंग से सहमत न होकर वाक आउट करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन त्याग करके चले गये।)

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आपने जो व्यवस्था इस समय दी है उससे हमें और हमारे दल को दुख हुआ है। इसलिये हम सदन का परित्याग करते हैं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन छोड़कर चले गये।)

श्री दीपनारायणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर में रेज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय दीपनारायण जी, आप बाद में कहिये। पहले मैं, जो सदन का त्याग करके चले गये हैं उसके लिये निवेदन कर दूं। मुझे बड़ा खेद है कि जितने नियम हैं उनको पढ़कर मैंने सुनाया। अन्त में जब कोई उत्तर नहीं रहा तो उन्होंने कहा कि आपका डिसक्रीशन है और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरे विवेक की बात है उसमें भी मैं माननीय झारखंडेराय, रामायणराय जी या अन्य सदस्यों से पूछ लूं, तब प्रयोग में लाऊं, जो मैं समझता हूं कि बिलकुल गलत है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि अगर माननीय सदस्यों का यह विचार है ऐसी बात सदन के वातावरण को दूषित करती है तो क्या सदन के सदस्यों का यह कर्तव्य नहीं है कि ऐसी बातें सदन में न लायें। सदन में स्वयं वह वातावरण पैदा करते हैं और यदि उस वातावरण के नियंत्रण में कोई बात की जाती है तो कहते हैं कि आप सदन के वातावरण को दूषित करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर माननीय झारखंडे राय जी तथा रामायण राय समझते थे कि सदन का वातावरण सुन्दर रखना है तो उनका कर्तव्य यह था कि वह हमारे सामने कोई बात रखते कि इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री देख रही हैं। इसलिये कुछ न किया जाय। वह प्रस्ताव रख सकते थे कि इसको एक कमेटी में रखा जाय। नरसिंह नारायण जी ने कहा है कि एक हाई पावर जुडीशियल कमेटी रखी जाय। इस तरह की बातें करते तो समझ में आती। लेकिन वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयत्न किया जाता है तो वे कहते हैं कि अशुद्ध होता है। मुझे अफसोस है कि इसके महत्व को न समझ कर इस तरह किसी के ऊपर आरोप लगाना बिलकुल गलत है।

श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में पहली बात यह है कि क्या अध्यक्ष की व्यवस्था सदन के निर्णय के विरुद्ध भी दी जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न यहां नहीं उठता, बात यह है कि मोटी चीज है .....

श्री दीपनारायणसिंह—

आप सुनें, मैं तो एक जनरल प्रिपोजीशन की बात कह रहा हूं .....

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ३०० पढ़ लीजिये। उसमें यह है कि प्वाइंट आफ आर्डर जो दिया जायगा....

श्री दीपनारायणसिंह—

आपने मेरे पत्रों को विशेषाधिकार समिति को भेजा था... (व्यवधान) न मेरा एक्सप्लेनेशन लिया और न पत्र पढ़ा और नियम के विरुद्ध आपने किया था और सदन का निर्णय था कि उग्रसेन जी निलम्बित हैं .. (व्यवधान) तो मैं पूछता हूं... (व्यवधान) ...आज भी यही हुआ..

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। माननीय दीपनारायणसिंह ने एक विशेषाधिकार की सूचना मुझे दी है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बातें उन्होंने लिखी थीं, वह गलत पाई गईं, जो यहां पर रेकार्ड हुआ है उसके बिलकुल विरुद्ध वह पायी गईं। मैंने उनसे कहा कि माननीय सदस्य को दिखला दीजिए। अगर वह दुरुस्त करें.... (व्यवधान)...और उन्होंने दस्तखत भी कर दिया, तो आप स्वयं उसको ठीक नहीं करते हैं और मुझे कहते हैं कि पढ़ा नहीं।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरी बातें गलत पाई गयीं...

श्री अध्यक्ष—

यह अब समाप्त हो गया। (व्यवधान)..माननीय दीपनारायण सिंह जी, आपकी कोई बात अब रेकॉर्ड में नहीं आयेगी। You are talking out of record (श्री दीपनारायणसिंह के बोलते रहने पर) दीपनारायण जी, आप कृपा करके सदन को छोड़ें।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन सदन का अपमान आप भी कर रहे हैं। यह अबेटमेंट का चार्ज आपके ऊपर भी है।

(श्री दीपनारायणसिंह सदन त्याग कर चले गये।)

नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत केशरीप्रसाद जी का एक था। वह यहां है नहीं, तो नियम ५२ के अन्तर्गत अब वह स्वीकार नहीं हो सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हमारा एक नियम ५२ का था, सचिवालय में हिन्दी में काम करने पर बड़ा एतराज हो रहा है और हमारे राज्य की भाषा हिन्दी है। इस पर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे मंत्री जी के पास भेजूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अच्छा, तो कार्यवाही के लिये भेज दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बिपिनबिहारी जी का एक है। आप स्वंय देख लीजिए। यह विषय नियम ५२ के अन्तर्गत कहां तक आता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, जो नियम ५२ मैंने दिया था उसमें किसानों का १६ लाख ७७ हजार ३७३ रुपया बकाया है..

श्री अध्यक्ष—

माननीय केशरीप्रसाद जी, आप थे नहीं.... (व्यवधान) मैंने खारिज कर दिया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

तो आप माननीय मंत्री जी के पास उसे भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास ४ आदमियों ने लिखकर एक प्रस्ताव नियम ५३ के अन्तर्गत दिया है। उसको माननीय महादेव वर्मा, माननीय सुरजनराम, माननीय ऊदल और माननीय रघुनाथ सिंह के नाम से दिया है। उसको मैंने स्वीकार कर लिया है। इस पर बहस के लिये मैंने २३ तारीख को ५ १/२ बजे २ घंटे के विवाद के लिये रख दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय केशरीप्रसाद पांडेय की नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचना थी उसको आपने इसलिये खारिज कर दिया है कि वह यहां पर उपस्थित नहीं थे। नियम ५२ को मैंने शुरू से लेकर अन्त तक पढ़ा लेकिन उसमें कहीं पर इसका उल्लेख नहीं है कि यदि कोई सदस्य सदन में उपस्थित न रहे तो उसको अस्वीकार कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आवश्यक यह है कि जो आदमी नोटिस दे, वह नोटिस पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित रहे। अगर वह नहीं रहता है तो इसके माने यह हैं कि उसको इन्टरेस्ट नहीं है। अतः वह स्वीकार नहीं होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नियम ५२ के अन्दर कहीं पर इसकी चर्चा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बहुत सी पिछली रूलिंग्स देखी हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने अभी विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में यह कहा था कि मैं जिसको अस्वीकार करता हूं तो सदन में उसको पढ़ देता हूं कि क्यों उसको अस्वीकार किया गया। अभी जिन लोगों ने दफा ५२ के अन्तर्गत नोटिस दी उनको आपने अस्वीकार कर दिया लेकिन पढ़ा नहीं और न यह बतलाया कि किन कारणों से उनको अस्वीकार किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया यह देख लें कि विशेषाधिकार के नियम अलग हैं और नियम ५२ के नियम अलग हैं।

श्री बी० पी० मौर्य, सदस्य लोक सभा, की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

मैं, श्री बी० पी० मौर्य की दिल्ली में १२ दिसम्बर, १९६३ को हुई गिरफ्तारी के संबंध में, जिसका उल्लेख श्री श्यामलाल एवं चन्द्रजीत यादव द्वारा किये गये नोटिस में किया गया है, निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्तुत करता हूं :—

माह अप्रैल व मई, १९६३ में लखनऊ, इलाहाबाद तथा फरूखाबाद में श्री बी० पी० मौर्य ने कुछ भाषण दिये थे जिनके संबंध में सरकार को यह यह परामर्श दिया गया कि वे बहुत ही हानिकारक हैं। क्योंकि उनमें विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलट देने के लिये बहुत कुछ वर्ग के लोगों को उकसाने, विभिन्न वर्गों में आपस में विद्वेश तथा घृणा की भावना उत्पन्न करने एवं सरकार के प्रति असंतोष जागृत करने की कोशिश की गई। मैं यहां पर उन शब्दों का उल्लेख नहीं करना चाहता, जो श्री मौर्य ने वास्तव में कहे और नहीं मैं इस केस की औचित्य तथा अनौचित्य पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा क्योंकि यह तथ्य न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय होंगे। यह उल्लेखनीय है कि एक व त सरकार का ऐसा विचार हुआ था कि उक्त भाषणों के आधार पर श्री मौर्य के विरुद्ध न विचार कार्यवाही करना भी उपयुक्त होगा। इस दृष्टि से कि हाल में अमरोहा तथा फर्रूखाबाद में मई, १९६३ में उप-चुनाव हुये थे। सम्प्रति यह विचार किया गया कि निवारक कार्यवाही का गलत मतलब लगाया जा सकता था और इस कारण यह निर्णय किया गया कि मुकदमें चलाये जांय और मामले न्ययालय के सुपुर्द किये जायं। सबूत की उपलब्धता के प्रश्न पर सामान्यतया विचार किया गया और सरकार के विधि परामर्श अधिकारियों की सम्मति प्राप्त की गई। सरकार को यह परामर्श दिया गया कि श्री मौर्य द्वारा कही गयी बातें डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के नियम ३५ में दिये गये हानिकारक कार्य की परिभाषा

[श्री हरगोविन्दसिंह]

के अन्तर्गत आती हैं तथा भारतीय दंड विधान की धारा १२४ और ५०५ के अधीन भी। अतएव अगस्त, सन् १९६३ में इन मामलों के मुकदमें कायम किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये। तदनुसार श्री मौर्य के विरुद्ध लखनऊ, इलाहाबाद तथा फर्रुखाबाद में क्रमशः १८ सितम्बर, १९६३, ८ सितम्बर, १९६३ तथा १९ सितम्बर, १९६३ को मामले दर्ज किये गये। इस बीच में मौर्य द्वारा अलीगढ़ में ६ अगस्त, १९६३ को एक अन्य आपत्तिजनक भाषण दिये जाने की सूचना मिली और इस मामले की जांच करने के बाद अक्तूबर, १९६३ में मामला दर्ज करके मुकदमा कायम करने के लिये आदेश जारी किये गये। यह मामला १८ नवम्बर, १९६३ को दर्ज किया गया। डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के नियम ४१ के अधीन अभियोग काग्नीजेबिल है अतएव पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। तदनुसार जब इलाहाबाद में दर्ज किये गये मामले में जांच पूरी हो गयी तो संबंधित सब-इंन्सपेक्टर श्री मौर्य को गिरफ्तार करने के लिये दिल्ली गया क्योंकि वे उस समय वहां रह रहे थे। संम्बद्ध इंन्सपेक्टर ने १२ दिसम्बर, १९६३ को श्री मौर्य के गिरफ्तारी के पूर्व श्री अध्यक्ष, लोकसभा को उनके व्यक्तिगत सहायक के जरिये सूचित कर दिया और ऐसी सूचना है कि श्री मौर्य ने भी अध्यक्ष से बात की। गिरफ्तारी किये जाने के बाद श्री अध्यक्ष को निर्दिष्ट परिपत्र में सूचना दे दी गयी थी। श्री मौर्य को ए०डी०एम०, दिल्ली के समक्ष पेश करके उनको इलाहाबाद स्थानान्तरण किये जाने की प्रार्थना की गयी। इस प्रकार श्री मौर्य १३ दिसम्बर, १९६३ को इलाहाबाद लाये गये और न्यायालय में पेश हुए, जिसने उन्हें जेल में हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया। १७ दिसम्बर, १९६३ तक जमानत के लिये कोई दरख्वास्त नहीं दी गयी। जब श्री मौर्य इलाहाबाद में जेल में थे उन पर अलीगढ़ के मामले में जारी किये गये वारन्ट की भी तामील की गयी और अभियोग सूची न्यायालय में २७ दिसम्बर, १९६३ को दाखिल कर दी गयी। लखनऊ के मामले में न्यायालय में २७ अक्तूबर, १९६३ को रिपोर्ट दी गयी और न्यायालय ने श्री मौर्य के उपस्थिति के लिये आदेश जारी कर दिया है। फर्रुखाबाद के मामले में भी जांच पूरी हो गयी है अतएव यह कहना गलत होगा कि श्री मौर्य को परेशान करने की कोई कोशिश की गयी है या उक्त कार्यवाही उन्हें पार्लियामेंट में सम्मिलित होने से रोकने के लिये की गयी है। वास्तव में तो सरकार ने इस मामले में कार्यवाही करने में असाधारण सावधानी एवं संयम बरता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब श्री मौर्य के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया गया था कि ८ महीने से वह आपत्तिजनक भाषण दे रहे थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का आदेश भारतीय सुरक्षा संविधान के अंदर दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ इंडियन पैनल कोड के मुताबिक सबूत क्यों नहीं इकट्ठे किये गये और क्या इस मामले में भारतीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग नहीं किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह तो मैंने पढ़कर सुना दिया कि उनको इंडियन पैनल कोड में नहीं वरन् जिस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया था। उसमें उन पर मुकदमा चलाया गया।

श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलानें की कृपा करेंगे कि विभिन्न स्थानों में जो उनके खिलाफ मुकदमें चलाये गये और उसमें जो एक वर्ग का नाम आया है, क्या उस वर्ग के विरुद्ध उनके पास कोई शिकायत आयी है या उसने कोई कदम उठाया है कानून के खिलाफ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उस वर्ग के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आयी। जो स्पीचेज हैं उनको देखकर मुकदमा चलाया गया है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी स्पीचेज के बाद उस वर्ग ने कोई तोड़-फोड़ की कार्यवाही की या कोई आन्दोलन चलाया जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होता ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उस कानून में यह नहीं है कि जब स्पीचेज का फल सामने आये, तभी मुकदमा चलाया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी को पता है कि श्री मौर्य के गिरफ्तारी बिना किसी वारंट के की गयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह यहां से इंसपेक्टर चला गया बिला वारंट के कि वहां पकड़ेंगे।

श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस वारंट के मुताबिक श्री मौर्य की गिरफ्तारी की गयी वह किसी अदालत का था, किस दफा के मातहत था और किस तारीख का था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इलाहाबाद की पुलिस गयी थी उनको पकड़ने। काग्नेजिबिल आफेंस था। यह जरूरी नहीं था कि अदालत से ले लिया जाय, तभी जाय।

श्री ऊदल—

मैं निश्चित तरीके पर गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। 'हां' या 'नहीं' में, कि मेरी जानकारी है कि सब-इंसपेक्टर ने गिरफ्तारी के समय श्री मौर्य को कोई वारंट नहीं दिखाया, न वारंट लेकर वह उनको गिरफ्तार करने गया था, क्या यह सही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो मेरे पास जानकारी है वह यह कि उनको पकड़कर दिल्ली के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यहां जो रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं माननीय खेमचन्द, भगवानदास, श्यामलाल जी आदि उनको एक पत्र श्री मौर्य का मिला, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि उनको बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में भी साबुन, रजाई आदि की सुविधायें नहीं मिल रही हैं ? तो क्या मंत्री जी ने इसकी जांच कराई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है और अगर गिरफ्तारी नाजायज हुई है तो उनको अख्तियार है कि अदालत में उसकी चाराजोई करें। जेल के अन्दर जो उनको तकलीफ थी उसके लिये उन्होंने लिखा था कि कम्बल नहीं, रजाई दी जाय, वह उनको दे दी गयी।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैंने पूछा था कि मंत्री जी ने क्या पता लगाया है कि उनको बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुझे यह पता नहीं कि मुख्य मंत्री जी ने पता लगाया या नहीं, न मुझसे कहा गया, न मैं उसे जानने की जरूरत समझता हूं इसलिये कि काग्नेजिबिल आफेंस था, वे गिरफ्तार कर सकते थे ।

श्री हलीमुद्दीन—

मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि किस मैजिस्ट्रेट के दस्तखत उस वारंट पर थे, किस सेक्शन के अंदर वह था और किस तारीख का था ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बतला दिया कि सूचना नहीं है । वह वारंट के संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं । इसी से आप उनका मतलब समझ लीजिये ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी ने कहा कि माननीय मौर्य जी ने वर्ग विशेष को भड़काने वाली हानिकारक बातें कही थी । क्या सभी भाषणों में ऐसा था या किसी भाषण में संयोगवश ऐसा हो गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि ऐसी स्पीचेज दी थीं ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौर्य जी की जो जगह जगह स्पीचेज हुई, क्या उनकी टेपरिकार्डिंग सरकार ने करवायी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अभी उसका कोई इन्तजाम हमारे पास नहीं हैं ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या यह सही है कि वह भारत सरकार कि आज्ञा लेकर अमेरिका गये थे और उन्होंने इस प्रकार की स्पीचेज दी थीं और इस प्रकार का जहर एक वर्गविशेष के विरुद्ध उगला है तब उन्होंने उन्हें विदेश जाने की इजाजत क्यों मिलने दी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सब मुझे पता नहीं है । हमारे पास स्पीचेज आयीं, एक नहीं, तीन या चार—जब यह देखा गया कि वे ऐसी स्पीचेज देने के आदी हैं तब उनकी जांच की गयी और ला डिपार्टमेंट से राय ली गयी और मालूम हुआ कि ऐक्शनेबिल है लिहाजा उन पर मुकदमा चलाया गया ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

नैनी सेन्ट्रल जेल में मौर्य जी उस बैरेक में रखे गये हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रखे जाते थे और उनको हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होती थीं, उसी बैरेक के उसी रूम में शोषित सर्वहारा वर्ग का यह महान सेनानी, बी० पी० मौर्य जी रखे गये हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी न उनको साबुन दे रहे हैं, न तौलिया दे रहे हैं, न कम्बल दे रहे हैं, क्या यह बात सत्य नहीं है ? और अगर सत्य है, तो क्या हर प्रकार की सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार तत्काल कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जितनी सुविधायें नियमानुसार उनको दी जा सकती है सब दी जा रही हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जिस वक्त यह स्पीचेज हो रही थीं उस वक्त जो गृह मंत्री थे उन्होंने इसे आपत्तिजनक नहीं समझा लेकिन ८ महीने बाद उनकी स्पीचेज पर ऐक्शन लाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैंने तो बताया कि उनकी ४, ५ स्पीचेज आयीं और जब मालूम हुआ कि वे ऐक्शनेबिल थे तब उन पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

गिरफ्तारी के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनपर यह आरोप है कि वे ऐसी सार्वजनिक स्पीचेज दे रहे थे जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो सकता था और राष्ट्री संकट उत्पन्न हो सकता था। दूसरा प्रश्न यह है कि जब उनसे पूछा गया कि किस प्रकार की स्पीचेज हैं तो गृह-मंत्री ने कहा कि सरकार असमर्थ है, यहां पर नहीं कह सकती है। तो क्या सरकार हमको आदेश दे सकती है कि कुछ टेप-रेकार्डिंग हम सदन में पेश करें ?

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब यह है कि सरकार उनकी स्पीचेज आपको दे ?

श्री बनवारीलाल विप्र—

सुनाने की हमको इजाजत दी जाय कि हम सदन में उनकी स्पीचेज टेप-रेकार्ड की हुई सुनायें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये, वह सफाई के गवाह हो सकते हैं उनके।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो स्पीचेज उनकी मिली, उनमें उन्होंने कौन-कौन सी ऐसी बातें पायीं जो कि आपत्तिजनक थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने पहले ही बताया कि उन तथ्यों को यहां नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मामला अदालत के सामने है।

श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो उनके खिलाफ आरोप लगाये गये हैं वह कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हरिजनों और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई ।

श्री कमलासिंह यादव—

वह कौन-कौन सी बातें हैं जिन पर ला डिपार्टमेंट से ओपीनियन ली गयी ?

श्री अध्यक्ष—

वह बताया नहीं जा सकता, यह उन्होंने बताया ।

श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

यह बताया गया कि मौर्य जी ने हरिजनों और मुसलमानों को उसकाया, तो उन्होंने क्या कोई सार्वजनिक भाषण किया या मुसलमानों और हरिजनों की एकांत में मीटिंग बुलाई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कानून की दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

गृह मंत्री ने जो बातें कही हैं उनसे जाहिर है कि उनका हमेशा से और उनकी पार्टी का ऐसा दृष्टिकोण और वातावरण रहा है कि जिससे तमाम सूबे में गड़बड़ी होती है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी पर कोई बैन लगाया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अभी तो उनके लीडर के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है और अगर उनको भी शौक होगा तो वह भी किया जायगा ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या मंत्री जी ने रिपब्लिकन पार्टी का कांस्टीट्यूशन पढ़ा है ? क्या उसमें कोई वर्ग-संघर्ष कराने का कोई नियम है ? यहां पर एक आरोप-प्रत्यारोप बड़े दिनों से चला आ रहा है कि "जाटव मुसलमान भाई भाई" का हमने नारा लगाया । मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरह का कोई नारा नहीं लगाया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

प्रश्न यह है कि इस तरह के आरोप लगाकर जो रिपब्लिकन पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जिसमें कुछ पश्चिमी जिलों के मंत्री भी शामिल हैं, एक साजिश चल रही है और उसके जेर साया इस तरह के फर्जी मुकदमें चलाये जाते हैं....

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, अब यह विषय समाप्त । अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत सम्मिलित गांवों की अर्जित कृषि-भूमि को अधिक मूल्य पर बेचने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री शिवनार्यासिह, ने नियम ५२ के अन्तर्गत कानपुर में कृषि योग्य भूमि के अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में जो लोक महत्व का प्रश्न उठाया है उसका सम्बन्ध कानपुर नगरमहापालिका की कल्यानपुर पनकी पान्डु विस्तार तथा हरी पट्टी योजना से है। यह सब को ज्ञात है कि कानपुर में कल-कारखानों तथा मकानों के निर्माण के लिए भूमि की बड़ी मांग है। अव्यवस्थित निर्माण को रोकने, भूमि के मूल्य में सट्टेबाजी को रोकने तथा व्यवस्थित ढंग से कल कारखानों तथा मकानों के लिये उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध करने के उद्देश्य से यह योजना नगरमहापालिका ने बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग १४,५०७ एकड़ भूमि कानपुर के आसपास के देहाती क्षेत्रों में अर्जित करने का प्रस्ताव है और इस पर ७ करोड़ ९६ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। इसकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३६१ के अन्तर्गत दी जा चुकी है। अभी तक केवल ६०० एकड़ के लगभग भूमि का नगरमहापालिका ने कब्जा लिया है, जिसमें से ७१.९१ एकड़ भूमि वैगन फैक्ट्री के लिये, ५३.६६ एकड़ भूमि थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिये तथा ८.५४ एकड़ भूमि रेलवे साइडिंग बनाने के लिये तथा २५० एकड़ भूमि यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को हस्तांतरित की जा चुकी है।

उक्त योजना के अन्तर्गत अर्जित किये जाने वाले भूमि-अर्जन के सम्बन्ध में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री महोदया से ४ नवम्बर, १९६३ को मिला था और उसने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिनिधि-मंडल ने कुछ मांगें प्रस्तुत की थीं। इस प्रतिवेदन में भी यह कहा गया था कि नगर महापालिका ४ नये पैसे प्रति वर्ग गज की औसतन दर पर भूमि अर्जित कर रही है। इस सम्बन्ध में जानकारी कराई गई। जो भूमि अभी तक अर्जित की गई है उसका औसत मुआवजा २८८ रुपये ७२ नये पैसे प्रति एकड़ आता है, अर्थात् लगभग ६ नये पैसे प्रति वर्ग गज। प्रतिनिधि मंडल की मांगों पर जिलाधीश, कानपुर, तथा मुख्य नगराधिकारी, नगरमहापालिका, कानपुर, की रिपोर्ट मंगाने पर ज्ञात हुआ कि थर्मल प्लान्ट और रेलवे साइडिंग के लिये जब भूमि पर कब्जा करने अधिकारी पहुंचे तो किसानों ने रुकावटें डालीं, जिसकी वजह से सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की गई थी लेकिन उनके खिलाफ़ कार्यवाही करने के सिलसिले में कलेक्टर ने कोई निर्णय नहीं लिया है। किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए केवल प्रतीकात्मक कब्जा प्राप्त किया गया और किसानों को अपनी भूमि पर खड़ी फसल काटने दिया गया। औद्योगिक विकास तथा नगर के विकास को दृष्टिकोण में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि कानपुर के इर्द-गिर्द के गांवों की, जिधर नगर का विस्तार हो सकता है, भूमि अर्जित कर ली जाय और उसे विकसित करके विभिन्न उद्योगों और आवास योजनाओं के उपयोग के लिये आवश्यकतानुसार बांटा जाय। अन्यथा बीच के मुनाफाखोर लोग इन पास-पड़ोस की जमीनों को किसानों से खरीद लेंगे और उसे दुगुने चौगुने दामों पर बेचेंगे। अतः नगर के भावी विस्तार के हित में शहर के पास-पड़ोस की भूमि का अर्जन आवश्यक है। फिर भी, उतनी ही भूमि अर्जित की जाती है जितनी कि आवश्यकता होती है और अर्जित भूमि पर जब तक विकास कार्य प्रारम्भ नहीं होता तब तक किसानों को अस्थायी पट्टों पर खेती के लिये दे दी जाया करती है। भूमि का मुआवजा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम तथा लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। जिन लोगों की जमीन

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

या मकान इस योजना के अन्तर्गत लिये जाते हैं उनको रियायती दर पर महापालिका योजना बद्ध भूमि देती है। महापालिका बेकार लोगों को रोजगार दिलाने के लिये प्रयत्नशील है।

माननीय सदस्य, श्री शिवनाथसिंह ने, नियम ५२ के अन्तर्गत जो लोक महत्व का प्रश्न उठाया है और उसके सम्बन्ध में जो बातें कही हैं उसके सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि—

(१) यह सत्य नहीं है कि कानपुर पनकी पान्डु विस्तार तथा हरी पट्टी योजना के अन्तर्गत १४२ गांवों की भूमि अर्जित की जा रही है। इस योजना में केवल ३० गांव की भूमि अर्जित की जा रही है, जिनमें से १६ ग्रामों की भमि का कुछ भाग ही अर्जित किया जा रहा है।

(२) यह भी सही नहीं है कि इस योजना में कोई भी भूमि ८ रुपये से १५० रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बेची जा रही है। इस योजना में अभी तक जो भूमि महापालिका द्वारा बेची जानी स्वीकार हुई है उसका ब्योरा निम्नलिखित है :—

(क) ७१.९१ एकड़ भूमि वैगन फैक्ट्री के लिये सर्वश्री सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर को। यह भूमि केवल ५०,००० रुपये अग्रिम धन के रूप में लेकर इन्हें दी गई है और इनसे स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा करा लिया गया है कि इस भूमि का मूल्य इनसे वहां के निकास सम्बन्धी आंकड़े बन जाने पर ले लिया जायगा।

(ख) २५० एकड़ भूमि यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन की फैक्ट्रियों के लिये। इसका मूल्य लगभग ६,५०० रुपये प्रति एकड़ लेना निश्चय हुआ है।

(ग) ५३.६६ एकड़ भूमि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन को थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिये दी गई है। इसका मूल्य लगभग ६,५०० रुपये प्रति एकड़ की दर से लिया जाना निश्चय हुआ है।

(घ) ८.५४ एकड़ भूमि कानपुर इलैक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन को रेलवे साइडिंग के लिये। यह भी ६,५०० रुपये प्रति एकड़ की दर से दिया जाना निश्चित हुआ है।

(ङ) उपरोक्त ४ भूमि खंडों के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई भूमि किसी अन्य पार्टी को नहीं बेची गई है। इस आधार पर फैक्ट्रियों के लिये विकसित भूमि का मूल्य लगभग १ रु० ३० नये पैसे प्रति वर्गगज होता है।

(३) यह भी सही नहीं है कि कोई खड़ी फसल दिनांक १२ सितम्बर, १९६३, को ग्राम पनकी, कटरा, शाहपुर या मोहसिनपुर में नष्ट की गई हो परन्तु भूमि के महापालिका द्वारा कब्जा लेने के बाद तथा धान की फसल कट जाने के बाद कुछ लोगों ने नोटिस दिये जाने के बावजूद जबरदस्ती भूमि बो ली है। इस फसल में केवल उस ८.५४ एकड़ पर जो थर्मल पावर स्टेशन के लिये रेलवे साइडिंग के हेतु दी गई है और जिस पर साइडिंग बनने की कार्यवाही रेलवे द्वारा प्रारम्भ हो चुकी है, यह रबी की फसल केवल ३, ४ बीघा भूमि से जो अभी उगना ही प्रारम्भ हुई है, अवश्य हटा दी गई है और उसके लिये भी उचित मुआवजा देना तय कर दिया गया है। यहां यह स्पष्ट करना है कि इन काश्तकारों को इस भूमि पर बिना महापालिका की स्वीकृति के जोतना-बोना उचित नहीं था और इस कारण उन्हें इस फसल का मुआवजा दिया जाना ही आवश्यक नहीं था, फिर भी उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव किया गया है और इस रबी की फसल पर भी उन्होंने जो काम किया, उसको भी उन्हें उचित मुआवजा दिया जा रहा है।

कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत सम्मिलित गांवों की अर्जित कृषि-भूमि को ३८५ अधिक मूल्य पर बेचने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री शिवनाथसिंह—

अभी मंत्री जी ने बताया कि इस योजना में ३० गांवों की जमीन ली जा रही है लेकिन इस प्लान के अन्तर्गत जो शेष १४२ गांव हैं उनकी जमीन भी ली जायगी। अक्टूबर नवम्बर के महीने में कानपुर जिले और शहर के विधायक माननीया मुख्य मंत्री से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो रबी और खरीफ की फसल खड़ी है उसको छेड़ा नहीं जायगा। इसके अलावा मुआवजे के बारे में भी यह आश्वासन दिया था कि उसके मुनासिब देने के बारे में भी विचार किया जायगा। लेकिन स्थिति यह है कि जो इस प्लान के अन्दर भूमि ली जा रही है उसके लिये किसानों को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया और सरकार की तरफ से अनुचित रूप से कब्जा किया जा रहा है और सरकारी अफसरों ने फसल को उजाड़ा है। तो क्या सरकार बतायेगी कि किसानों को बगैर मुआवजा दिये, उनको बगैर नोटिस दिये उनकी फसल को क्यों बरबाद किया जा रहा है?

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

कोई फसल बरबाद नहीं की गई है। जब धान की फसल कट गयी उसके बाद ही कब्जा लिया गया। कब्जा लेने के बाद भी कुछ किसानों ने ३–४ बीघे में रबी की फसल बो दी। सभी जानते हैं कि वह फसल तो अभी ४–४ अंगुल की ही होगी। किसानों से इस सम्बन्ध में फैसला हो गया है और उनको बीज वगैरह के लिये कुछ दे दिया जायगा।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन किसानों की जमीन अर्जित की गयी है क्या सरकार ने उनकी जीविका के लिये कोई प्रबन्ध किया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि जिन किसानों की जमीन ली जायगी, उनका खयाल उस समय रखा जायगा जब छोटे मोटे धंधों के लिये लोगों को जमीन दी जायगी। दूसरी बात यह है कि जब फैक्ट्री वगैरा कायम होगी, उनमें सर्विसेज वगैरा देने में इन किसानों को तरजीह दी जायगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह भूमि २८८ रुपया प्रति एकड़ किसानों से ली गई है और वही जमीन थर्मल प्लान्ट और रेलवे साईडिंग के लिये करीब साढ़े छै हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दी गयी है, तो क्या सरकार गाजियाबाद की भांति यहां के लोगों को भी कुछ अधिक मुआवजा निर्धारित करने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अभी बतला दिया गया है जिस भाव में जमीन बेची गयी है लेकिन इस कीमत में उस जमीन को डेवलप करने में जो रुपया खर्च हुआ है, वह भी तो शामिल है, फैक्ट्री आदि से हम कोई मुनाफा नहीं कमा रहे हैं बल्कि उसको डेवलप करने में हमारा जो खर्चा होगा, उसको शामिल करके ही कीमत मुकर्रर की गयी है। फिर अभी तो डेवलपमेंट के लिये ५० हजार रुपया ही लेकर छोड़ दिया गया है। डेवलपमेंट होकर जो कास्ट आयेगी, वह ली जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों पर मुकदमा चलाने की बात है, क्या उनकी जमीन मुआवजा देकर ली गई है या उनको अभी मुआवजा देना बाकी है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिन किसानों से जमीन ली गई है उन सबको मुआवजा दिया जा रहा है। नगरपालिका ने उससे कब्जा ले लिया है लेकिन जब नगरपालिका के लोग वहां कब्जा लेने गये और किसी ने गैर-कानूनी कार्यवाही की। तो उसकी रिपोर्ट की गई और उसके अनुसार पुलिस अधिकारी कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैंने यह पूछा था कि जिन किसानों पर मुकदमा चलाने की बात है और जिनकी जमीनों पर कब्जा लेने अधिकारी गये या कब्जा ले लिया, तो उससे पहले किसानों को मुआवजा बांटा गया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अर्ज किया कि इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी। यह बताना मुश्किल है अभी कि किस आदमी को मुआवजा मिला और किस को नहीं मिला, मेरे पास अभी उनके नाम भी नहीं हैं। मुआवजा सबको दिया जा रहा है लेकिन अगर कोई मुआवजा न भी ले, तब भी कब्जा ले लिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मेरा प्रश्न यह है कि जिस किसानों पर मुकदमा चलाने की बात है और जिन किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, उनको मुआवजा अभी दिया गया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अर्ज किया कि इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी परन्तु कब्जा लेने के लिये यह जरूरी नहीं है कि मुआवजा पहले दे ही दिया जाय, क्योंकि अगर कोई मुआवजा नहीं लेता है तो फिर कब्जा ही कभी नहीं मिलेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितनी रकम की जमीन किसानों की ली गई है और उसमें से कितनी रकम की अदायगी मुआवजे के रूप में हो चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

२८८.७२ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है और १४,००० एकड़ जमीन अर्जित करना है जिसमें से ६०० एकड़ से ऊपर भूमि का कब्जा लिया जा चुका है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

अक्सर देखा जाता है कि नगरपालिकायें किसानों की भूमि लेकर डाले रखती हैं और किसान बेकार हो जाते हैं और वह उस जमीन को दूसरे लोगों को पट्टे पर देकर लम्बा मुनाफा उठाती हैं, तो क्या मंत्री जी इस प्रकार का आदेश जारी करेंगे कि वह जमीन जब तक काम में न ली जाय उस वक्त तक उन्हीं किसानों पर बनी रहे, जिनकी वह है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जब तक कि जमीन पर काम आरम्भ नहीं होता, जैसे कि रेलवे साइडिंग के लिये ली गई, तब तक वह पट्टे पर दी जाती है और वह आम तौर पर उन्हीं को दी जाती है जिनकी कि वह जमीन होती है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों पर मुकदमा चलाने की व्यवस्था है यदि उनको मुआवजा न दिया हो, तो क्या उनके मुकदमे वह वापस करायेंगे ?

श्री चतर्भुज शर्मा—

वापस लेने का सवाल दूसरा है, वह तो जिलाधीश तय करेंगे। जो जुर्म करता है उसी पर मुकदमा चलाया जाता है।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह तो देखें कि जो प्रश्न किया जाय, उसका सही उत्तर तो मिले।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। कृपया शान्त रहें।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिन किसानों को पजेशन लेने से पूर्व मुआवजा नहीं दिया गया उन पर जो मुकदमा है, वह वापस लिया जाय ?

श्री चतर्भुज शर्मा—

मैं इसकी जांच करा लूंगा कि मुआवजा मिला या नहीं, लेकिन अगर कुछ तसफिया हो गया है तो जिलाधीश उसको देखेंगे कि मुकदमा चलाया जाय या न चलाया जाय। पलिस की तफ्तीश के बाद वह तय करेंगे कि मुकदमा चलाया जाय या नहीं चलाया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी स्वतः इसकी व्यवस्था करेंगे कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया था उन पर कोई मुकदमा न चलाया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने यह अर्ज कर दिया कि जो कानून शिकनी करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मुआवजा का जहां तक प्रश्न है वह अलग चीज है, उसके लिये कार्यवाही हो रही है और जहां कहीं ला एण्ड आर्डर की बात होगी, वह चीज अलग है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वह वर्तमान मार्केट रेट के हिसाब से दिया जा रहा है या पुराने नियमों के अनुसार ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

महापालिका अधिनियम में जो उसके लिये प्राविजन है, उसके अनुसार दिया जा रहा है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि जो निर्माण का काम होगा उसमें सबसे पहले मकान उनको दिया जायेगा जिनकी जमीन ली गयी है और उनके मना करने पर ही वह किसी दूसरे को दिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह मुश्किल है। लेकिन उनको तरजीह दी जायेगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इस जमीन पर फी एकड़ डेवलपमेंट कास्ट कितनी आयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अभी तो डेवलपमेंट किया जा रहा है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन् मुनाफाखोर लोग कुछ जमीन खरीद लेते हैं और उसको ज्यादा पैसा लेकर बेच देते हैं। तो मालूम होता है सरकार उतना पैसा नहीं दे रही है जो मार्केट वैल्यू है। अतः क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि मार्केट वैल्यू से मुआवजा दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

जो नियम हैं, नोटीफिकेशन के वक्त, जिस इस्तेमाल में वह जमीन होती है उसको देखते हुए मार्केट वैल्यू के अनुसार ही निश्चित किया जाता है।

श्री शिवनार्थासिंह —

महापालिका ने जो जमीन अर्जित की और उस पर डेढ़ दो रुपया स्कैवयर गज डेवलपमेन्ट खर्च करके उसको छोड़ दिया, तो मंत्री जी बतायेंगे कि वह अर्जित की जाने वाली जमीन विकास खर्च लेने के बाद उन किसानों को छूट देंगे कि वह अपनी जमीन बेच लें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

जितनी जमीन अर्जित की जा रही है और जितनी की जरूरत है उतनी ही अर्जित की जा रही है। अब छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

मंत्री जी ने केसेज के विदड्रा करने के बारे में कठिनायी बतायी कि चार्जेज को देख रहे हैं परन्तु जैसा देखने में आया है सेशन्स सुपुर्द होने के बाद भी सरकार वापस ले लेती है। तो क्या सरकार प्राइमरी स्टेज पर ही इस का आदेश देगी कि जिन काश्तकारों के चालान किये गये हैं वह वापस ले लें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

मैंने कहा, रिपोर्ट की गई, तफतीश हुई अब इस पर निर्णय करना जिलाधिकारियों का काम है। किस नेचर के केसेज हैं, हम लोग यहां से कोई निश्चित राय नहीं भेज सकते। माननीय सदस्य पहले से कोई राय न बना लें। किसी को बिना वजह तंग नहीं किया जायगा। जो माननीय सदस्यों की राय है उसको मैं ध्यान में रखता हूं। अगर कहीं कोई कानून तोड़ता है तो उसके लिये कार्यवाही जिलाधिकारियों पर छोड़नी पड़ती है।

श्री लक्षीसिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन किसानों की जमीन ले ली गई है और किसानों पर कोई दूसरा काम नहीं होता सिवाय खेती के और आप कहते हैं कि कारखानों में उन्हें नौकरी दी जायगी,

तो वहां भी बिना ट्रेनिंग वह काम नहीं कर सकते। अतः जब तक नौकरी देने की सुविधा करें तब तक के लिये किसान को इसी मूल्य पर कोई जमीन देने की व्यवस्था है आपकी?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

वह जमीन खरीद सकते हैं जहां चाहें।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अभी हाल में केन्द्रीय सरकार का पत्र आया है कि यथा सम्भव कृषि भूमि न ली जाय! और अगर जरूरत ही पड़ जाय तो बाजार भाव से उसका मूल्य किसानों को दिया जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

किस पत्र की बाबत माननीय सदस्य कह रह हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन यह तो निश्चित है कि जब भी जमीन ली जाती है तब या तो परती होती है या काश्त वाली जमीन होती है। जैसी भी जमीन उस जगह पर हो, वही ली जाती है।

*श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, आप जरा हमारी सहायता करें। एक मौलिक प्रश्न यह है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि किसान ने कानून का उल्लघंन किया, इस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों की धारणा है कि जब तक किसान को मुआवजा न मिल जाय वह जमीन को रोक सकता है और उसमें कोई गुनाह नहीं है। आपको याद होगा भूतपूर्व सिंचाई मंत्री ने, जो आजकल विकास मंत्री हैं, पचासों बार आश्वासन सदन में दिया है कि किसान के खेत का मुआवजा जब तक न मिल जाय तब तक उस खेत पर निर्माण-कार्य नहीं करेंगे। तो जब तक किसान को मुआवजा न मिल जाय तब तक तो उसका कब्जा है ही और उसको अगर कोई जबरदस्ती लेता है तो वह उसको रेजिस्ट करेगा। तो उल्लंघन कानून का उसने नहीं किया बल्कि सरकार ने किया। जो लोग आये होंगे उनको उसने मारा होगा, तो इसमें कोई उसने कानूनी जुर्म नहीं किया।

बहुत मौलिक प्रश्न है। जहां पर किसान को मुआविजा नहीं मिला है, किसान फसल को बोता है और बिना मुआविजा दिए हुए उसको मुकदमें में फांसा जाता है। यह अच्छी बात नहीं। मुझे इस मौलिक प्रश्न पर फिर से आश्वासन मिलना चाहिये कि इस तरह से उन पर मुकदमें न चलाये जायं और उनके साथ धांधली न की जाय क्योंकि जब किसानों के साथ धांधली होती है तो किसानों को मजबूर होकर उनके मुकाबले में खड़े होना पड़ता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि किसानों को मुआवजा दिया जाय और उनपर इस तरह के जुल्म रोके जायं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय पांडेय जी ने जो बात कही वह एक बात को तस्लीम करके चलते हैं कि मुआवजा नहीं दिया गया है या उन्होंने जो काम किया, वह न्यायसंगत नहीं किया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मुकदमे चलाने का शौक नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में कह चुका हूं कि इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष —

ये नीति का सवाल पूछना चाहते हैं। वे यह पूछना चाहते हैं कि जब तक मुआवजा न दिया जाय तब तक अगर कब्जा लेना चाहते हैं और अगर ये कोई झगड़ा करते हैं तो आपकी क्या नीति है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं वही अर्ज करने जा रहा था कि मान लीजिए कोई जमीन एक्वायर हो गयी। मुआवजा दिया जा रहा है। वह आदमी नहीं लेता और वहां पर मर्डर हो जाता है। तो क्या आप कहेंगे कि उस पर मुकदमा न चलाया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा सवाल वे पूछना चाहते हैं कि अगर उनको मुआवजा नहीं दिया गया, आफर ही नहीं किया, गया तब क्या होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर मुआवजा नहीं बटा है वह दिया जाय। चूंकि यह सूचना मेरे पास नहीं है, केवल दो दिन का नोटिस दिया गया इसलिये इत्मीनान के साथ नहीं कह सकता कि मुआवजा दिया गया या नहीं ? लेकिन मेरा विश्वास है कि मुआवजा दिया गया है और कोई झगड़ा भी विशेष नहीं है। उन किसानों ने तय कर लिया है कि उनकी भी तफतीश कर रहा हूं और अगर तफतीश होगी, तो मुकदमें चलने का कोई सवाल नहीं है।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात है। मैंने आपकी बात को उनको समझा दिया है। जो उत्तर उन्होंने उचित समझे, वे दे दिए हैं।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के नियमों के अनुसार जब कोई लैन्ड एक्वायर किया जाता है तो मुआवजा फिक्स होता है, उसे कोर्ट में जमा करना पड़ता है और यहां पर जो मुआवजा एसेस्ड हुआ है वह कोर्ट में जमा कर दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

कार्यवाही, कानून के अनुसार ही की गयी और जो यह भूमि एक्वायर की गयी है, जो कानूनी कार्यवाही होगी उसी के मुताबिक की गयी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

कोर्ट में जमा की गयी है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

कायदे में होगा तो कोर्ट में जमा किया होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

जमा किया गया या नहीं किया गया, इसका निश्चित उत्तर आप दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष —

उनके पास निश्चित सूचना नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय —

यदि माननीय मंत्री के पास सूचना नहीं है तो २४ तारीख को इसे फिर पेश करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री सूचना मंगा कर २४ तारीख को जवाब दे देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

हां, दे दूंगा।

मथुरा जिले के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों की यूनियन के अध्यक्ष और उनकी पत्नी को जेल भेजने आदि के सम्बन्ध में वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

उपाध्यक्ष महोदय, सूचना मिली है कि २४ नवम्बर, सन् १९६३ को लगभग २ बजे जिला मथुरा के सार्वजनिक निर्माण विभाग के लगभग ७०–८० कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंत के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया तथा इस प्रदर्शन के अन्तर्गत कुछ अश्लील नारे तथा भाषण दिये गये । इस जन समूह का नेतृत्व श्री राम स्वरूप वशिष्ठ तथा उनकी पत्नी, श्री भूप सिंह, श्री हकीमा तथा श्री खुश ली ने किया । अधिशासी अभियन्ता उस समय अपने निवास स्थान पर नहीं थे। वे दौरे पर गये हुये थ । इस जन समूह न अधिशासी अभियन्ता के निवास स्थान में घुसने का प्रयास किया तथा वहां उपस्थित कर्मचारियों को भी परेशान किया ।

अधिशासी अभियन्ता जब दौरे से लौटे तो उनको सूचना मिली कि उनके निवास स्थान पर एक अभद्र प्रदर्शन हो रहा है और वे अपने घर न जाकर पुलिस अधीक्षक के पास गये और वहां उन्होंने उनको इस घटना के विषय में बताया । पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक कार्यवाही की और जब यह जन समूह वहां से हट गया तब अधिशासी अभियन्ता सांयकाल अपने निवास स्थान पर पहुंच पाये । यहां पहुंचने पर सम्पूर्ण घटना की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता ने कुल घटना की रिपोर्ट पुलिस को की । इस घटनावश तो किसी को नौकरी से अलग नहीं किया गया है । यह भी सत्य प्रतीत नहीं होता कि सैकड़ों पर जुर्माने किये गये है या ७ आदमी नौकरी से निकाल दिये गये हैं। वास्तव में पिछले ५ महीने में डिवीजन भर में किये गये जुर्मानों की रकम केवल १२० रु० है । नौकरी से भी एक ही व्यक्ति निकाला गया है और वह भी इस लिये कि ठीक से कार्य नहीं कर रहा था । ड्राइवरों का वेतन न मिलने का कारण कुछ वैभागिक दिक्कतें हैं और इस विषय में अधिकारी आवश्यक कार्यवाही कर रहे है । इन विषयों मे किसी प्रकार की अनियमितता की गई प्रतीत नहीं होती ।

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसमें अतिशयोक्ति का अंश अधिक है । यह कहना सत्य नहीं है कि इस घटना से सैकड़ों परिवार आतंकित हैं या काम से वंचित हैं। ऐसा भी नहीं है कि लाखों की संख्या में इस घटना से किसी प्रकार का असंतोष का वातावरण व्याप्त है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी ने बतलाया कि जिस वक्त प्रदर्शन हुआ तो क्या अश्लील नारे लग रहे थे और उसकी वह परिभाषा बतलाने की कृपा करेंगे ? दूसरे, क्या यूनियन के अध्यक्ष श्री रामस्वरूप वशिष्ठ की पत्नी भी वहां मौजूद थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अश्लील की परिभाषा और जो अश्लील शब्द हैं वह सभी जानते है और उनकी पत्नी वहां मौजूद थीं यह रिपोर्ट मे बताया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये यह केवल स्टेटमेन्ट के लिये था इसलिये इस पर सवाल नहीं होंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

स्त्री और पुरुष दोनों ही जेल में हैं । तो मैं जानना चाहता था कि स्त्री ने क्या कसूर किया जो उसको जेल में डाल दिया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

पति और पत्नी दोनों ही प्रदर्शन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे इसलिये दोनों के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट की ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

क्या माननीय मंत्री जी जिस व्यक्ति को नौकरी से काम ठीक न करने में निकाला गया है उस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट को न मान कर किसी अन्य उच्च अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत --

जो निकाले जाते हैं उसके नियम बने हुये हैं, वह अपील कर सकते हैं और उसी हिसाब से उसका फैसला होता है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या उस समय घटना स्थल पर पुलिस मौजूद थी--दो--सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबिल ? यदि हां, तो जब प्रदर्शनकारी मकान में घुस रहे थे और वहां के कर्मचारियों को परेशान कर रहे थे तो वह पुलिस वहां क्या करती रही, उस वक्त गिरफतारी क्यों नहीं हुई और एक चार वर्ष की लड़की जिसका नाम राजेश्वरी कुमारी अनुराधा था उसने क्या अपराध किया था जिसके कारण उसे ३० मील की दूरी से पकड़वा मंगाया गया?

श्री जगनप्रसाद रावत --

जब प्रदर्शन हो रहा था तो उस समय पुलिस वहां मौजूद नहीं थी । पुलिस तब गयी जब अधिशासी अभियन्ता लौट कर शाम को आये और पुलिस अधीक्षक से कहा । उससे पहले तीन चार घंटे तक पुलिस वहां नहीं थी ।

श्री विजयसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चार वर्ष की लड़की को जिसका नाम राजेश्वरी कुमारी अनुराधा है उसको क्यों ३० मील की दूरी से पकड़वाया गया और ५०० रुपये जुरमाना किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

मेरे पास इस विषय की कोई इत्तला नहीं है कि किसी को सजा हुई भी । इस मामले में । मेरे पास तो यही है कि रिपोर्ट की और उसके आधार पर पुलिस ने जांच की और कार्यवाही की । जुरमाना तो फैसले के बाद ही होता है ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

श्रीमान्, चार वर्ष की बच्ची जो है....

श्री उपाध्यक्ष ---

देखिये इस में कोई बहस की बात नहीं होगी ।

श्री शारदाभक्तसिंह ---

श्रीमन्, क्या यह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष ---

जो भी गवर्नमेन्ट चाहेगी वही तो जवाब देगी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय ---

श्रीमन्, आप तो प्रमुख वकील रहे हैं और आप इन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं । यह किस आधार पर उचित है कि चार साल की लड़की को ३० मील से गिरफ्तार किया जाय और ५०० रुपये जुरमाना किये जायं ?

श्री उपाध्यक्ष ---

यह तो आपने कह दिया । अब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री जगनप्रसाद रावत ---

श्रीमन्, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि चार वर्ष की लड़की को गिरफ्तार करके ५०० रुपये जुरमाना हुये ।

श्री उपाध्यक्ष ---

वे कहते हैं कि सूचना नहीं है कि कोई ऐसा केस आया हो ।

श्री शारदाभक्तसिंह ---

क्या मंत्री जी इसको सूचना मानकर कि चार वर्ष की लड़की और उसकी मां ३० मील की दूरी पर पकड़ी गई और उनसे जमानत ली गई इसकी तहकीकात कराके छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत ---

आप मुझे तफसील दे दें, लड़की के नाम वगैरह की, मैं जांच करा लूंगा ।

२७ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न १० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ को श्री ईश्वरशरण द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १० के संबंध में सदस्य महोदय ने स्वयं अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार बतायेगी कि इसकी मंजूरी सन् १९६० में दी गई थी और १९६३ में वह बन रही है तो इस सड़क को खत्म होने में अभी कितने दिन और लगेंगे ।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि यह सड़क तुलसीपुर फैक्टरी एरिया मे आती है । पहले इसमें १९५७ मे सी० सी० ट्रैक मंजूर हुआ था । बाद में चीफ इंजीनियर इस सड़क के बजाय तुलसीपुर –हरैया ३ मील की सड़क ली थी । वह पेंटेड बनी । इसलिये इसमें देर लगी ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है--- यह सड़क तुलसीपुर फैक्ट्री एरिया से आती है । पहले १९५७ में मंझनी –बड़ा गांव ३ मील

का सी -सी -ट्रैक मंजूर हुआ था । बाद में चीफ इंजीनियर ने इस सड़क के बजाय तुलसीपुर-हरैया ३ मील की सड़क बनाने का सुझाव दिया । सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आवश्यक आदेश इसी साल जारी हुये । इसलिये इस में देर लगी ।

मूल प्रश्न तथा इसका उत्तर संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४४२ पर)

१४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न २३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १४ सितम्बर, १९६३ को श्री विजयसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३ के संबंध में श्री ऊइल ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि प्रसार अध्यापकों की संख्या प्रदेश भर में करीब २,००० के है और उनके ग्रेड और सीनियारिटी जूनियारिटी का सवाल अभी तक खटाई मे है, क्या सरकार इन सब मसलों पर जल्दी निर्णय लेने की कृपा करेगी ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि इस संबंध में एक डिपार्टमेन्टल कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है । उसके आजाने पर निर्णय लिया जायगा ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है--

पुनर्व्यवस्था योजना के कार्य के मूल्यांकन हेतु शासन ने सन् १९५७ में एक विभागीय समिति की नियुक्ति की थी । इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस योजना का कार्य १० वर्ष तक देखा जाय । चूंकि योजना को चालू हुये दस वर्ष अगले वर्ष (१९६४) मे हो जायेंगे । अतएव अभी से विभाग कि उपर्युक्त सिफारिश के अनुसार योजना का पुनः निरीक्षण किया जा रहा है । इस प्रकार शासन ने प्रसाराध्यापकों की सीनियारिटी आदि पर विचार करने के लिये कोई अलग से विभागीय समिति नहीं बनाई है ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४४३--४४६ पर)

१९६३-६४ के लिये गुड़ तथा खंडसारी यूनिट लाइसेंसिंग नीति नवीनीकरण संबंधी रियायतें

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

उपाध्यक्ष महोदय, ऋसर्श के संबंध में पहले हमारी यह नीति थी कि जो पारसाल चले थे उनको ही लाइसेंस देगें ।

इस बीच में थोड़ा सा नीति में कुछ परिवर्तन हो गया है तो वह में पढ़कर कर सुनाना चाहता हूं ।

१--ऐसी इकाइयों का नवीकरण किया जायगा जिनका १९६२-६३ में नवीकरण नहीं हुआ किन्तु १९६२-६३ से पूर्व कम से कम लगातार दो वर्ष का लाइसेन्स उनके पास हो ।

२--ऐसी इकाइयां जो अभी तक सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में चालू थीं और जो १९६२-६३ या १९६३-६४ में पहली बार सुरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित की गई , को चलने दिया जायगा और उनको लाइसेंस दिये जायेंगे किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी किसी इकाई को फैक्ट्री गेट के सघन विकास क्षेत्र में चालू होने की अनुमति न दी जायगी ।

३—ऐसे प्रार्थियों को लाइसेंस दिया जायगा जिनको १९६२-६३ या १९६३-६४ में आपति न होने का प्रमाण पत्र दे दिया गया हो ।

४—किसी पुराने वेल या केन्द्र पर से टीपयूगल जो केवल १९६२-६३ में चालू नहीं था को लाइसेन्स दिया जा सकेगा ।

५—विगत सीजन में कुछ शर्तों के अधीन दिये गये लाइसेन्स सिवाय इस शर्त के कि केवल अवशेष गन्ने की पेराई करें नियमित रूप से जारी हुये लाइसेन्सों के समान होंगे ।

६—लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को भी दिये जा सकते हैं जिन्होंने अपने वर्तमान लाइसेन्सों में निर्दिष्ट क्षमता (कैपेसिटी) से अधिक क्षमता के क्रशर लगा लिये हैं किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनके कार्य की कुल अवधि समान रूप से कम कर दी जायगी जिससे बड़ी इकाइयों में उनकी कुल पेराई उनके वर्तमान लाइसेन्सों में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक न हो ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष जी मैं एक जानकारी चाहता हूं । अभी मालूम हुआ है कि प्रांत के अन्दर से टी यूगल जो कि हाथ से चलाकर खांड बनाते हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है इसके बारे में मंत्री जी क्या बताते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हैड सेन्टीपयूगल पर प्रतिबन्ध जैसा पारसाल था उसी तरह का है. कोई नया प्रतिबन्ध नहीं है । यह जरूर कर दिया है कि अब तक जो था वह यह था कि जो पार साल चलते थे वहीं चलेंगे, अब यह भी हो गया है कि जो पार साल डार्मेट था वह भी चलेगा ।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

हाथ से चलने वाली मशीनें जो एसाइंड एरिया के बाहर थीं उन पर आज तक कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन अब की बार एरिया से २०-२० मील की दूरी पर जाकर आपके इंसपेक्टरों ने हाथ से चलने वाली मशीनों को सील कर दिया है । क्या यह आपकी जानकारी में है और क्या उन्हें कोई लाइसेन्स लेना है ? अगर लेना है तो वह कहां से लेना है ?

श्री शातिप्रपन्न शर्मा—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है । लेकिन आपने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया है तो मैं इसे देख लूंगा ।

एक सदस्य —

एसाइंड एरिया से बाहर जो रकबा है उनमें जरूरत है या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो बताया कि एसाइंड एरिया में तो है. बिलकुल है । बाहर वाले में अगर पारसाल नहीं था तो इस साल भी नहीं होगा । बाहर के लिए उसी तरह से है जिस तरह पहले के थे ।

श्री विजयपालसिंह—

वहां इंसपेक्टरों ने कोई ऐसी कार्यवाही अगर की है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

ऐसे केसेज अगर आप मिसाल के तौर पर लिखकर दे देंगे कान्फ्रोट फार्म में तो उनको देख लिया जायगा और उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ ऐसे भी यूनिट हैं जो पिछले वर्ष में चल रहे थे लेकिन उनके चलाने वाले अन्य लोग हो गए हैं इस सम्बन्ध में रियायत करने की कृपा करेंगे कि ऐसे यूनिट जहां कि सारी मशीनरी लगी हुई है वह बेकार चले जायेंगे तो उनको भी आज्ञा देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अगर उन्होंने आपस में ट्रान्सफर किया है तो उनको हम मान लेंगे, लेकिन फैमिली में नहीं हैं तो उनको हम नहीं मानेंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बहुत से पावर क्रशर ऐसे हैं जो किसानों के अपने हैं और वह गन्ना दूसरों का नहीं खरीदते हैं, वह केवल गुड़ बनाते हैं अपने गन्ने का, तो उनके लिये लाइसेन्स क्यों दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

लाइसेन्स देने की नीति पुरानी है । जो रिजर्व्ड एरिया हैं उनमें पारसाल भी लाइसेन्स दिया गया था चाहे वह उनके अपने हों या दूसरों के। जो बाहर नहीं हैं उनके लिये यह था। जो उसके अन्दर नहीं हैं उनके लिये तो वही पारसाल वाली नीति है और उसके लिये हमने लाइसेन्स की नीति घोषित कर दी है जिसमें पहली नीति के मुकाबले में बहुत रियायत दी गई है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

वह किसानों का अपना गन्ना है । वह किसी से खरीदते नहीं हैं और अपना ही गुड़ बनाते हैं, तो उनके लिये सरकार कुछ रियायत देगी ?

श्री राममूर्ति--

यह रियायत खासतौर से कोल्हू के लिये है, जो कोल्हू चलाते हैं उनके लिये, क्रशर एक मशीन है । वह गन्ना पेर सकते हैं इसलिये उनके ऊपर लाइसेन्स दिया गया है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--

इस बात को देखते हुये कि पिछले साल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को क्रशर लगाने के लिये लोन दिया है और जिलाधीश ने भी उनको विश्वास दिलाया था कि उनको अगले वर्ष लाइसेन्स मिल जायगा, तो ऐसी इकाइयों को, जिन्होंने सरकारी बढ़ावा देने पर अपनी मशीन खरीदी है क्या सरकार उनको लाइसेन्स देने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने अपने उत्तर में यह बात कहीं है कि यदि आपत्ति न होने का प्रमाण-पत्र वह दे देते हैं तो उनको लाइसेन्स दे देंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी कोई स्पष्ट आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो काम के घंटे हैं उनके बढ़ाने पर विचर किया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है । इनसे जो बातचीत हुई थी उस बातचीत में ८ घंटे के हिसाब से निश्चय हुआ था । खांडसारी एसोसियेशन वालों ने यह रिप्रिजेन्ट किया कि कभी कभी मशीन टूट जाया करती है तो उसके बदले में २ घंटे और दिये जायं तो २ घंटे और बढ़ाये थे। फिर कहा कि २ घंटे के बदले १ घंटा और दिया जाय तो अब ११ घंटे हो गये हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । यह आपस में मिलकर बात तय हुई है ।

प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करने का संकल्प

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त कर दी जाय ।

यह संकल्प मेरा उस संख्या से सम्बन्धित है जिसकी उत्पत्ति पराधीनता काल में ब्रिटिश शासन में हुई थी । जैसा कि आप जानते हैं कि इस अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति ब्रिटिश शासन में शासन द्वारा इस अभिप्राय से की गई थी कि कुछ लोग जो सरकार के भक्त थे और उनसे सारे कामों में रियायत लिया करते थे,उनके साथ हमेशा रहते थे, उनके प्रभाव को क्षेत्रों में रखने के लिये और उनको एक ऊंचा स्थान समाज में देने के लिये उन्होंने इनकी नियुक्ति की थी । आप भी जानते हैं कि उस काल में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों द्वारा छोटे छोटे मुकदमें किये जाते थे । वह भी सब दिन वह नहीं बैठते थे । हफ्ते में १–२ दिन केवल वह बैठते थे और केवल तफरीह के लिये बैठ जाया करते थे । वह बड़े आदमी थे, ताल्लुकेदार थे, जमींदार थे, जो अपनी कमाई पर निर्भर नहीं रहते थे और ऐय्याशी का जीवन व्यतीत करते थे । यह भी उनकी ऐय्याशी का एक साधन था । तो वह बराबर कार्य भी नहीं करते थे और उनके पास मुकदमे भी छोटे जाते थे जिनमें बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी । ऐसे भी मैजिस्ट्रेट थे जो आनरेरी थे और अदालतों में कभी काम नहीं करते थे । केवल प्रभाव के लिये मैजिस्ट्रेट बने हुये थे। यह प्रथा जो ब्रिटिश काल में प्रारम्भ हुई थी आज तक देश में चली आ रही है जब कि उसे स्वतंत्र हुये १६ वर्ष हो गये, हमारा संविधान बदल गया, शासन पद्धति बदल गयी और प्रजातंत्र को हमने स्वीकार कर लिया और अपने शासन के अनुरूप हमने अपनी बहुत सी संस्थाओं को बदल लिया, लेकिन यह पुरानी संस्था अब भी चली आ रही है । उपाध्यक्ष महोदय, यह भी हम सब को पता है कि जब यह आनरेरी मैस्जिस्ट्रेट्स थे तो उनके साथ ही आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर्स, आनरेरी मुंसिफ्स आदि भी थे और वे काम किया करते थे । जहां तक आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर्स का सवाल है वह केवल भूमि संबंधी मुकदमें किया करते थे । उनमें अगर गलत निर्णय हो जाता था तो सरकार भी उन से संबंधित हो जाती थी और इसलिये वह प्रथा समाप्त कर दी गयी । आनरेरी मुंसिफ्स भी समाप्त हो गये । जहां तक आनरेरी मैजिस्ट्रेटस का संबंध है, जैसा हम और आप जानते हैं, पंचायत राज ऐक्ट बनने के बाद हमने न्याय पंचायतों की स्थापना की और छोटे-मोटे मुकदमों को उन के द्वारा निपटाने की व्यवस्था की ताकि लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिल सके । तो जब हमने छोटे मुकदमों के लिये एक दूसरी संस्था की स्थापना कर दी है और वह उस काम को कर रही है तो इनको बनाये रखना कहां तक उचित है ? अगर आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शारदाभ र्त्तासिंह]

आनरेरी मैजिस्ट्रेटस की फाइल उठाकर देखें तो उनके पास बहुत से ऐसे मुकदमें हैं कि जिनको न्याय पंचायत में निपटाना चाहिये । आज के जमाने में ये जो काम करते हैं, जिस तरह स इनकी नियुक्ति होती है वह बिलकुल असंगत है । सरकार समझती है इस प्रजातंत्र में किसी से बेगार लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे कहना कि आप जनता का काम सुचारु रूप से करें, समय से आयें, समय से काम करें लेकिन आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जायगा, आप सोचें कि कह तक उचित है ? आप यह अनुभव करते होंगे कि कुछ लोग हमें प्राप्त हो जाते हैं और हमको कुछ देना नहीं पड़ता, लेकिन काम हमारा हो जाता है, लेकिन इस से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जिसे आप कोई पैसा नहीं देते, जिसके समय का कोई मूल्य आप नहीं चुकाते उस पर आप कोई पाबन्दी भी नहीं लगा सकते । नहीं लगा रहे हैं । समय से आयें, निश्चित रूप से काम करें, यह सब नहीं हो सकता । आजकल भ्रष्टाचार का काफी बोलबाला है । ऊपर से नीचे तक सभी इस बात को जानते हैं कि वह सारी संस्थायें, परम्परायें और ऐसे काम जिनसे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, समाप्त कर दी जायं इसकी कोशिश हो रही है । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के सदस्य हों अथवा उस पक्ष के, सब यह अनुभव करते हैं कि ऐसी संस्थाओं से भ्रष्टाचार बढ़ता है ।

मैं यह नहीं कहता कि सब के सब आनरेरी मैजिस्ट्रेटस बेईमान हैं, मैं यह भी नहीं कहता कि यह संस्था ऐसी है जिसमें जो जाता है वह बेईमान हो जाता है । इसमें अच्छे आदमी हो सकते हैं और हैं, लेकिन इस बात को समझते हुये कि जो आदमी काम करे ईमानदारी से करे यह उम्मीद करना उन लोगों से जिनकी आमदनी सीमित है ठीक नहीं प्रतीत होता । इसलिये जब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है वह समाप्त हो तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसी संस्थायें जिनको हम कुछ देते नहीं हैं उनको समाप्त करें और अपनी ओर से किसी भी मनुष्य को हम यह न कहें कि तुम काम करो और तुम्हें मुआविजा नहीं दिया जायगा, तुम्हें कुछ उसका वेतन नहीं देंगे । इस कारण भी हम लोग इस संस्था के चलने का कोई औचित्य नहीं देखते । भारतीय जन संघ ने अपने घोषणापत्र में अपनी निर्धारित नीतियों में से एक यह भी रखी है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स का पद समाप्त करना चाहिये ।

मैंने आपसे कहा कि इनकी नियुक्ति जो होती है वह भी अनुचित है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और आपके ६ नामिनेटेड आदमी और वकीलों का एक प्रतिनिधि यह लोग बैठकर जिनकी सिफारिश करते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने प्रस्ताव द्वारा आपके पास भेज देता है और आपने जो न्यूनतम योग्यता उसके लिये रखी है वह यह है कि वह १० वां दर्जा पास हो । इन्हीं दोनों बातों को देखते हुये कि जिस तरह से उनकी नियुक्ति की जाती है और जो उनकी न्यूनतम योग्यता होती है इस पद का रखना तर्क संगत नहीं है । होता यह है कि जो कमेटी होती है उसके पास वह लोग पहले दौड़ते हैं, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसके सदस्यों के इशारों पर छोटे बड़े काम किया करते हैं और उसके बाद यह समझे कि सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे वह सरकार के प्रभाव में होते हैं ।

इसके अतिरिक्त, एक सिद्धान्त और भी है और सरकार ने भी उसको स्वीकार कर लिया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन होना चाहिये । उस सिद्धान्त का भी हनन हम इस प्रथा को रख कर करते हैं । ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट के हाथ में रहते हैं और कार्यपालिका और न्यायपालिका की पृथकता का उन पर बहुत कम प्रभाव रहता है । हमने जो जुडीशियल आफिसर्स, या ए०डी० एम० या वैतनिक जज या मैजिस्ट्रेट जो भी नियुक्त किये उनके बारे में हमने यह सिद्धान्त रखा है कि उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहना चाहिये जिससे सच्चा न्याय मिले। लेकिन उसी सिद्धान्त का हम हनन इसलिये करना चाहते हैं कि यह मनोनीत मैजिस्ट्रेट होने के कारण उसके प्रभाव में रहेगा और इससे कुछ दलगत स्वार्थों की पूर्ति भी हो सकेगी ।

इसलिये जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है कोई भी माननीय सदस्य इस बात से सहमत नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति रखा जाय जिस को वेतन न दिया जाय और उससे काम लिया जाय और ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाय जिस पर प्रभाव भी ऐसे लोगों का रहे जो उनके न्याय के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं ।

इसी के साथ-साथ मैं एक और सिद्धान्त भी रखना चाहता हूं । जहां तक वैतनिक मैजिस्ट्रेटों का सवाल है सरकार की नीति है कि जिस क्षेत्र के वे रहने वाले हों उनको वहां न रखा जाय क्योंकि वहां उन पर प्रभाव पड़ सकता है । वे यदि उसी स्थान के रहने वाले हं या जहां पर उनके मित्र, रिश्तेदार या घरवाले रहते हैं तो वह वहां नहीं रखे जाते और जानबूझ कर स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स को वहां नहीं भेजा जाता लेकिन इसके बिलकुल विपरीत आनरेरी मैजिस्ट्रेटस को बनाया गया है । वे उसी क्षेत्र में मैजिस्ट्रेसी करते हैं जिस क्षेत्र में रहते हैं और हफ्ते में १, २ या ३ दिन अधिक से अधिक वे आनरेरी मैजिस्ट्रेट का काम करते हैं और तीन दिन उनको उसी साधारण समाज के साथ रहना पड़ता है और वहां उनको अपने साथियों की जरूरतों पर भी विचार करना पड़ता है । इसलिये जब वह समाज में रहते हैं और उनका वहां कोई वेतन नहीं होता तो उन पर प्रभाव पड़ता है । आप उनको उसी जिले में रखते हैं और वे उसी जिले में मैजिस्ट्रेसी करते हैं जहां उनका निवासस्थान होता है । इसलिये मैं समझता हूं कि आदमी कितना भी अच्छा हो लेकिन जिस वातावरण में उसे काम करना पड़ता है उस में निष्पक्ष न्याय देना उसके लिये सम्भव नहीं हो रहा है । ब्रिटिश काल में आनरेरी मैजिस्ट्रेट जिस प्रकार से अंग्रेजों के पिट्ठू और कृपा-पात्र थे और उनके इशारे पर नाचा करते थे, वैसे ही उस दलगत स्वार्थ को पूरा करने के लिये यह सरकार उनको छोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि हर जिले में ४–६ आदमी अपने मन के, अपने प्रभाव के अपने इशारे पर चलने वाले एक प्रभाव के स्थान पर रखना उसे मंजूर है । जब कोई मनोनीत कमेटी बनती है तो सरकार अपने ही आदमियों को मनोनीत करती है । दो-चार जिले में बता सकता हूं कि जो उनकी पार्टी से संबंधित है जहां पर लेजिस्लेचर के आदमी रखे गये हैं आधे-आधे तो आपने अपनी ही पार्टी के रखे हैं और जो दो और मनोनीत होने हैं वह तो आपकी पार्टी के होते ही हैं ऐसा ही न्याय-पंचों के संबंध में है और कितने ही ऐसे प्रश्न हैं जिनको इस सदन में कहा जा चुका है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय विभाग को और हम प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो उसे कम से कम निष्पक्ष बनायें और सरकार के प्रभाव से अलग बनायें । आज हमारे पास बहुत से तथ्य हैं और अगर चैलेंज किया जायगा तो हम नाम भी देने को तैयार हैं कि ऐसे लोग मैजिस्ट्रेट बने हुये हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं है, लिखे-पढ़े नहीं हैं, लेकिन केवल सरकार के कृपापात्र होने के नाते काम कर रहे हैं । जैसे कि बनारस में रामचरन बी हैं । बम्बई और न जाने कहां कहां के मुकदमें चलवाते हैं अपने पड़ोसी पर, बड़ी लज्जा की बात है । आज पंचायत में देखा जाय तो न्याय पंचायत के लोगों को चुनते हैं और फिर उनमें से मनोनीत करते हैं, लेकिन वह केवल सरकार की कृपा पर होते हैं । इन अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों के संबंध में एक रहीम जी का दोहा याद आ गया—

"अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताहि,
रहिमन ऐसे प्रभुहि तजि खोजत फिरिये काह ।"

अब सरकार उन्हें मैजिस्ट्रेट बनाये हुये हैं बिना पैसे के तो वह फिर किसके सहारे रहेंगे, क्यों नहीं सरकार के सहायक होंगे ? अगर सर्विस कमीशन में बैठें तो आ नहीं सकते, योग्यता है नहीं और वह तक है कि अगर दसवीं कक्ष पास भी न हो तो भी मुक्ति दी जा सकती है । सरकार ने अपने आप नियम बनाया है कि अगर ऐसा महाकृपापात्र आ जाय तो सरकार को अधिकार है कि दसवीं पास न होने पर भी छूट दी जा सकती है । इसलिये अब प्रान्त की मांग है कि यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये ।

मैंने यह भी अनुभव किया है कि इनके द्वारा राजनीतिक लाभ भी उठाने का प्रयत्न किया जाता है । सरकार यह कहेगी कि इसके लिये तो हमने नियम बना दिया है कि जो मैजिस्ट्रेट

[श्री शारदाभक्तसिंह]

होगा वह चुनाव में भाग नहीं ले सकता, लकिन इस भी भलाया नहीं जा सकता कि एस खान्दानों में एक व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट बना दिया जाता है कि चुनाव क मौके पर उनको हटा दिया जाता है और उनसे पूर्णतया लाभ उठाया जाता है । तो सिद्धान्ततः जितने भी हमारे मूलभूत विचार हैं उनके विरोध में यह है और उनके द्वारा भ्रष्टाचार फैलता है और न्याय भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता । मैं समझता हूं और आवश्यक भी है कि सरकार इस ओर तुरन्त कदम उठाये ।

श्रीमन्, आप यह भी जानते हैं कि जब सरकार द्वारा कोई व्यक्ति मनोनीत होता है तो वह सरकार का कृपा पात्र होता है और सरकार के प्रभावी लोगों से उसका सम्बन्ध होता है, इस कारण जिले के अधिकारी तथा जिला मैजिस्ट्रेट उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनके कार्य में उन्होंने कोई हस्तक्षप किया तो ठीक नहीं होगा ।

श्रीमन्, न्याय पंचायतों के अन्दर मुकदमें ३ महीने के अन्दर समाप्त हो जाते हैं । अगर वही मुकदमें आनरेरी मैजिस्ट्रेट के यहां जाते हैं तो दो दो साल लग जाते हैं । पहले यह व्यवस्था थी कि जो मुकदमा न्याय पंचायत में चलने योग्य होगा अगर वह आनरेरी मैजिस्ट्रेट के यहां आ जाता है तो वह उस मुकदमें को न्याय पंचायत में ही भेज देगी । किन्तु बाद को यह सोचा गया कि जब ऐसे सब मुकदमें न्याय पंचायत में चले जायेंगे तो यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, इनकी कमी हो जायगी, तो पंचायत राज्य ऐक्ट में संशोधन किया गया कि अगर कोई मुकदमा जिसको तय करने का क्षेत्र केवल पंचायत को है वह आनरेरी मैजिस्ट्रेट के यहां आ जाता है तो आनरेरी मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उस मुकदमें को अपने यहां ही रख सकता है । अतः ऐसी स्थिति में आप न्याय पंचायत के क्षेत्र को भी कम कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं और इनको आप पुनर्जीवित कर रहे हैं । इसलिये इन सारी बातों को समझकर और इसको कोई प्रेस्टीज का प्रश्न न बना कर, इसको ध्यान में रख कर कि न्याय निष्पक्ष हो, मेरे प्रस्ताव को आप स्वीकार करने की कृपा करें और मुझे आशा है, आप इसे स्वीकार करेंगे ।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प में यह संशोधन पेश करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के बाद की' शब्द निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर 'राजनैतिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर की जाती है, अतः यह' जोड़ दिया जाय।

मान्यवर अगर हमारे प्रदेश में न्याय बिकने लगा और उसमें पक्षपात होने लगा और उसमें राजनीति प्रवेश कर गयी तो इस देश और इस प्रदेश का उससे भला होने वाला नहीं है। अभी विरोधी दल के माननीय नेता ने बताया कि अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त सरकार के द्वारा की जाती है। जब जिलाधीश और सरकार के द्वारा नियुक्ति की जायगी तो सरकार के अलावा और किसी का दबाव उनके ऊपर नहीं रहेगा । मान्यवर, जब मैं यह कहता हूं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के द्वारा न्याय बिकता है तो मुझे अपने जिले का ध्यान आ जाता है। वह ऐसे अवैतनिक मैजिस्ट्रेट हैं जो वादी प्रतिवादी दोनों से रिश्वत लेते हैं। जिन के संबंध में जिलाधीश को भी शिकायत की गयी और वहां की बार का प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश से मिला और जिलाधीश से कहा कि ऐसे अवैतनिक मैजिस्ट्रेट के कार्याकाल को समाप्त किया जाय। जिलाधीश महोदय ने सरकार को लिखा, सरकार भी चाहती थी कि ऐसे मजिस्ट्रेटों को जो न्याय में पक्षपात करते हैं, रिश्वत लेते हैं उनको हटा दिया जाय लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जिले में ऐसे मैजिस्ट्रेट अभी मौजूद हैं क्योंकि हमारे जिले के एक उनके मित्र मंत्रिमंडल में हैं उन्होंने सरकार पर दबाव डाला और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया । सदन जरा इस पर विचार करे । जनता ने ऐसे आदमी का विरोध किया लेकिन फिर भी उसको रख दिया गया। फिर भला इस प्रदेश की जनता को न्याय किस प्रकार से मिल सकता है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि जो कांग्रेसी सदस्य चुनावों में हार जाते हैं और जिनको जनता ठुकरा देती है उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया जाता है । फीरोजाबाद का उदाहरण आपके सामने है कि हाल एक हारे हुये एम० एल० ए० को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया गया । जनता के विरोध होने के बावजूद भी केवल सरकार के कृपापात्र होने के कारण सरकार की नींव को मजबूत करने के लिये, दलगत राजनीति को चलाने के लिये, अवैतनिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया । इसी प्रकार से सब जगह होता है । ये मैजिस्ट्रेट चुनाव में भाग लेते हैं और मतदाताओं को प्रभावित करते हैं । संबंधित मतदाताओं को प्रभावित करते हैं । संबंधित मतदाताओं से केसेज को अपने कोर्ट में लगवा कर उनको प्रभावित करते हैं । उझानी में एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट साहब ने अपने भाई को चुनाव में मदद करने के लिये ऐसा किया । फिर बताइये कि जनता को न्याय किस प्रकार मिल सकता है ? ऐसे भी मैजिस्ट्रेट हैं जो दसवीं क्लास तक भी पढ़े नहीं हैं । जब उनको किसी प्रकार के कानून का ज्ञान नहीं होता है तो फिर वे न्याय किस प्रकार से कर पायेंगे ? यही करण है कि जो वकील उनके यहां आकर बहस करते हैं उन्हीं से वे तजवीज लिखाते हैं । मेरी मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि यदि वह इस प्राकार से दलगत राजनीति को चलाने के लिये इस प्रकार की प्रथा को चालू रखेंगे तो इस प्रदेश का कल्याण किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता । अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इन कारणों से अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति को समाप्त किया जाय जिससे जनता को निष्पक्ष न्याय मिल सके और इस प्रदेश की जनता को राहत मिल सके ।

401-402

*श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता विरोधी दल तथा दूसरे माननीय सदस्य के भाषण को सुना । मान्यवर, आज जो प्रस्ताव पेश है वह इस प्रकार है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त कर दी जाय । जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है इस पर मैं अपनी तुच्छ राय बाद में व्यक्त करूंगा । पहले मैं माननीय नेता विरोधी दल और अपने दूसरे साथी की बातों का उत्तर देना चाहता हूं । उनका यह कहना कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की इन्स्टीट्यूशन को समाप्त कर दिया जाय, यह गलत बात होगी। माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात और कही कि अंग्रेजी जमाने में इनकी नियुक्ति की प्रथा थी वही आज भी है । लेकिन ऐसा नहीं है । आज उनकी तकर्रुरी कानून के अनुसार होती है । मेरे मित्र जरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखने की कृपा करें । उसके सेक्शन १४ में यह लिखा हुआ है :—

"The State Government may confer upon any person who holds or has held any judicial post under the Union or a State or possesses such other qualifications as may, in consultation with the High Court, be specified in this behalf by the State Government by notification in the Official *Gazette* all or any of the powers conferred or conferrable by or under this Code on a Magistrate of the first, second or third class...."

इसके मातहत एप्वाइन्टमेंट होता है तथा इस मामले में हाईकोर्ट से भी सलाह ली जाती है ।

जहां तक बेंच बनाने का ताल्लुक है वह सेक्शन १५ के मातहत होता है । सेक्शन १५ इस प्रकार है:—

"The State Government may direct any two or more Magistrates in any place outside the presidency towns to sit together as a Bench and may by order invest such bench with any of the powers conferred or conferrable by on under this Code on a Magistrate of the first, second or third class."

एक दलील यह भी दी गयी कि उनका समय भी मुकर्रिर नहीं किया जा सकता है कि वह कब आये और अब जाये । यह बात भी गलत कही गयी । अगर आप धारा १६ को देखें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बृजभूषणशरण]

तो उसमें यह पावर दी गयी है रूल्स के फ्रेम करने की । उसमें कहा गया है —

"The State Government may, or subject to the control of the State Government, the District Magistrate may from time to time, make rules consistent with this Code for the guidance of Magistrates Benches in any district respecting the following subjects—

(a) the classes of cases to be tried.

(*b*) the times and places of sitting.

(*c*) the constitution of the bench for conducting trials.

(*d*) the mode of settling differences of opinion whch may arise between the Magistrates in Session.

इसका हिन्दी में अनुवाद यह है कि प्रादेशिक सरकार या कलेक्टर उसकी पूर्व मंजूरी से इस तरह के रूल्स बना सकता है जो बेंच और मैजिस्ट्रेट की गाइडेंस के लिये उस जिले में लागू होंगे और किस श्रेणी के मुकदमों को वह बेंच तय करेगी। किस समय तक और कितने दिन वह बेंच रहेगी और उसका कांस्टीट्यूशन कैसे होगा। और जो मैजिस्ट्रेट होंगे उनकी इत्तफाक राय न होगी तो फैसला कैसे होगा। यह कहना गलत है कि उनके काम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।

लेकिन एक बात जो माननीय नेता विरोधी दल तथा दूसरे माननीय सदस्य ने उधर से कही उससे मैं सहमत हूं और उस कारण से ही आनरेरी मैजिस्ट्रेट की संस्था को खत्म होना चाहिये। उनकी यह दलील बहुत माकूल है कि वैतनिक मैजिस्ट्रेट अपने जिले में पोस्ट नहीं किये जाते क्यों कि उनके लोकल संबंध, दुश्मनी, रिश्तेदारी, लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं और अगर उनको उसके निजी निवास स्थान पर रखा जाता है तो ऐसे केस जरूर आयेंगे जिनमें लाइक्स और डिसलाइक्स, रिश्ते- दारी दुश्मनी के प्रश्न आ सकते हैं और इस कारण से मैं यह बात मंजूर करने को तैयार हूं कि अवैतनिक मैजिस्ट्रेट का इन्सटीट्यूशन खत्म किया जाय।

एक बात मैं और कहूंगा कि यह बहुत गंभीर मसला आपकी तरफ से पेश किया गया है और इसको रिलप शार्ट डील न किया जाय, हुल्लड़ मचाने से काम नहीं चलता, हल्ला गुल्ला से क्या ? काम चलने वाला है मैं तो आप का ध्यान दिलाऊंगा कि यदि आनरेरी मैजिस्ट्रेट और स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट के मुकदमों की लिस्ट अगर बनवाई जाय तो आप देखेंगे कि अगर स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेस ने १०० मुकदमें किये हैं तो उनमें से ४० या ५० अपील में उलटेंगे, लेकिन आनरेरी मैजिस्ट्रेटस के १०० में से शायद ९० मुकदमे उलट जायेंगे अपील में और इस तरह से आप समझें कि कितना जनता का समय, रुपया और एनर्जी खराब होती है इसलिये भी इस अवैतनिक मैजिस्ट्रेसी को खत्म करना चाहिये। अगर सरकार किसी वजह से यह समझती हो कि वेतन न देने पर काम हो जाता है म्युनिसिपल कमिश्नर काम करते हैं, जिला परिषद के मेम्बरान को भी हम कुछ नहीं देते और आप भी कोई वेतन की वजह से काम नहीं करते, आप तो देश सेवा की वजह से काम करते हैं आपके लिये वेतन देना न देना कोई माप दन्ड नहीं है, दरअस्ल मापदन्ड कोई पैसा नहीं है बल्कि देखना यह है कि इन्स्टीट्यूशन इन्टर्नली और बेसिकली ठीक काम करता है या नहीं। चाहे वह लोकल इन्फ्लुएंस के कारण ठीक काम न कर सकें या कोई भी कारण हो वह बात अलग। मैं पुरजोर शब्दों में इतना तो सरकार से अवश्य कहूंगा कि वह अव्वल दर्जा के मैजिस्ट्रेट को बनाना बन्द कर दे क्योंकि उनको ५० रुपए तक जुर्माना करने का अधिकार दिया गया है और उनको अपील का हक नहीं है, अगर सेकन्ड क्लास को रखते हैं और वह धांधलीबाजी करते रहे तबकी जनता का समय और पैसा नष्ट होगा लेकिन उनके फैसलों की कम से कम अपील तो हो सकती है लेकिन फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के फैसले की अपील ही नहीं हो सकती और वह बगैर आत्मातको टटोले ही अपने फैसले करते रहते हैं, उन्होंने दस रुपया जुर्माना किया उसकी कोई अपील ही नहीं और अक्सर लोग हमेशा के लिये बहुत सी चीजों से डिबार हो जाते हैं। किसी को पंचायत या नगरपालिका के एलेक्शन में खड़े होना है। मगर कहीं इस तरह की डिसक्वालीफिकेशन पैदा

करने की जरूरत पड़ी तो वह अपनी पार्टी का मिसयूज कर सकते हैं और जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं कि फर्स्ट क्लास आनरेरी मैजिस्ट्रेट नहीं बनने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल की दलीलों को न मानते हुए उनके सिद्धान्त को मानता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन् जो संकल्प माननीय नेता विरोधी दल ने पेश किया है उसके बारे में बाद में कहूंगा। पहले मैं माननीय बृजभूषणशरण जी की बातों का जबाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक बात ऐसी कह दी कि सब-इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर भी तो सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कि आजकल कौन सबइंस्पेक्टर ऐसा है जो दर्जा ८, ९, १० पास रखा जाता है? डिप्टी कलेक्टर लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आते हैं। सबइंस्पेक्टर्स का भी इम्तहान होता है। जब कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं कि दर्जा दो तक ही पढ़े होंगे। मैं अपने मथुरा की बताऊं, एक हमारे यहां दर्जा ९ पास हैं, एक दर्जा ६ पास हैं, एक जमींदार के कारिन्दा थे, शायद दर्जा दो ही पास हैं, एक ग्रेजुएट हैं और एक म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर हैं। यह मैजिस्ट्रेटों की क्वालीफिकेन्शन्स हैं। अतः जो बात माननीय बृजभूषणशरण जी ने कही वह अपनी जगह पर सही नहीं है।

ब्रिटिश काल में कुछ खान बहादुर, रायबहादुर, हिज हाइनेस हुआ करते थे जो अंग्रेजी शासन को मजबूत करते थे और सरकार की खिलाफत करने वालों का दमन करना ही उनका काम था। यदि वही आपकी नीति है तब तो ठीक है। लेकिन अगर सचमुच में डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं तो इस प्रस्ताव को आपको मानना पड़ेगा। हर जिले में फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं। थर्ड क्लास आनरेरी मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको ऐसी जगह बैठाया जाता है जो घुड़साल कही जाय तो गलत न होगा और उनको अदालत में माननीय बृजभूषणशरण जी जैसे वकील कभी नहीं जायेंगे। वकील उनके यहां ८ आने तक पर मिल जाते हैं। यह तो उनकी हालत है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब अदालती पंचायतों को जुर्माना करने का अधिकार है और जिले में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेटस को भी सजा और जुर्माना करने का अधिकार है तो फिर आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की क्या जरूरत है? यह सिर्फ इसलिये है कि सरकार के कुछ आदमियों को कहीं कोई जगह न मिले तो उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दो? फिर उनको रखता कौन है। बोर्ड जिसमें सरकार के ही आदमी होते हैं, विरोधी दल का एक भी आदमी नहीं होता है। तो सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको राज चलाना है और कुछ खास आदमियों को खपाना है और हम अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। मान्यवर मैं साफ कहता हूं कि डेमोक्रेसी में जो यह निष्पक्षता और ईमानदारी की नकल है ठीक नहीं है। मेरा तो अनुभव यह है कि ८० प्रतिशत आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की हालत यह है कि २ १/२ सेर घी में उनसे जो चाहिये वह करा लीजिये। १० रुपये में जो चाहिये करा लीजिए। देखा यह गया है कि जो गजटेड आफिसर, और हमारे अधिकार हैं, कैरेक्टर सर्टीफिकेट देने के, वे अधिकार उन्हें भी प्राप्त हैं। उन्होंने एक एक मोहर बना रखी है और ८-८ आने या १-२ रुपया लेकर कैरेक्टर सर्टीफिकेट दे देते हैं। यह हालत है न्यायपालिका की। इतनी बड़ी प्रजातंत्र की पद्धति में, श्रीमन्, मैजिस्ट्रेटों की कोई कमी नहीं है। अदालत पंचायत से लेकर ऊपर तक मौजूद है, अतः इस पोस्ट को रखना बेकार है और इसे तोड़ देना चाहिये। इसके तोड़ने से पक्षपात टूटेगा और इस प्रकार से शासन को दलगत राजनीति से अलग रखिये। यदि आपकी आस्था डेमोक्रेसी में है तो इसको तोड़ दिया जाय तब आपको मालूम पड़ेगा कि सही बात क्या है। मुझे ऐसी आशा है कि इस संकल्प को सारे सदस्य और सरकार एक होकर अवश्य मान लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैजिस्ट्रेटों के संबंध में जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी प्रस्तावक महोदय और अन्य नेताओं के उसके

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

संबंध में जो भाषण हुए उनको सुना, उनकी दलीलों को सुना। मुझे ताज्जुब हुआ इन सब बातो को सुनकर। वस्तु स्थिति यह है कि यदि आप प्राचीन हिन्दू न्याय व्यवस्था का अवलोकन करें तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारे यहां न्याय करने वाले जो होते थे वे अवैतनिक ही होते थे। यह पद्धति हमारे यहां १२०० या १३०० ई० तक चली है। आज भी इस प्रजातंत्र में जिम्मेदार पदों पर अवैतनिक लोग रहते हैं। इनमें से यह आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की प्रणाली है। हम आज कुछ व्यक्तियों को न लेकर उस प्रणाली पर आक्षेप कर रहे हैं। यह प्रणाली अत्यन्त निष्पक्ष है। न्याय पंचायतों में भी जो प्रधान है वे भी अवैतनिक होते हैं पर पार्टी बाजी के आधार पर चुना जाता है। परन्तु आनरेरी मैजिस्ट्रेट एक निष्पक्ष एजेन्सी से चुनकर आता है।

दूसरी बात भी सुनिए। (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) जरा हमारी बात तो सुनिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात कहिये।

श्री बद्री प्रसाद पालीवाल—

जिले में एक कमेटी होती है। जिलाधीश उसका चेयरमैन होता है। कुछ नामजद सदस्य उस कमेटी में होते हैं। उस कमेटी का काम सिर्फ सिफारिश करना है और फिर आप जानते हैं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट के बारे में नियम बने हुए हैं कि वह निष्पक्ष होगा, उसके पास खाने पीने के साधन काफी होंगे, उसकी पर्याप्त शिक्षा होगी उन्हीं व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है जो ऐसे व्यक्ति होते हैं। जिलाधीश से वे सिफारिशें न्याय मंत्री के यहां आती हैं। न्याय मंत्री उनकी नियुक्ति करता है। आप कहें कि इस प्रणाली द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी पक्षपात करेंगे, मुनासिब नहीं है।

जहां तक कहा गया है कि वे राजनीति में पड़कर लाभ उठाते हैं मेरा तो अनुभव है कि वे मंसा वाचा-कर्मणा निष्पक्ष रहते हैं। वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेते लेकिन अगर कहने की हमारी मनोवृत्ति बन गयी है कि हर प्रणाली दूषित बन गयी है। सदन के माननीय सदस्यों को भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गयी है और वे अवैतनिक कार्य करते हैं। यह बात हो सकती है कि कुछ काली भेड़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं कि दूसरे उच्चाधिकारी भी दौरे के लिये जाते हैं। और गवर्नमेन्ट जांच करती है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट ऐसा है जिसकी ईमानदारी में कमी है। इस तरह से हम लोगों के बीच में ऐसा वायुमंडल पैदा करने का निष्कर्ष यही होगा कि प्रजातंत्र में अवैतनिक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या ग्राम सभा के सभापति को, जिला परिषद् के प्रमुख को, कोआपरेटिव यूनियन के प्रेसीडेन्ट को, कोआपरेटिव सोसाइटीज के चेयरमैन को, ग्राम सभा के चेयरमैन को आप वेतन देते हैं? क्या उनकी जिम्मेदारियां मैजिस्ट्रेटों से कम हैं? मैजिस्ट्रेट अगर गड़बड़ियां करते हैं तो न्याय पाने के लिये बीसियों साधन खुले हैं लेकिन अगर चुने हुए प्रतिनिधि गड़बड़ी करते हैं तो उनका क्या इलाज है? ग्राम समाज में और ग्राम सभाओं में जिस प्रकार लोगों ने जिम्मेदारी निभायी है हम उसके भुक्तभोगी हैं। यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट निःस्वार्थ रूप से जो सेवा करते हैं उनके खिलाफ प्रस्ताव लाकर ऐसा वायुमंडल बनाया जा रहा है जैसे यह सब मैजिस्ट्रेट बेईमान हैं, उनमें कतई ईमान नहीं है।

मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले प्रस्तावक महोदय से इतना निवेदन करूंगा कि वह ठंडे दिल से इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय अन्य माननीय सदस्यों ने जो इस प्रस्ताव के समर्थन में कहा सम्भवतः मैं उससे अधिक नहीं कह सकूं। एक बात जरूर कहूंगा कि दो व्यक्तियों ने सरकार को

ओर से अपने विचार व्यक्त किये। मैं नहीं जानता कि उनमें से एक सज्जन क्रिमिनल ला प्रैक्टिस करते हैं या नहीं? दूसरे सज्जन को इसलिये क्षमा योग्य समझता हूं कि उनका क्रिमिनल ला से कोई संबंध नहीं है।

डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में कहा गया। यह एक प्रथा सी बन गयी है चाहे ला कमीशन हो या कोई भी उच्च अधिकारी हो, वह अपने विचार व्यक्त करे तो उसे वह ठुकरा दे। ला कमीशन ने पहली सिफारिश यह की है कि इन बुराइयों को दूर करने के लिये एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को सेपरेट करके आनरेरी मैजिस्ट्रेट की प्रथा को समाप्त करो। आप चुपचाप बैठे हैं और यह समझते हैं कि आपसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। नतीजा यह है कि डेमोक्रेटिक सेटअप की नींव हिल रही है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सारे एप्वाइन्टमेन्ट्स पोलिटिकल होते हैं। किसी जिले में कोई बाडी ऐसी नहीं है जिसमें विरोधी दल के लोग हों, निष्पक्ष आदमी हों। बार एसोशियेशन का आदमी सिर्फ बुलाया जाता है, लेकिन ओपीनियन जिला मैजिस्ट्रेट की काउंट की जाती है। कांग्रेसी भाई जानते हैं कि एप्वाइन्टमेन्टस सभी पोलिटिकल होने लगे हैं। और अब मुझे शिकायत नहीं है। जब हाई कोर्ट के एप्वाइन्टमेन्टस पोलिटिकल पार्टीज से एफिलियेटेड लोगों के होने लगे तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। जजेज के एप्वाइन्टमेटस पहले ही डिक्लेयर होने लगे। हमारी जुडिशियरी कैसे इंडिपेंडेंट होगी? अभी कल एप्वाइन्टमेन्ट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का हुआ कि सर्विलेन्स कमेटी का कौन होगा। मैं किसी की योग्यता पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन आज डेमोक्रेसी को करप्ट करने की सब से बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार पर है। उसकी यह एक कड़ी है कि एप्वाइन्टमेंट्स पोलिटिकल होते हैं। आनरेरी मैजिस्ट्रेट को अनाड़ी मजिस्ट्रेट हमारे यहां कहते हैं इसलिये कि वह बी० ए० एल एल बी० और एम० ए०, एल० एल बी० की बहस सुनता है। वह कानून समझता नहीं है और ये कानून समझते हैं। अजीब किस्सा है। कानून का फैसला ऐसे आदमी के हाथ में दिया जाता है जो कानून जानता नहीं। होता यह है कि कहीं कलेक्टर साहब ने कहा कि अरे भाई, वह केस जो तुम कर रहे थे उसका क्या हाल चाल है, एक्यूज्ड बड़ा खराब मालूम होता है। उन्होंने जवाब दिया कि हां, साहब कर रहे हैं। अब हिन्ट उनको मिल गया। बनारस का जो उदाहरण दिया यह ज्वलन्त उदाहरण है। उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। आज आप कैसे कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेट-अप की नींव नहीं हिल रही है। यह भी एक अंग्रेजों की देन है। पहले इन्होंने उनकी घोर निन्दा की, लेकिन जब उसमें खुद घुसे तो ईजली उनके शूज में स्टेप इन कर गये चूंकि वह सूट करता था। आनरेरी मैजिस्ट्रेट इसलिये रखे क्योंकि ये एक पंजा जमाये रहेंगे। हुआ कौन? या तो पुराने जमींदार या फिर सरकारी पार्टी के लोग। किसी विरोधी पक्ष के आदमी को भी आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया?

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे भाई शरण साहब सेक्शन १४ और सेक्शन १६ का हवाला दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों सेक्शन्स को ठिकाने से पढ़ा नहीं। वे अब यहां हैं नहीं, चले गये, शायद इसीलिये कि करारा जवाब मिलेगा। वे जरा बतायें कि कौन सी बेंच ऐसी बनी है जिसमें आनरेरी और स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स, दोनों ने साथ मिल कर बनाया हो? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने सरकार को अधिकार दिया फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास पावर्स को कन्फर करने का। उसी का तो हम विरोध कर रहे हैं।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुए।)

इस प्रदेश की बहुत बड़ी अथारिटी, ला कमीशन ने आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पद को खत्म करने के लिये कहा, लेकिन आपने उस ला कमीशन की कौन सी बात मानी? यह दलील मैं समझ नहीं पाया कि बहुत से केसेज हो जाते हैं। आजकल हालत यह है कि दो घंटे बैठ कर लंच करते हैं। साढ़े १२ बजे चाय पीने गये तो २ बजे तक आयेंगे नहीं, क्योंकि कोई काम नहीं है। मुकदमों का यह हाल है कि जिस मुकदमें की आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के यहां २५ तारीखें पड़ती हैं वह स्टाइपेंडरी

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

मैजिस्ट्रेट के यहां २० तारीखों में हो जायगा। कहते हैं कि रुपया बचेगा पर उससे ज्यादा पब्लिक का रुपया खर्च हो जाता है, चाहे वकीलों के देने में, आने जाने में, दिन भर ठहरने में या घूस देने में। अगर आप समझते हैं कि गवर्नमेन्ट का रुपया पब्लिक का रुपया नहीं है तो आपकी दलील बिलकुल ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है कि उसकी पाकेट से कितना रुपया निकल जाता है लेकिन सरकार हमारी रखना चाहती है। मैं यह कहता हूं कि यह प्रथा बहुत खराब है। आप रुपया बचाना चाहते हैं लेकिन समय बचाना नहीं चाहते हैं। हमारे भाई चले गये और कह गये कि साहब कौन सबूत है कि स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट खराब नहीं होते हैं। इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आपके मिनिस्टर साहबान सबूत हैं। एक बार श्रीमन्, मैं कह रहा था कि चावल रोज हमारे यहां पास होता है तो हमारे मिनिस्टर साहब मुझ पर बिगड़ गये कि सबको बेईमान समझते हैं। क्या इससे बेईमानी और ईमानदारी चलाई जायगी ?

श्रीमन्, आज कोई भला आदमी जिस तरह से कि वे एम० एल० एज० नहीं होना चाहते हैं उसी तरह से आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी नहीं होना चाहते हैं। सभ्य और भले आदमी कहते हैं कि हमें इससे बचाओ। यहां तो श्रीमन्, ऐसा आदमी आना चाहता है जो रुपया कमाना चाहता है या फिर लोगों के ऊपर अपना असर कायम रखना चाहता है। श्रीमन्, यह भी पंजा ज..ने का साधन है। वरना आप सब लोग सोच सकते हैं कि कौन आदमी इसको पसन्द करेगा कि वह १०–२० मील की दूरी से चलकर आये और अपना खर्चा करे।

श्रीमन्, उन्होंने कहा है, कि मिशनरी स्प्रिट है। आनरेरी मैजिस्ट्रेट के बारे में कहता हूं कि उनकी भावना वही है। स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेटों की भावना वही है वह मिशनरी स्प्रिट से काम करते हैं। आप इस चीज को भूल न जाइये कि पहले इन लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा था। पहले जजेज के खिलाफ आक्षेप नहीं होते थे। लेकिन आज मिनिस्टरों के खिलाफ आक्षेप होते हैं, जजेज के खिलाफ आक्षेप होते हैं क्योंकि आज लोग इस बात को भूल जते हैं कि हमारा नैतिक स्तर क्या है ? आफिसर्स कहते हैं कि हम तो मामूली सी तनख्वाह पाते हैं जब बड़े बड़े लोग लेते हैं तो हम क्या करें ? अशोक के राज्य में लोग ताले नहीं लगाते थे। उस समय की प्रणाली में और आज की प्रणाली में जमीन आसमान का अन्तर था। उस समय अगर कोई चोरी करता था तो उसके हाथ काट लिये जाते थे। लेकिन यहां हालत यह है कि कोई केस सेशन कोर्ट में चला जाता है तो वहां से वापस ले लिया जाता है। मैंने पूछा कि कारण क्या है ? तो बताया गया कि एडवोकेट जनरल ने कारण नहीं लिखा। पुरानी प्रणाली में चरित्र निर्माण पर जोर रहता था लेकिन आपने क्या किया ? आपने इसको भुला दिया है। आपने इसको बिलकुल उलटा कर दिया है।

अब श्रीमन्, यह कहते हैं कि यह तो प्रणाली पुरानी चली आ रही है इसलिये कायम रहनी चाहिये। इसलिये आप ऐसा कहते हैं कि आपको यह सूट करती है। अगर कोई दूसरा मामला होता और हम कहते कि यह पुरानी प्रथा चली आ रही है तो हमारे लिये यह कहा जाता है कि बड़े भारी प्रतिक्रियावादी है। यह पीठ फेर कर चलने वाले हैं, मुंह पीछे को कर लेते हैं।

दूसरी बात श्रीमन्, कहता हूं कि जिलाधीश चेयरमैन होता है। मैं कोआपरेटिव का उदाहरण दे देना चाहता हूं। मैं बहस नहीं करता हूं। लोगों को जानकारी नहीं है। अगर चेयरमैन सजा देना चाहता है और वह दो रुपये की भी किसी को सजा दे देता है तो वह बात मोरल टरपीट्यूड में आ जायगी और फिर वह आदमी किसी इलेक्शन वगैरह में खड़ा नहीं हो सकता है। इससे बचाने के लिये कोई प्रयास नहीं है। इस मामले में आपके शासन की कड़ियां ढीली पड़ रही हैं। श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि क्या ऐसे ही विचारक उधर हैं, तीसरी चीज श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि किसी से उदाहरण लेने की जरुरत नहीं है। मुवक्किल आकर रोता है तो कह देते हैं कि अपील में चले जाओ। इस प्रथा को आप तोड़िये और न्याय को बेचने की स्थिति में मत लाइये। मैं कहता हूं कि आज न्याय बिक रहा है। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं

कि आप गरीबों का ख्याल कीजिये। आप कोर्ट फीस कम नहीं करेंगे लेकिन स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट को नियुक्त कर देंगे ।

श्रीमन् हमारी सरकार घोषणा करती है कि कुछ जिलों में हमने एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को सेपरेट कर दिया है । मैं पूछता हूं कि किस चीज से आपने सेपरेट कर दिया है । हमारी सरकार के जो लोग है वे समझते हैं कि विरोधी दल के लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह से आपने सेपरेशन किया वह हम लोग खूब समझते हैं। करेक्टर रोल हमारे कलेक्टर साहब जिला के अधिकारियों का लिखते हैं। उनके यहां मीटिंग होती है तो उसमें कप्तान साहब आते हैं और पूछते हैं कि आपने मेरे केस को बड़ी जल्दी डिसमिस कर दिया और गवाही लेने का भी मौका आपने नहीं दिया। तो यह तो आपके सेपरेशन की हालत है। अब वह मैजिस्ट्रेट हम लोगों से कहते हैं कि हम लोग क्या करें, हमसे आप क्या आशा करते हैं ? तो अगर यह आपकी सेपरेशन की भावना है और जैसा कि आपने खेल किया है इस सेपरेशन का और सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्स्ट्रक्शंस आपने नहीं माने, ला कमीशन के सुझावों को धक्का लगाया, बड़े-बड़े विचारशील लोगों की राय को धक्का लगाया, अगर यही आपकी भावना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन अगर आप सही भावना से काम करना चाहें तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। इन शब्दों के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली) —

मान्यवर, प्रस्तुत संकल्प पर जो भाषण हुये, उनको मैंने सुना। एक बात की परेशानी मेरे दिमाग में हुई जब मैंने माधोप्रसाद जी को सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी जो आपत्ति है इस प्रथा के ऊपर उसके पीछे भी पोलिटिकल बैकग्राउन्ड है क्योंकि उन्होंने जितनी दलीलें दी वह इस बात की दीं कि यह खराबी है, वह खराबी है, और तमाम खराबियां उन्होंने बतायीं। मान्यवर, मैं भी आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं और मेरा भी कहना यह नहीं है कि कोई यह ऐसी प्रथा है कि जिसमें कोई दोष ही नहीं है। कोई भी प्रथा हो, उसके अन्दर कुछ दोष होते हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। एक बात यह सही है कि यह प्रथा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। अब अंग्रेजी जमाने में उनकी क्या नीयत थी, क्या तरीके थे, वह बातें तो नहीं हैं....

अनेक सदस्य—

बिलकुल वही बातें हैं।

श्री नवलकिशोर —

अब आप अपनी ओपिनियन मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं ? मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये। जिस वक्त वक्त माधोप्रसाद जी बोल रहे थे, तो मैंने बीच में नहीं टोका था। तो मैं यह कहना चाहता था कि शारदाभक्तसिंह जी और माधोप्रसाद जी यह कहते कि इस प्रथा में जो खराबी है उसको दूर किया जाय। उसकी गिनती गिनाते, तो शायद कुछ सही बात होती। आपने दो चार बातें बतायीं। एक तो शिकायत यह है कि जो सलेक्शन कमेटी होती है जिले में, उसमें विरोधी पक्ष का कोई आदमी नहीं हैं। सारे आदमी उसी पार्टी के होते हैं ... (व्यवधान) .....इसको मैं नहीं मानता हूं क्योंकि बार एसोशियेशन के लोग भी होते हैं, जज भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होता है और कहीं-कहीं अपोजीशन के भी मेम्बर हैं, ऐसा माननीय मन्त्री जी ने बताया है। बहरहाल, अगर नहीं होते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को यह शिकायत दूर करनी चाहिये। सेलेक्शन कमेटी में उनका भी एक आदमी जरूर जरूर-रखना चाहिये।

अनेक सदस्य —

एक नहीं, अनुपात से रखना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नवलकिशोर —

इससे एक बात साबित होती है कि जो प्रथा है उसके अन्दर कोई खराबी नहीं है .... (व्यवधान) ..... मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं ? .....

श्री अधिष्ठाता —

माननीय नवलकिशोर जी, आप वाद विवाद में न पड़ें। अपोजीशन को भी, मैं उम्मीद करता हूं कि काफी चांस मिलेगा। घबड़ाने की बात नहीं है।

श्री नवलकिशोर —

दूसरी बात उन्होंने यह कही और राधेश्याम जी ने इसकी मिसाल भी दी कि नाइन्थ पास और आठवीं पास ये मैजिस्ट्रेट हैं। मेरी इत्तिला यह है कि कोई आनरेरी मैस्जिट्रेट हाई स्कूल से कम नहीं होता .....

श्री राधेश्याम शर्मा —

मथुरा जिले से आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की क्वालिफिकेशन आप मंगा लें, तो आपको मालूम हो जायगा।

श्री नवलकिशोर —

हो सकता है मथुरा में कोई बहुत काबिल आदमी हों और उनको ऐसे ही सर्टिफिकेट दे दिया गया हो, लेकिन वैसे आमतौर पर यह है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट की कम से कम योग्यता हाईस्कूल पास होना चाहिये।

मैं तीसरी बात यह बतलाना चाहता हूं कि यह शिकायत की गई कि पोलिटिकल पार्टी के ये लोग होते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आनरेरी मैस्जिट्रेट किसी पोलिटिकल पार्टी का नहीं होता। लिहाजा माधोप्रसाद जी को जो अन्देशा है पोलिटिकल पार्टी का। वह नहीं होना चाहिये। एक बात इसकी बुनियाद में है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं जनतन्त्र और समाजवाद की बात नहीं कहता हूं। असल बात यह है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता गैर सरकारी आनरेरी मैस्जिट्रेट या दूसरी एजेन्सी है उन पर हम अगर अविश्वास करते चले जायं, तो यह इस देश के हित में नहीं होगा और न प्रजातन्त्र के हित में होगा। अब अगर हम इस बात को मान कर चलें कि कि जो लोग पेड हैं वे ईमानदार हो गये और अनपेड हैं, वे बेईमान हो गये। तो यह उचित नहीं होगा। मैं ऐसे आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को जानता हूं जो बहुत ईमानदार हैं। ऐसे भी हैं जो बदनाम हैं।

यह भी कहा गया कि जुडिशियरी बेईमान होती है। आपने और बहुत सी बातें कहीं। मान्यवर, जहां तक बेईमानी की बात है, बेईमानी के डर से आप इस प्रथा को खत्म कर दें, यह बात समझ में नहीं आती। उसके लिये २–३ बातें कहीं गई। यह भी कहा गया कि पोलिटिकल प्रेशर पड़ता है। मान्यवर, हमने अपने यहां पंचायत राज को माना है और पंचायती अदालतों को भी माना है। जो हमारी पंचायतें होती हैं वह भी आनरेरी होती हैं और वहीं से हमने स्टार्ट किया है। उनका सेलेक्शन होता है एक कमेटी से। जो मेम्बर चुनकर आते हैं उनका कमेटी के द्वारा सेलेक्शन होता है। जिस पालिटिक्स की आप बात करते हैं उसी पालिटिक्स के लिये मैं भी आपको एक्यूज करता हूं। वही बात सब के लिये भी है। असल में, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जब हमने इस बात को माना है तो हम जुडिशियरी के अन्दर जो हमारी नान-आफिशल एजेन्सी है उसको टेम करना चाहते हैं। उनके लिये मौका देना चाहते हैं कि वह इसके अन्दर हिस्सा लें और अपना कन्ट्रीब्यूशन करें। मैं पैसे की बात बहुत नहीं कहता हूं। माधोप्रसाद जी ने कहा कि पैसा नहीं बचता है। आनरेरी मजिस्ट्रेटों की तादाद बढ़ती जाती है। कहीं आनरेरी मैजिस्ट्रेट ज्यादा हैं और कहीं पर स्टाइपेन्डरी मैजिस्ट्रेट ज्यादा हैं लेकिन यह मानना पड़ेगा कि जो आपके यहां मुकदमों का वर्क बढ़ रहा है उनमें आनरेरी मजिस्ट्रेटों ने कन्ट्रीब्यूशन किया है। मेरी राय है कि इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को कुछ न कुछ बतौर लाइसेन्स के दिया

जाय, तो अच्छा है। इसलिये जो यह शिकायत माधोप्रसाद जी ने की कि २० मील से आते हैं, मेरे अनुभव से जो शहर के अन्दर बनाये जाते हैं उनमें देहात से बहुत कम लोग आते हैं। और अगर आते भी हों तो, अगर माधोप्रसाद जी यह कहते कि उनको ५० रुपये कन्वोयेंस एलाउंस दे दिया जाय तो, अच्छी बात होती।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

मैं तो कहता हूं कि समाप्त कर दिया जाय।

श्री नवलकिशोर —

समाप्त करना आप भी नहीं चाहते। जहां तक उनकी योग्यता की बात है अपने यहां की मैं कह सकता हूं कि शायद जितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं। मथुरा की बात जो शर्मा जी कह रहे थे, वह तीर्थस्थान है, वहां सब बातें हो सकती हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह —

आपको बरेली का अनुभव होगा।

श्री नवलकिशोर —

बरेली का भी अनुभव है और हरदोई का भी।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

आपकी पार्टी की पहले की स्पीचेज इस मसले पर लाई जावेंगी।

श्री अधिष्ठाता —

माननीय त्रिपाठी जी, डाइरेक्ट बात न करें।

श्री नवलकिशोर —

अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी उत्तेजित न हों क्योंकि हर बात पर २ ओपोनियन्स हो सकती हैं लेकिन मैंने कहा कि माननीय त्रिपाठी जी जैसे वकील ने इस प्रथा के विरुद्ध कोई बात नहीं कही सिवाय इसके कि पोलिटिकल प्रेशर पड़ता है, डी० एम० के कहने से फैसला होता है। मान्यवर, इसका कोई जवाब नहीं इसलिये कि कोई स्पेसिफिक बात उन्होंने कही नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) —

स्पेसिफिक केसेज हम देंगे।

श्री नवलकिशोर —

अगर स्पेसिफिक केसेज देंगे तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे उनकी एन्क्वायरी करावें और दोषियों को दन्ड दें। लेकिन अगर थोड़ा सा जुकाम हो जाय तो आप कहें कि नाक ही काट दीजिये, मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। उसकी दवा होनी चाहिये।

यह बात सही है, मान्यवर, कि इस प्रथा के पीछे हिस्ट्री ऐसी थी जो माननीय श्रीपालसिंह को पसन्द आयेगी क्योंकि उनके जमाने से उसका वास्ता रहा होगा यानी जिस जमाने में राजा महाराजा थे और यह भी सही है कि बड़े-बड़े जमींदार, चाहे वे पढ़े लिखे हों या न हों, उनको यह पद दिये जाते थे लेकिन अब स्वतन्त्रता के बाद यह कोशिश की गयी कि उनका ट्रांसफार्मेशन सही माने में जुडिशियरी के आधार पर हो और ८० प्रतिशत उनमें सुधार हुआ भी है, २० प्रतिशत कमी हो सकती है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उनमें प्रगतिशीलता नहीं है। हमें चाहिये कि हम एक एक आदमी में क्षमता पैदा करें कि वह एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सब का काम

[श्री नवल किशोर]

ईमानदारी से कर सकें लेकिन इस तरह की बात कि तमाम जितने नान-आफिशियल लोग हैं सब निकम्मे हैं ठीक नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ आप नान-आफिशियल्स को कन्डेम करते हैं, तो दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। इस बात को मानते हुये भी इस प्रथा के अन्दर और इसके लोगों में कमियां हो सकती हैं क्योंकि ५४ जिलों में औसत १०–१५ का रख लें तो ५००–६०० आदमी होंगे, उनमें दो चार बुरे भी होंगे यानी यही १०–५ फीसदी वह होंगे। उसके लिये सबको कन्डेम कर देंगे तो वह उचित नहीं होगा। एक बात, श्रीमन्, मैं और कहना चाहता हूं। यह कहा गया कि कुछ मैजिस्ट्रेट दर्जा ६ ही पास हैं। तो माननीय शारदाभक्तसिंह जी या राधेश्याम जी अगर इस तरह का प्रस्ताव लाते कि कोई भी मैजिस्ट्रेट बी० ए० पास से कम क्वालिफिकेशन का नहीं रखा जायेगा तो मैं उसका स्वागत करता। वह तो कोई चीज आप लाये नहीं। किन्तु आपने कुठाराघात इस बात पर कर दिया कि जो यह गैर सरकारी मैजिस्ट्रेट्स हैं, यह निकम्मे हैं, यह ठीक न्याय नहीं करते, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)।

मैं माननीय राधेश्याम जी को बताऊं कि समाजवाद में भी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी रहेगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो मैजिस्ट्रेट बनाये जाते हैं उनमें पुराने जमींदार लोग बहुत कम होते हैं, वे सब एक नये वर्ग से आते हैं। आज अगर कहीं किसी में खराबियां हैं तो सरकार का फर्ज है कि वह उसको दूर करे और इस बात को देखें कि ज्यादा से ज्यादा काबिल लोगों को वह मजिस्ट्रेट बनाये। जहां तक इस प्रथा का ताल्लुक है उसमें कोई दोष नहीं है। अत: इन शब्दों के साथ, मैं माननीय शारदाभक्तसिंह जी से निवेदन करूंगा कि उनका जो पोलिटिकल परपज था वह तो पूरा हो गया, अब वे अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, उदाहरण के लिये मैं अर्ज करूं, माननीय रामकुमार शास्त्री और माननीय नन्दकुमार-देव वाशिष्ठ जरूर उस कमेटी में रहे होंगे, जिसमें एक बार गांधी जी ने कहा था कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के लिये तो लोग दरख्वास्त देते हैं, आनरेरी भंगियों के लिये कोई दरख्वास्त नहीं देता। श्रीमन्, यह भावना गांधी जी की थी। इस समय भी वह आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं जो पहले थे। अंग्रेजों के जमाने से आज उनकी संख्या दुगनी और ढ़ाई गुनी हो गयी है। उसी हिसाब से आज भ्रष्टाचार भी ढ़ाई गुना हो गया है। श्रीमन्, गांधी जी साधारण मानव नहीं थे। राम और कृष्ण की तरह आज भी लोग उनके एक-एक वाक्य को रामायण और गीता के वाक्यों की तरह श्रद्धा से देखते हैं और फिर आप (कांग्रेस) लोग तो गांधी जी के चेले ही हैं, आपने कैसे इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को रखा है? जब आनरेरी सेवा मुल्क की करनी है तो असली सेवा तो गांवों की नालियां साफ करने में है। गांधी जी उस समय सफाई के बारे में बोल रहे थे। आनरेरी मैजिस्ट्रेट रोब-दाब बनाये रखने के लिये बनाये जाते हैं। मैं एक बार किताब खरीदने के लिये अपने चाचा के साथ शहर आया। उन्होंने एक इमारत के लिये, जो आनरेरी मैजिस्ट्री थी, बताया कि यह अन्धेरी कचेहरी है। इसमें अन्धेर होता है। रोज आपके पास शिकायतें आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध आती हैं। गांवों में सरपंच हैं, अदालती पंचायतें हैं, तो आप यह कैसे विश्वास करते हैं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट ईमानदार ही होते हैं? आपको ऐसे भी लोग मिल जावेंगे जो अलाउन्स कुछ नहीं लेंगे और उल्टे १० रुपये चन्दा देंगे। तो आपको आनरेरी मैजिस्ट्रेटों मुफ्त में मिल सकते हैं। आप अपने चेलों का रोब-दाब आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के द्वारा रखना चाहते हैं। आप किसी को परमिट देते हैं, किसी को कोटा देते हैं और जो पैसे वाले होते हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्हें आनरेरी मैजिस्ट्रेट ही बना दिया। जिससे इलेक्शन में वे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपका साथ दें। मन्त्री लोग दौरों पर जाते हैं तो वहां एक वैतनिक मैजिस्ट्रेट उनके साथ रहता है और आप उससे यह नहीं पूछते कि यह फूल-वूल कहां से आते हैं। वे आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के यहां से ही आते हैं। यह नहीं होना चाहिये कि नाम तो आनरेरी हो और भीतर ही भीतर सारा पैसा उसकी जेब में चला जाय। पूरब के मुफस्सिल जिलों में आनरेरी मैजिस्ट्रेट बहुत कम हैं लेकिन यहीं लखनऊ में ही गिन लीजिये, हर गली में आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं। एक आदमी हमारे यहां का बख्शी के तालाब पर था, उसका मुकदमा आनरेरी मैजिस्ट्रेट के यहां था। गवाहों ने उसे देखा नहीं था। वह हमारे कमरे में आया, हमने उसे कहा कि तुम यहीं रहो। वह कहता था कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट के यहां से उसे सजा हो जायेगी। तो यह ख्याल इनके बारे में लोगों का है लेकिन खैर, वह मुकदमा छूटा। मैं भी प्रांविशल कांग्रेस कमेटी का बहुत दिन तक सदस्य सदस्य रहा हूं। हमने भी लातें और डन्डे खाये हैं और हमारा एक-एक दरवाजा उखाड़ कर भी नीलाम किया गया है। जिन पर हम बराबर शक करते थे कि पुलिस में खबर न कर दें या माफी न मांग लें, वही आज आपके यहां नेता बने हुये हैं और आप उन्हें गल्ले व कोयले इत्यादि की दूकानें दे रहे हैं। माननीय जगमोहनसिंह नेगी हमारे यहां गये थे, मैंने उनसे कहा कि आपसे आड़ में बात करूं, उन्होंने कहा कि नहीं, खुले में कहिये। मैंने उन्हें बताया कि आपके नेता लोगों की डबल निकासी वसूल हो रही है चावल में, जो दोहरी घोट से उजियारघाट होते हुये चीन जा रहा है। तो ये आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी उन्हीं में से हैं।

यह प्रस्ताव बहुत बढ़िया है और इसे पास करके आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति का कोढ़ सरकार अपने ऊपर से हटा ले। इससे प्रदेश का बड़ा भारी कल्याण होगा।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, जब हमने अपने देश में जनतन्त्र कायम किया है, तो इसका अभिप्राय यह है कि हम इस देश के लोगों को अपने संविधान के द्वारा ऐसा न्याय देना चाहते हैं जो सस्ता हो, जल्दी हो और और जिसमें बेईमानी की गुंजाइश न हो। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को महसूस करता हूं कि जो हमारे यहां यह अंग्रेजों की देन चली आ रही है इसे समाप्त होना चाहिये। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, किसी भी स्कीम का पूरी तरह से तिरस्कार करना, यह कहना कि सभी लोग बेईमान हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। सवाल केवल व्यक्तियों का नहीं है, जब हम लोग जेल जाया करते थे तो इस तरह का कांग्रेस का प्रस्ताव है और बहुत सी प्लेटफार्म की बातें हैं कि हम कहा करते थे कि अंग्रेजों ने केवल अपने पिट्ठुओं को कायम रखने के लिये यह प्रथा चलाई है और वह इससे अपने राज्य को जिन्दा रखना चाहते हैं। आज उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं जानता कि किस का क्या इतिहास है ? कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है ? लेकिन जिलाधीश से रिपोर्ट आती है और इस तरह की मिसालें हैं और नाम भी बताये जा सकते हैं, जब उन पर एप्रोच होता है और खिलाफ रिपोर्ट आती है लेकिन दोबारा वह माफिक आ जाती है। इस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक मैजिस्ट्रेट जिसकी कि आशा लग जाती है कि साल समाप्त होने को है, ३ मास पहले से विभाग पर, जिलाधीश प . और चारों तरफ, जहां एप्रोच हो सकती है और एक्सटेंशन और बढ़ोत्तरी की वह कोशिश करते हैं, बहुत सा समय इस में निकल जाता है। जब हमने जनतन्त्र में विश्वास किया है तो संविधान के अनुसार हमें चलना है और क्या आज माननीय सदस्य जहां तक इन तमाम बातों का सम्बन्ध है आज महसूस नहीं करते कि वास्तव में यह सही बात है कि हम एक सभ्य देश के रहने वाले हैं और न्याय की अपेक्षा है। बाहर से अब हमारे ऊपर लोग नहीं आयेंगे। चाहे जुडीशियल आफिसर हों, या दूसरे हों यहां जो इजी एप्रोच हो जाती है उसके कारण न्याय नहीं मिल पाता और मुकदमों का ठीक फैसला नहीं होता। अगर सरकार इन तमाम रिकार्ड्स को देखें और चाहें एक कमेटी बिठा कर, चाहे एक ही जिले का सर्वे कराये या ४–५ जिलों का कराये, इसमें आफिशियल या नान-आफिशियल का सवाल नहीं है, ईमानदारी या किसी की बेईमानी का सवाल भी नहीं है। बल्कि इस बात की जांच की जाय कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स ने जितने जजमेंट दिये हैं उनका सर्वे किया जाय, तो मालूम होगा कि उनमें से अधिकतर केसेज सेट-एसाइड हुये निकलेंगे।

[श्री धर्मसिंह]

कहा गया कि न्याय पंचायतें भी तो आपके यहां कायम हैं लेकिन जहां तक न्याय पंचायतों का सम्बन्ध है उनमें और आनरेरी मैजिस्ट्रेटों में अन्तर है, उनका अलग-अलग आउट लुक है। पंचायतों के लोग लोकल हैं और वह उसी स्थान पर गांव में रहते हैं और उनको तमाम चोरी और बुराई भलाई का पता रहता है लेकिन जहां तक आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स का सम्बन्ध है उनमें और पंचायतों में बड़ा अन्तर है। जब कि हमने तमाम दूसरी प्रथाओं को समाप्त किया है और जो सोसाइटी के इविल्स थे, जो बीमारी थी उनको खत्म करने की बात सोची है तो फिर इसको ही रखने की कौन सी बात है?

कहा जा सकता है कि इनके रहने से पैसा बचता है और केसेज बहुत बड़ी तादाद में हैं लेकिन आप उनको क्लर्क्स देते हैं, कमरे देते हैं और उन पर सरकार का पैसा खर्च ही होता है तो एक वेतन देने में ही कौनसी बात है। इसके अलावा एक जुडिशियल अफसर मेरठ का रहने वाला है और इलाहाबाद में जाता है तो उसको आसानी से वहां एप्रोच नहीं किया जा सकता लेकिन जो इलाहाबाद में ही रहता है और जिसको फिक्र रहती है कि कल को एक्सटेंशन का सवाल आयेगा और प्रिसटीज का विषय बन जायगा इसलिये एक्सटेंशन किसी तरह ही मिलना चाहिये, इज्जत का सवाल है अब हो जाय, चाहें कल को ही इस्तीफा दे दूंगा और इसमें ही उस का बहुत सा समय निकल जाता है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों से क्या न्याय मिल सकता है। इस थैंकलेस काम के लिये भी बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर जिलों से मालूमात करें तो आप को मालूम हो जायगा कि इनके न्याय की क्या हालत है, इसमें ईमानदारी या बेईमानी का सवाल नहीं है बल्कि अंग्रेजों के समय से ही और उनकी देन से ही इस प्रथा में खराबियां हैं। जहां तक न्याय का सम्बन्ध है वह स्वतन्त्र नहीं रह सकता, इजी ऐप्रोचेब होती हैं। इसलिये इस संस्था का रखना व्यर्थ है और मैं इस प्रथा का विरोध करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, जो प्रश्न हमारे सामने है इसके मुताल्लिक दोनों तरह की राय सदन में आ चुकी है। अभी दो सप्ताह पहले मैंने सहारनपुर के बारे में प्रश्न किया कि कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट कब से नियुक्त हैं और उनकी शिक्षा कहां तक है? सहारनपुर जिले में ९ आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनमें से २ एल० एल० बी० हैं, १ बी० ए० हैं, २ हाई स्कूल हैं, १ आठवें दर्जे तक पढ़े हैं, १ छठवां दर्जा पास हैं। हरद्वार में जो बेंच है उसमें १ छ५वें दर्जे तक पास हैं, १ चौथे दर्जे तक और तीसरे हाई स्कूल पास हैं। अभी कहा गया कि शिक्षा के बारे में ध्यान रखा जाता है....

श्री अधिष्ठाता—

जरा बतायें कि वह फैसला हिन्दी में लिखते हैं या अंग्रेजी में।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

तो मैं कह रहा था कि एल० एल० बी० पास वकील अपने केस को लेकर हाईकोर्ट के जजमेंट्स को लेकर जब उनके सामने पेश होते होंगे तो क्या दशा उस मुकदमे की होती होगी यह अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। इसी तरह सहारनपुर के अन्दर एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट की बेंच है, उसमें एक लाला जी ५, ६ साल तक काम करने के बाद हाल ही में रिटायर किये गये, मैं नहीं कह सकता, क्यों रिटायर हुए? लेकिन जो उनकी जगह आये हैं वह १९४७ के पहले तो अंग्रेज परस्त रहे और १९४८ में माननीय फूलसिंह जी ने उन्हें कांग्रेसी बना दिया। गरीब आदमी थे उन्हें प्लानिंग से कोटा मिला, ठेके मिले, मेहरबानियां हुयीं और आज वह लाखों नहीं करोड़ों में खेलते हैं। उन्हें आखिरी देन जो दी गई वह यह कि मैजिस्ट्रेट बना दिये गये। अब देखें कि जिन लोगों को मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है न्याय करने के लिये उनके हालात जिंदगी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अगर देखें तो भली भांति जाना जा सकता है कि वह कहां तक न्याय पब्लिक को दे सकते हैं? इन्हें क्यों नियुक्त किया गया? पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन के अन्दर माननीय फूलसिंह जी के जो कैन्डीडेट थे उनके मुकाबले में वह भी कैन्डीडेट थे, अब चुनाव दुबारा आ रहा है अतः उसमें रास्ता साफ करने के लिये उन्हें मैजिस्ट्रेट बना दिया ताकि आइन्दा चुनाव न लड़ सकें। और साथ-साथ जो म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप माननीय फूलसिंह जी का ऐड्रेस देखें तो वहां का ऐड्रेस है, अम्बाला रोड का क्योंकि ठाकुर साहब का निजी मकान है नहीं....

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप नाम न लें तो ज्यादा सुन्दर होगा, इसको शायद सभी ऐप्रीशियेट करेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं कोशिश करूंगा कि नाम न लूं। उनके दूसरे भाई को फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बना दिया ताकि इलेक्शन में वह एक प्रभाव शहर की पब्लिक पर ला सकें। जहां तक ईमानदारी और बेईमानी का ताल्लुक है हमारे यहां कोई ऐसी बात लोगों के अन्दर नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है कि वे लोग बेईमान हैं। बेईमानी का उन पर शक भी नहीं है लेकिन गुटबन्दी की शिकायत जरूर है। उनके जरिये और मुकदमों में असर डाला जाता है। न्याय की गर्दन काटी जाती है। अभी माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि आप कोई ऐसी बात बताएं जो सिद्ध की जा सकती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां म्युनिसिपल बोर्ड के मुकदमे ३०बरस पुराने मैजिस्ट्रेट जो मौजूद हैं, के यहां जाया करते थे। हमारे नगर के अध्यक्ष को यह मंजूर नहीं था कि उनके मुकदमें अब वहां रहें। पार्टी बाजी का सवाल पैदा हुआ तो इसलिये वे कांग्रेस के दूसरे गुट से सम्बद्ध हो गये। नतीजा क्या हुआ। कलेक्टर साहब से एप्रोच की गयी कि हमारे मुकदमे इनके पास न जाकर दूसरी जगह जायें। कलेक्टर महोदय ने यह आदेश जारी किया कि म्युनिसिपल बोर्ड के मुकदमें वहां के बजाय, जो मनोनीत की गयी बेंच हैं, वहां जायं। इन हालात में आप जरा सोचिए ये इस बेंच में मुकदमे जा रहे हैं। बिशलचन्द्र मैजिस्ट्रेट के यहां ये मुकदमे जाया करते थे। ये १५–२० साल से रेलवे मैजिस्ट्रेट भी हैं। लेकिन कांग्रेस में गुटबन्दी होने के कारण एक "जैन ग्रुप" का और दूसरा "ठाकुर ग्रुप" का माना जाता है। इसलिये तमाम मुकदमे बेंच में डाल दिये गये। यह इसी गुटबाजी का नतीजा है। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से सन् १९४८ में कुछ दौर बदला था। मुझे भी आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया। श्रीमान् जी, ऐसा हुआ कि साल, १ १/२ साल काम करने के बाद सिफारिशें आनी शुरू हुयीं। मैंने एक माननीय नेता की चिट्ठी लगाकर हाई कोर्ट में भेज़ दी। बड़े नाराज हुए। पहुंच भी ऊपर तक हुई। दूसरा किस्सा यह हो गया कि हमारे माननीय नेताओं ने सहारनपुर नगर में एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई। ११ आदमियों को लेकर, अपने पिट्ठुओं को लेकर और ६ पाई प्रति गज के हिसाब से जमीन ली। कानूनगो ने एतराज किया, नायब तहसीलदार ने एतराज किया ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों को मुअत्तल कराया गया। किसी मनचले ने ब्लिट्ज में खबर भेजी "यू० पी० एम० एल० ए० और एक ठग" यह हेडलाइन थी। तो अपने ही ऐसे आदमी को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना रखा है जो आपकी जड़ें काट रहा है। मैंने असलियत को देखा और यह पाया कि अन्याय हो रहा है। आदेश हुए कि आइन्दा कोई मुकदमा उनके यहां न भेजा जाय लेकिन लोग चाहते थे कि मुकदमे जायं और मुकदमे जाते रहे। आखिर ऐसे हालात पैदा हुए कि मैंने देखा कि ईमानदारी से काम नहीं करने देंगे। मैंने इस्तीफा दिया और जान छुड़ाई जब मेरे ऊपर इतना जोर डाला जा सकता है तो औरों के बारे में क्या कह सकता हूं जो उस कुर्सी से बंधना चाहते हैं और कुर्सी के पीछे-पीछे घूमते हैं? इस प्रथा को आप आज नहीं उड़ायेंगे तो कल उड़ायेंगे। यह चीज पब्लिक के अन्दर ज्यादा दिन नहीं रह सकती।

तीन वर्ष के बाद आपके कहने के मुताबिक सरकारी मुलाजिम एक जगह से दूसरी जगह बदला जाता है ताकि उसका सम्बन्ध गहरा न हो जाय लेकिन आनरेरी मैजिस्ट्रेट लाइफ लांग

[श्री बल्लदत्त मायर]

वहां रहेगा और हर साल उसको खुशामद करके लाइफ का एक्सटेंशन लेना होगा। तो कैसे वह सही ढंग से काम कर सकता है? लेकिन दूसरे प्रभाव जो पड़ेंगे उनको कैसे रोका जा सकता है? असर आप जानते हैं उन लोगों का पड़ेगा जो सम्बन्धित हैं प्रान्तीय सरकार की गुटबन्दी के साथ। जब तक उस चौखट पर मत्था रखने वाले न होंगे नियुक्ति हो भी जायगी तो छोड़ कर जाना होगा।

*श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव है आनरेरी मैजिस्ट्रेट की प्रथा को हटा देने का....

श्री अधिष्ठाता—

मिश्र जी जरा बैठें। ज्यादा लोग बोलना चाहते हैं तो समय कुछ कम कर दिया जाय। यदि ऐसा आप लोग चाहते हैं तो प्रस्ताव ले आइये १५ मिनट का समय घटा दिया जाय।

एक सदस्य—

श्री श्रीपत मिश्र के बोलने के पश्चात् प्रस्ताव ले आया जायगा। उनको आपने बुला लिया है, उनको १५ मिनट बोल लेने दीजिये।

श्री श्रीपत मिश्र—

मैं यह कह रहा था कि इस प्रथा को खत्म करने का जो प्रस्ताव आया है उसके समर्थन में या विरोध में कुछ कहने के पहले मैं एक सवाल उठा कर उसका जवाब देना चाहता हूं और फिर उस पर अपनी राय जाहिर करूंगा। यह प्रथा है क्यों? अब तक जो प्रश्न हुए हैं उनसे ऐसा लगता है कि काम अधिक होने के कारण मुकदमों को जल्द फैसले करने के लिये इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को रखना पड़ता है। इसी बात के लिये ये रखे गये हैं। इसके अलावा अगर कोई और बात हमारे विरोधी दल के साथी कहते हैं तो मैं तो उसको मानता नहीं। अगर यह बात है कि मुकदमे अधिक हैं तो अगर कोई ऐसी सूरत निकले जिससे मुकदमे फैसल हो जायं तो शायद ये न रखे जायेंगे ऐसा लगता है। तो एस० डी० एम० थे उनके साथ-साथ जुडिशल मैजिस्ट्रेट की एक नयी सर्विस कायम की गयी और उनको मुकर्रर किया गया और जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया, सेपरेशन आफ जुडिशियरी किया गया ऐसा कहा जाता है और किसी-किसी जगह इस हद तक हुआ भी कि जिले में ए०डी०एम० (जे०) रखे गये और वे जुडिशल आफिसर्स के कैरेक्टर रोल लिखने लगे। लेकिन यह सेपरेशन जिले की हद तक चला; ऊपर जा कर कमिश्नर और एक डी० एम० (जे०), ये दोनों जगहें मिल गयीं। अब वे जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स स्वतन्त्र हैं या नहीं यह या तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट जानते होंगे या फिर हम और आप समझें। लेकिन एक बात मैंने देखी और मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि वकालत करने के नाते मैंने यह देखा कि दीवानी के इजलासों में काम नहीं है। आपने जो लैंड रेवेन्यू का रेफार्म किया है उसमें कुछ टेन्योर का सिस्टम घटा कर भूमिधरी और सीरदारी रख दिया है। इसके अलावा और कोई जमीन का झगड़ा नहीं है कम से कम देहातों में, शहरों में कुछ और झगड़े हो सकते हैं। तो जो आपके छोटे जिले हैं जिनकी ज्यादा तादाद है उनमें सिर्फ जमीन के झगड़े हैं भूमिधरी और सीरदारी के और इन दोनों का फैसला कर सकते हैं जुडिशल मैजिस्ट्रेट। तो अब मुन्सिफों के यहां कभी-कभी कोई मकान वगैरह का दावा हो गया तो हो गया और वे करीब करीब बेकार रहते हैं। इसलिये मैं आपको एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि जिस प्रथा के पीछे इतिहास अच्छा नहीं है, जिस प्रथा को आपकी नेकनीयती के रहते हुए भी कि आप उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम के लिये, न्याय के लिये मुकर्रर करते हैं, दूसरी तरफ से यह आवाज आती है कि आप उनको किसी पोलिटिकल मोटिव से मुकर्रर करते हैं और चूंकि काम के लिये आपने रखा है इसलिये अगर वह काम आप किसी दूसरे को दे सकें तो उनको रखना नहीं पड़ेगा और आप इस आलोचना से बच जायंगे। वैसे तो ईमानदारी और बेईमानी व्यक्तिगत बात है, सिविल कोर्ट में भी बेईमानी हो सकती है और मैजिस्ट्रेट भी ईमानदार हो सकते हैं, पुलिस के लोग भी ईमानदार हो सकते हैं लेकिन हमारे समाज में हर एक की एक प्रतिष्ठा बनी हुई है। जैसे पुलिस के बारे में अगर कहे कि यह ईमानदार है तो लोग कहेंगे कि शायद यह ठीक नहीं है लेकिन जज के बारे में अगर कोई कहे कि यह बेईमान है तो कहेंगे कि नहीं, वह जज है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक परम्परा बनी हुई है। ऐसी सूरत में जो मैजिस्टीरियल पावर्स हैं वह एक कानून द्वारा अगर आप मुन्सिफों को दे दें तो कोई नुकसान नहीं होगा और आपका काम बिलकुल हल्का हो जायगा और फिर यह ताकत आप उसके हाथ में देंगे जिसके लिये जनता में यह भावना है कि यह न्याय करते हैं। एक और बड़ी सहूलियत होगी। एक बेसिक गलती यह है कि ये मुन्सिफ फौजदारी के कामों से बहुत कम वाकिफ होते हैं और नौकरी करने के ६-८ साल तक फौजदारी का एक मुकदमा भी नहीं करते। जब ये मुन्सिफ प्रोमोट होते हैं तो सेशन और असिस्टेंट सेशन जज बनाये जाते हैं। और वहां फौजदारी के मुकदमें अपील के सुने जाते हैं जिन्होंने अपनी सर्विस के जमाने में एक दिन भी फौजदारी का काम नहीं किया है। अगर उनको मैजिस्ट्रीयल पावर्स दे दी जाती हैं तो एक बहुत अच्छी बात होगी कि मुन्सिफ भी फौजदारी के काम में ट्रेंड हो जायेंगे। जब वे सेशन जाज बनेंगे तो अ.ज से अच्छा काम कर सकेंगे। अगर उनको पावर्स दे देते हैं तो हर जिले में कम से कम ३ ४ मुन्सिफ हैं जो आपके काम को पूरा कर देंगे। इसलिये ऐसी प्रथा को समाप्त कर दें जिसके लिये लोगों के अच्छे विचार नहीं हैं। इससे आपका काम भी चल जायगा और आपके लिये लोगों में भावना होगी कि आप उनको न्याय देना चाहते हैं जिनमें जनता का विश्वास है। न्याय एक ऐसी चीज है जिसके लिये हमारे इस पक्ष को जितनी जरूरत होती उतनी ही उस पक्ष को जरूरत होती है। न्याय की मांग हम को भी करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ती है और अधिष्ठाता महोदय आपको भी करनी पड़ती है, अगर ऐसी बात हो जाय तो हम सब में विश्वास होना चाहिये कि न्याय ही मिलेगा। इसके लिये न्याय विभाग को हाई कोर्ट सम्बन्धित कर दिया जाय और सारा काम उसे सौंप दिया जाय और आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की प्रथा को समाप्त कर दिया जाय।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस के साथी काफी समझदार हैं और इस पर काफी कहा जा चुका है, समझदार को इशारा काफी होता है इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रथा को समाप्त किया जायगा। आनरेरी मैजिस्ट्रेट रिश्वत लेते हैं या नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। कोई न ले तब भी लोग कहते हैं कि लेता है। हमारे जिले में इन्द्र वर्मा मजिस्ट्रेट हैं, बच्चा-बच्चा जानता है कि वे एक पैसा नहीं लेते हैं और इन्साफ निष्पक्ष करते हैं और भी मैजिस्ट्रेट हैं जिनके ऊपर जनता की आस्था है। अंग्रेजों ने इसको इसलिये कायम किया था कि जमींदार और ताल्लुकेदारों को रखकर जनता के ऊपर होल्ड रखा जाय जिससे हुकूमत करने में आसानी रहे। वही चीज आज भी हम देख रहे हैं।

हमारे कांग्रेसी साथियों ने कहा है कि कई जिलों में बी० ए० से कम आनरेरी मैजिस्ट्रेट नहीं हैं। अब आनरेरी सर्विस बी० ए० के बाद बड़ा आदमी ही कर सकता है क्योंकि गरीब आदमी अगर करेगा तो गुजारा कैसे होगा? आजकल मुकदमों में यह देखा गया है कि गरीब बरसेज अमीर होते हैं। गरीबों पर दावा किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा तारीखें लगाई जाती हैं और जब गरीब परेशान हो जाता है तो उनको अदालत में फैसला कर लेता है। मैजिस्ट्रेट एक वर्ग के प्रतिनिधि हैं और उस वर्ग की रहनुमाई करते हैं। मेरे यहां एक खानदान की हुकूमत है। आप मेरे जिले में चलिये तो मालूम होगा कि हर बेंच में माननीय वीरेन्द्र वर्मा

[श्री विजयपालसिंह]

भूतपूर्व उप मन्त्री के एक आध आदमी बैठे हैं। कहीं उनके भाई, कहीं चचा के लड़के, कहीं मौसा और बूआ के लड़के मैजिस्ट्रेट हैं। कोई अदालत ऐसी नहीं है जिसमें उनका एक निजी रिश्तेदार न बैठा हो, जहां उनकी पार्टी के आदमी न हों।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जो आदमी यहां अपने को डिफेन्ड करने के लिये नहीं है क्या उसके बारे में यहां कहा जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

ऐवायड करना चाहिये।

श्री विजयपालसिंह—

कैराना और कांधला के मैजिस्ट्रेटों ने, पीछे की बात नहीं कहता, पिछले साल जितने मुकदमे किये हैं अगर आप उनकी फाइल मांग कर जांच करें तो अधिकतर....

श्री अधिष्ठाता—

विजयपालसिंह जी, अगर आप पर्सनल अटैक न करें तो लोग आपके तर्क को ज्यादा ऐप्रीशियेट करेंगे। बात यह है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट यहां नहीं हैं, वे रिप्लाई कर नहीं सकते।

श्री विजयपालसिंह—

तो मैं कह रहा था कि मुकदमे जो उन्होंने किये होंगे वे पार्टीबाजी के आधार पर किये होंगे और उनमें से, एकाध को छोड़कर, अधिकतर बेंचों से उनके निर्णयों के खिलाफ फैसले हुए हैं। मैं कहता हूं कि वह रिश्वत नहीं लेते लेकिन जिस मैजिस्ट्रेट का ऐलान हो कि अगर कोई किसान का मुकदमा उसके यहां हो तो वह कहे कि तुम हमारी आढ़त पर अपना माल लाओ नहीं तो मुकदमा तुम्हारे खिलाफ फैसल होगा तो वह रिश्वत से भी बुरी बात है। एक मैजिस्ट्रेट हमारे यहां हैं जिनकी आढ़त की दूकान है आप सी० आई० डी० से जांच करा सकते हैं कि वह क्या करते हैं। पटवारी, पतरौल जो रखे जाते हैं उनकी योग्यता निर्धारित होती है लेकिन मैजिस्ट्रेट का काम करने के लिये आपने कोई योग्यता का स्टैन्डर्ड नहीं कायम किया है। नतीजा क्या है कि जब आप डिमोक्रेसी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट बगैर वेतन का काम करें तब डिमोक्रेसी पनपती है और हमें उनपर विश्वास करना चाहिये तब मैं कहता हूं कि आपने जो पंचायती अदालतें कायम की हैं अगर यही पावर्स आप उनको दें तो वे आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के मुकाबले में बहुत अच्छा काम करते हैं। भले ही उनमें कुछ गड़बड़ियां हों, आप उनको डेवलप कर सकते हैं लेकिन इनका काम भी अगर उनको दे दें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मैं कहता हूं कि हमारे अधिष्ठाता महोदय ने कहा था कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट अंग्रेजी में फैसला लिखते हैं। मैं कहता हूं कि वह फैसला लिखते ही नहीं, अगर वह फैसला हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी किसी में लिखें तो दिक्कत नहीं थी लेकिन बदकिस्मती यह है कि वह फैसला लिखते ही कहां हैं, कोई वकील या पार्टी के कोई नेता गण बैठकर वहां फैसला लिखाते हैं तब पेशकार साहब उसको लिख देते हैं।

मैं ज्यादा न कहकर यह कहता हूं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट सिर्फ पार्टियों को मजबूत करने की दृष्टि से रखे गये हैं। उनका काम गरीबों पर जुल्म ढाना है जिनका एक सिद्धांत है जनता से जो सामान मिल जाय उसे लूटना। मैं कहता हूं कि दूसरे लोग भी इससे काफी लाभ उठाते हैं चाहे कोई हो, प्रमुख हो, प्रधान हो जमींदार सबका मुकदमा मैजिस्ट्रेट के यहां जाता है और हर एक को वहां जाना पड़ता है। तो मैजिस्ट्रेट साहबान करते क्या हैं जितना चीनी, लोहा सीमेंट वहां जनता में वितरण के लिये आता है उसका ज्यादातर हिस्सा मैजिस्ट्रेट साहबान निगल ले जाते हैं। मैं ज्यादा न कहकर यह कहूंगा कि इस आनरेरी मैजिस्ट्रेट के स्थान को खत्म कीजिये। मैं

जानता हूं कि आप खत्म नहीं करेंगे। अगर नहीं भी आप करते हैं तो कम से कम मेरे जिले में मैं जानता हूं कि तमाम आनरेरी बेंचेज के मैजिस्ट्रेट वह सज्जन हैं कि जो अंग्रेजों के हमेशा से पिट्ठू रहे उनके लिये मैं यह नहीं कहता कि वह कांग्रेसी, पर नहीं, कांग्रेसी हों, सोशलिस्ट हों, जनसंघी हों, हर गरीब पर वह जुल्म करते हैं और हर पार्टी के जो अमीर आदमी है उनको प्रोत्साहन देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस मसले को गौर से देखिये।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा इरादा इस डिबेट में हिस्सा लेने का नहीं था। लेकिन पिछले डेढ़ घंटे में जो बातें मैंने सुनीं उनसे मेरे अन्दर यह ख्वाहिश जरूर पैदा हुई कि इस विषय के ऊपर विचार व्यक्त किये जायं तो अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूं कि जुडिशियल सिस्टम जो है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है समाज के चरित्र निर्माण में। हमारा जो जुडिशियल सेट अप है वह बहुत खर्चीला भी है, इन्साफ उसमें जल्दी नहीं मिलता और उसमें आवश्यकता है बहुत संजीदगी से गौर करने की उसी जुडिशियल सेट अप का एक जज है आनरेरी मैजिस्ट्रेट का मुकर्रर होना। इसलिये इस विषय पर मैं दो दृष्टिकोण से अपने विचार व्यक्त करूंगा पहला तो यह कि क्या वाकई जो यह प्रथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट की है इससे लोगों को कम वक्त में कम पैसे में इन्साफ मिल जाता है और अच्छा इन्साफ मिल जाता है या नहीं मिलता है। उसके बारे में एक शकूक जरूर पैदा हो गए हैं क्योंकि अंग्रेजी जमाने में भी इस सिस्टम का जो विकास हुआ था उसके पीछे इतना इन्साफ नहीं था जितना कि अंग्रेजी सिस्टम में पैट्रनेज का जो तरीका था, उसी पैट्रनेज के लिये यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था थी और उस जमाने से यह चालू रहा।

आजकल के डेमोक्रेटिक सेट अप में बजाय सुधरने के एक और ज्यादा पैट्रनेज का रूप यह ले रहा है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के हों, एक ख्वाहिश समाज में लोगों के अन्दर बढ़ी है कि वह सत्ता के स्थान पर रहें। तो यह इन्साफ देने की इसमें आशंका नहीं रहती है जितनी कि सत्ता के प्रतीक बनने की ख्वाहिश होती है। और जब सत्ता के प्रतीक बनने की ख्वाहिश होती है तो सही बात है कि जो भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सेट अप की होती है उसको भी यह ख्वाहिश होती है कि जहां तक अपनी जड़ें अक्वायर कर सकें वह करनी चाहिये। इसलिये यह सेट अप अगर रहता है तो चाहे कांग्रेसी गवर्नमेंट हो, चाहे उधर के लोगों की गवर्नमेंट हो, अगर इसमें कोई आप मूल परिवर्तन नहीं करते हैं तो शिकायत की बात रहेगी। जो आज इधर वाले करते हैं वही कल वह जब यहां आ जायेंगे तो करेंगे जबकि जब तक कि जस्टिस की व्यवस्था के ऊपर गहराई से विचार नहीं किया जाता और उसमें परिवर्तन नहीं होता। मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि मेरा यह बहुत अटूट विश्वास है कि जिसे चरित्र निर्माण कहते हैं उसका सबमें पहला एलीमेंट्री लेसन जो है वह अदालतों से मिलता है यानी अदालत जो है वह एक नेशन के चरित्र को बनाता है। और हमारे यहां जैसा जुडिशियल सेट अप बन गया है उसके बारे में ईमानदारी आदमी की राय में भी यह बन गई है कि अदालत में झूठ बोलना झूठ नहीं है। यानी किसी धर्मात्मा आदमी से भी बात करें तो वह भी अगर अदालत में झूठ बोलता है और यह कसम खाकर बोलता है कि मैं सच और केवल सच कहूंगा और दृढ़ता के साथ में बोलता है, संकल्प के साथ बोलता है, तो वह भी यही कहता है कि यहां जो सच बोलता है वह बेवकूफ कहलाता है। तो आज समाज में चरित्र सबसे ज्यादा बिगाड़ने का एलीमेंट्री स्कूलिंग हमारी अदालतों में होता है। इसलिये अदालतों की व्यवस्था के ऊपर काफी गम्भीरता से विचार विनिमय होना चाहिये। मुझे खेद है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की और उस कमेटी में इस प्रदेश के काफी सीनियर लोगों को, अच्छे लोगों को मेम्बर रखा गया, मुझे यह पता चला है कि उसकी रिपोर्ट आज तक पढ़ी नहीं गई। यानी जिस कमेटी के लिये हजारों रुपया खर्च हुआ, जस्टिस मुकर्जी जिसके चेयरमैन थे, जिसमें सीनियर लेजिस्लेचर के लोग मेम्बर थे, उस कमेटी ने छानबीन करके कुछ शिफारिशें की थी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसहा]

उन सिफारिशों में इस बात की कोशिश की गई थी कि किन कारणों से भ्रष्टाचार होता है और किन कारणों से लोगों को सस्ता इंसाफ मिल सकता है। मुझे अफसोस है कि अगर कमेटी को यही इज्जत रहेगी और कमेटी की रिपोर्ट के बारे में यही दृष्टिकोण रहेगा तो हम किसी की संजीदगी पर किसी आधार पर गौर नहीं कर सकते। यही कारण था कि मुझे २, ४ शब्द कहने के लिये मजबूर होना पड़ा। मैं यह समझता हूं कि अदालतों का जो हमारा ढांचा है उसके लिये २, ३ कदम उठाये जाने चाहिये। यह बहुत पेंचीदा ढांचा है। अंग्रेजी जमाने में उन्होंने एक उसूल बनाया था। वह यह मान कर चलते थे कि एक आदमी स्वभाव से ईमानदार है। इसलिये सारा एविडेन्स इसके ऊपर ही था कि एक बेगुनाह आदमी को बचाने के लिये अगर १० गुनाहगारों को छोड़ना पड़े तो हमको गुरेज नहीं करना है। उनका यह चरित्र था कि वह आदमी को स्वभाव से ईमानदार मानते थे। सारा एविडेन्स सिस्टम इसके ऊपर बना। आज के समाज में यह विश्वास हो गया है कि आदमी फितरतन ईमानदार नहीं है और ईमानदारी बहुत मंहगी चीज है। अपने जुडीशियल सिस्टम को सरल करने के लिये इस तरह से सोचना है कि कैसे हम न्याय को ऐसा गठित करें जिस से जल्द न्याय हो सके और जब वास्तविकता के नजदीक रह सकें।

एक मिसाल मैं आपके जरिये से सदन के सामने रखना चाहता हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक लड़का मुन्सिफ हो गया। उसमें उमंग थी और जल्दी न्याय करना चाहता था। वह जब मुन्सिफ की कुर्सी पर बैठा तो उन्होंने कहा कि इन्साफ करेंगे। उसने देखा कि लोग कुछ इधर उधर कर रहे हैं तो उसने कहा कि मैं इस किस्म का मुन्सिफ नहीं हूं। उसने कहा कि मैं आन दि स्पाट जाकर इंक्वायरी करूंगा। जाकर उसने इंक्वायरी की और लोगों का एविडेन्स लिया लेकिन एविडेन्स के मुताबिक जो उनको जानते थे एविडेन्स नहीं हो पाया। उसने लिखा कि मैंने आन दि स्पाट जाकर इंक्वायरी की और यह जुर्म हुआ है और मैं किसी के बहकाने में आने वाला नहीं हूं। जब दूसरी कोर्ट में अपील जाती है तो जज महोदय लिखते हैं कि यह लड़का क्रेक मालूम होता है यानि आन दि स्पाट इंक्वायरी करने कैसे गये। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा तरीका ऐसा दे कि जिसमें हम वास्तविकता के नजदीक नहीं रह सकते हैं। दो वकीलों के बीच में वह खड़ा होगा। उसका यकीन कानून पर रखा जाता है। अगर वकीलों की बहस पर इंसाफ देना पड़ता है। तो आपको वकीलों के इंस्टीट्यूशन को अबालिश करना पड़ेगा। जब आप सिद्धान्त की बात करेंगे तो वास्तविकता से दूर बहस चली जायगी। जब कानून के ऊपर बात करेंगे, वकील के जरिये से बात करेंगे तो पेशेवर लोगों के हाथ में बात पहुंच जायगी। हमारे यहां जो वकील पेशा है, कानून का एक अपना ढंग है, उसमें बहस करने का ढंग वास्तविकता से दूर रहेगा। यह दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं इसलिये आशा करता हूं कि जब इस सदन में यह सवाल आया है कि हम सब गौर कर रहे हैं तो विस्तृत तरीके से गौर कीजिये। महज एक जी चीज पर गौर न किया जाय कि मैजिस्ट्रेट हो या नहीं। जस्टिस का जो अपरोच है वह एक नये तरीके का निकले और उसी ढंग से उसका निर्माण किया जाय। उसके लिये आपको लाजिमी है कि मजिस्ट्रेट का रिक्रूटमेंट भी बदलें। रिक्रूटमेंट का आधार क्या हो, उसके बारे में आपको विचारना है।

आज हमारे यहां उसका कोई आधार नहीं है। कोई बेस नहीं है। आज माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि फलां खानदान के लोग हो गये और इसके दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हमारे यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं इसमें तरीका बदलने की जरूरत है। मैं समझता हूं आनरेरी मैजिस्ट्रेट को कानून से वास्ता होना चाहिये और उनके लिये गवर्नमेंट की पालिसी कुछ निश्चित होनी चाहिये। जब मैजिस्ट्रेट मुकर्रर हो जायं तो दो चार बार उनकी मीटिंग भी होना चाहिये और उनको मालूम होना चाहिये कि इंसाफ के बारे में हमारी नीति क्या है; किस प्रकार हम को कार्य करना चाहिये आदि बातों की जानकारी कराना चाहिये। तो इस तरफ कदम उठाये जायं, जब यह होगा तभी हमको समस्त इंसाफ मिल सकेगा और आपकी बहस उपयोगी हो सकेगी।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शारदाभक्तसिंह जी का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने अपने वक्तव्य में बताया, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रथा चालू किस लिये हुई। जब किसी चीज का कोई बीज बोया जाता है तो पेड़ भी उसी का निकलता है। यह प्रथा इसीलिये शुरू की गयी कि सरकार का प्रभुत्व जनता के ऊपर रहे। अंग्रेजों ने देखा कि देश में देश भक्ति की लहर पैदा हो रही है, इस समय कुछ ऐसे लोग तैयार किये जायं जो हमारे पक्ष में आयें। राज्य लक्ष्मी ऐसी चीज है जिसे सब लोग पकड़ना चाहते हैं। उसके पकड़ने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि सक्रिय रूप से राजनीति में भाग ले कर चुनाव आदि में जीतकर यहां आते हैं जैसे हम सब लोग हैं। यहां जो पैसा मिलता है उस से अपना काम चलाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि उनके कमाने का ढंग दूसरा होता है। औ रोजगार दूसरा होता मगर उनके अन्दर भी राज्य सत्ता को पकड़ने की आकांक्षा बनी रहती है। वह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से जनता पर उनका असर बना रहे। उसके लिये यही रास्ता है आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का।

श्रीमन्, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर यहीं लखनऊ का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक साहब यहां के बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनमें व्यापारी होने के सभी गुण मौजूद हैं। ब्लैक मार्केटिंग उनका सबसे पहला गुण है। वह गुण भी उनमें मौजूद हैं। वह कांग्रेस के विपक्ष में चुनाव लड़ना चाहते थे। अन्दाजा यह था कि शायद यह चुनाव में जीत जायं क्योंकि पैसे वाला आदमी है और हवा भी कांग्रेस के खिलाफ है। अतः उसको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया गया और वह चुनाव से हट गया। उसने भी सोचा चुनाव लड़कर यहां आने से तो उसका व्यापार ठीक तरह से नहीं चल पायेगा, वहां रह कर वह अपना व्यापार भी ठीक तरह से चला सकेगा और सत्ता पर अधिकार भी बना रहेगा और जनता में असर भी काफी रहेगा। तो सत्ता हथियाने के रास्ते दूसरे हैं, और पैसा कमाने के रास्ते दूसरे हैं। आज जिलों में नेताओं के कुछ रिश्तेदार वगैरह जरूर होते हैं। वकील लोग तो नेता वर्ग में सबसे ज्यादा हैं ही। जो बात माननीय गोविन्दसहाय जी ने कही वह श्रीमन्, बिलकुल ठीक ही कही है।

पूज्य बापू जी ने कहा है कि यह वकील पेशा जो है यह यहां पाश्चात्य सभ्यता की देन है और जो नेताओं के रिश्तेदार लग्गू-भग्गू होते हैं वकील वह इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों से काम लेते हैं। मैं अपने यहां का आपको बता दूं कि हमारे यहां एक वकील साहब हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको केवल इसलिये वकील बनाया जाता है कि वह लोगों के काम बना देते हैं, कहा जाता है कि एक तो वकील करो जो केस करे और एक मुंह को कर लो, वकील की फीस दस रुपया और मुंह की फीस २०० रुपया। मुंह का काम यह है कि वह मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गये, जहां उनको मैजिस्ट्रेट साहब ने देखा कहा आइये-आइये। फौरन पेशकार को हुक्म हुआ जरा सी बात करके कि फलां मिशल ले आओ और उसने लाकर फाइल रख दी और वह चला गया। फिर लगा सौदा होने ....

श्री अधिष्ठाता—

जिनको आप मुंह कह रहे हैं वह एज कौंसिल आते हैं या वैसे ही ?

कुंवर श्रीपालसिंह—

वह भी वकील ही होते हैं, लेकिन खाली मुंह दिखाने के लिये बहस के लिये दूसरा वकील रहता है, वह तो मुंह दिखाने का और बात करने का ही २०० रुपया लेते हैं। वह बोलने वाला मुंह नहीं है वह तो खाली दिखाई पड़ने वाला मुंह है। तो इस तरह से कमाई करने के लिये और अपने लोगों को कमवाने का यह रास्ता निकाला गया है। इसमें दो आदमियों का लाभ है एक तो उसका जो पैसा कमाता है और दूसरे अपनी महत्वाकांक्षा का और राजनैतिक शक्ति में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

आकर उसके पीछे कुछ उपभोग करना चाहता है। उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिये यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये जाते हैं और वह नेता वर्ग की कृपा से बनते हैं और नतीजा उसका यह होता है कि वह हमेशा नेता के पीछे चलने के लिये मजबूर होते हैं। जिधर को नेता का इशारा होता है उधर को ही उनका फैसला होता है।

अभी पिछले प्रधानों वाले चुनाव में यह चीज देखने को मिली। मैंने कई जगह ऐसा देखा कि प्रधान खड़े हुये चुनाव के लिये २ आदमी खड़े हुये एक साहब के खिलाफ और दूसरे नेता जी के टट्टू थे। तो यह चार्ज लगा दिया गया कि उनको सजा हुई है चोरी वगैरा में लिहाजा वह खड़े नहीं हो सकते। और दूसरे जिले में जाकर आनरेरी मैजिस्ट्रेट से जांच करायी गयी पिछली तारीखों में न जाने किस तरह से जांच हो गयी और इस प्रकार उस बेचारे को प्रधान के चुनाव में खड़े नहीं होने दिया गया। अंदेशा यह था कि अगर वह खड़ा हो जाता तो नेताजी के विरुद्ध जीत जाता है। उसके लिये इन आनरेरी मैजिस्ट्रेट रूपी भुजाली का प्रयोग किया गया। हमारे देहात में इसको अ हरी मैजिस्ट्रेट कहते हैं। अन्हरी माने होते हैं अंधा। इसकी वजह से एक विचित्र घटना मुझे याद आ गई। चुनावों में ऐसा होता है कि किसी नेता को अगर किसी पर शुबहा होता है कि कोई आदमी मेरे पक्ष के अलावा किसी और के पक्ष में वोट न दे आये तो उस से कहा गया कि तुम खुला वोट दो अब खुला वोट देने के लिये बहुत से लोग अंधे बन गये। लोगों ने प्रीजाइडिंग आफीसर से कहा कि मैं चश्मा घर भूल आया हूं जरा मेरी मदद कर लीजिये। एक २३-२४ वर्ष के साहब ने भी जब उनसे यह बात कही तो वे उसकी तरफ देखते रह गये। उसने ऊपर देख कर कहा कि आपको भी चश्मे की आवश्यकता पड़ गयी। तो यह अन्हरी मैजिस्ट्रेटों का काम यही होता है कि वे नेता जी की आंखों से देखें फिर भला वह न्याय की आंखों से कैसे देखेगा? यहां तो कानून ठीक ढंग और ईमानदारी से बनाया जाता है, लेकिन अगर उसका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से हो तो कोई कारण नहीं कि देश तरक्की न कर पाये। जितना रुपया खर्च किया जाता है अगर उतने रुपये से सड़क बनायी जाय तो यहां से आगरे तक सड़क बन जाय।

हमारे नेता लोग बैठते हैं और विचार हैं करते कि तीसरी योजना बीत चली लेकिन यह सारा रुपया कहां चला गया। लेकिन कानून हो चाहे रुपया हो, मुख्य चीज यह है कि उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट राज्य सिंहासन के पाये हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के सिंहासन में ३२ पाये थे इसी प्रकार से न जाने इस शासन के सिंहासन में कितने पाये हैं लेकिन उन पायों में यह भी एक पाया है और जबरदस्त पाया है। यह पाया करता क्या है? जरा सी बात खिलाफत में हुई कि आपके ऊपर एक मुकदमा दायर कर दिया गया और जिस जाति का मैजिस्ट्रेट होता है उसी जाति के वकील किये जाते हैं। बात क्या है? अगर जज हो तो उसके पास सिफारिश कैसे पहुंचे? एकाध ने पहुंचाई भी लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि अपने पद से उन नेता जी को हाथ धोना पड़ा और आज तक वे फिर घुस न पाये। लेकिन ये आनरेरी मैजिस्ट्रेट केवल पार्टी लाइन पर ही नहीं गुट बाजी और जाति की लाइन पर उनका एप्वाइंटमेंट किया जाता है। मैं तो इसका भु त भोगी हूं। मैंने तो इसको स्वयं देखा है जिस जाति का आनरेरी मैजिस्ट्रेट होगा वहां उसी जाति के वकील होंगे। वही तो उसको कमवाते हैं। सामने जिन नेता की तस्वीर लगी हुई है, वही असली नेता था और उसके जमाने के और भी कुछ लोग हैं लेकिन नीचे के नेता लोग कब उनको ठीक से काम करने देते हैं। अगर वह नीचे वालों के कहने में न चलें तो आप ही उनको निकाल बाहर करेंगे। आप ही उनसे गलत काम कराते हैं अपने काम के लिये उनकी गरदन पकड़ते हैं। अगर वे ऐसा न करें तो उनकी भी पूंछ न हो।

अपना काम निकालने के लिये हर एक आदमी आतुर है। मैं माननीय गोविन्दसहाय जी से सहमत हूं कि जब तक प्लानिंग करके आप मनुष्य नहीं बनायेंगे, समाज का कल्याण नहीं होगा। लोगों का चरित्र बनाइये, उनमें देशभक्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने का। अगर यह एक सीढ़ी खसकायी तो कुछ थोड़ा शायद लाभ होगा, कम से कम इतना होगा कि जो बेईमानी से जबरदस्ती लोगों को कब्जे में रख कर दम घोटने वाला वातावरण पैदा कर दिया है गांवों में और जिलों में उस से राहत मिल जायगी। इसलिये इस नाजायज चीज को हटाइये।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्,

उम्मीद उनसे क्या थी और कर वह क्या रहे हैं।
खुद ही बना रहे थे, खुद ही मिटा रहे हैं।
बनाये गये इंसाफ के लिये, अब गुल खिला रहे हैं।
फैसले खुद लिख नहीं पाते, दूसरों से लिखा रहे हैं।
यह मैजिस्ट्रेट हैं आनरेरी या अनाड़ी।
यह सवाल उठ रहे हैं और उठाये जा रहे हैं।
हम तो समझते थे न्याय करेंगे।
यह न्याय की जड़ को काटे जा रहे हैं।
यह जनता का कर कर के शोषण।
मंत्री जी का खतबा बढ़ाये जा रहे हैं।

खैर अनाड़ी तो मैं भी हूं क्योंकि पोलिटिकल लाइन में अभी-अभी कदम रखा है। हर आदमी गलती कर सकता है। अब मैं दूसरा शेर कहता हूं —

इबादत की लज्जत, न जी भर के पीना।
यह क्या जिन्दगी है, न मरना न जीना।
मेरे डूब जाने का बायस न पूछो।
किनारे से टकरा गया था सफीना।
मैं मर जाऊंगा बस यही ना।

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहूंगा कि इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को चीन के मोरचे पर भेज दिया जाय। मेरा सुझाव यह भी है कि केवल औरतों को ही मैजिस्ट्रेट बनाया जाय क्योंकि मर्दों में अब यह तमीज नहीं रह गई। अगर मर्द बनना चाहे तो वह पहले औरत बनें यानी रहम दिल ताकि अन्याय करते हुये उन्हें दुःख हो। तब तो ठीक है। बस मैं इसी से आदाब करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और २३ तारीख को साढ़े दस बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर सोमवार २३ दिसम्बर, १९६३ के साढ़े दस बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२० दिसम्बर, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१० पर)

कार्य से सम्बन्धित ओवरसियर १८ अक्तूबर, १९६१ से २९ अक्तूबर, १९६१, ७ दिसम्बर, १९६१ से १० दिसम्बर, १९६१ तथा ८ मई, १९६२ से १६ मई, १९६२ तक छुट्टी पर रहे। उनके जिम्मे ब्लाक निर्माण कार्य के अतिरिक्त समय-समय पर (१) इलाहाबाद-गोरखपुर रोड मील नं० ९८ से १११, (२) चिल्लूपार गोला बाजार रोड का निर्माण, पुनर्निर्माण तथा अनुरक्षण (३) दोहरी घाट फेरी (४) ब्लाक बिल्डिंग बांस गांव व कौड़ीराम व (५) रूरल आलोपैथिक डिस्पेन्सरी मलांव के कार्य थे। बाण्ड की प्रति ठेकेदार के २४ जनवरी, १९६२ के पत्र के उत्तर में दी गई।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३११ पर)

REGISTERED A. D. **WITHOUT PREJUDICE**

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P. W. D. TEMPORARY DIVISION

No. CB—6EE(T)(61)/4662 *Dated Gorakhpur July* 11, 1962.

To

Sri Vijai Pratap Ojha Contractor,
Barhalganj,
Gorakhpur.

Subject : **Construction of Stage I Block at Barhalganj Contract Bond no. 6 EE(T) dated August 4, 1961**

DEAR SIR,

According to the progress stipulated in your contract bond you should have executed work costing Rs. 28,000 atleast, where as your progress so far is of Rs. 8,000 Approximate only and as such you are hereby penalised for slow progress at the rate of Rs. 100 per day only in terms of para 2 of G. P. W. D. No. 9 attached with your bond till you complete the work worth Rs. 28,000 only and send me a compliance report duly verified by my staff at site.

Your attention is invited to clause 3 of G. P. W. no. 9 of your agreement and you are requested to expedite so that conditions do not arise that action under this clause becomes imperative.

Yours faithfully,
A. K. SUR,
Executive Engineer,
Temporary Division, Gorakhpur.

COPY to Assistant Engineer III Gorakhpur for information and necessary action. The progress of the contractor should be watched and reported shortly.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Executive Engineer.

COPY to Divisional Accountant for necessary action.

(Sd) ILLEGIBLE,
Executive Eengineer.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में उल्लिखित राजाज्ञा की प्रतिलिपि

Copy of G. O. no. B (P) !3183/XV—641/1956, dated July 21, 1956 from Dr. M.C. Pant, M.P.C., D. PHIL., *Under Secretary to Government U. P. to the Director Education, U. P., Allahabad.*

Subject ; **Employment of trained teachers by the District Boards in the State**

I am directed to say that it has been brought to the notice of Government that certain District Boards have appointed untrained persons as teachers in the Schools maintained by them even when the trained hands are available in the district or in the neighbouring districts. This is highly undesirable. In order to raise the standard of teaching in these schools it is necessary that no untrained or unqualified hand should be appointed as teacher and the existing untrained or unqualified teachers should be replaced by duly qualified and trained hands as and when the latter become available. I am, therefore, to request you to ask the District Boards in the State that in future no unqualified or untrained hands should be appointed as teacher in the Schools maintained by them and that existing unqualified or untrained teachers should be replace with duly qualified and trained hands as soon as they become available. Where no duly qualified hand is available for appointment as teacher in the district or in the neighbouring districts the Board may with the previous approval of the District Inspector of Schools appoint temporarily an untrained teacher. The Boards may also be told that if they do not comply with the above instructions grants in respect of their teachers who are untrained may have to be reduced to that extent.

(2) I am to add that half yearly reports should be submitted to Government that these instructions have been complied with by the District Boards.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

ग्राम—१—नौसाना २—भगवतीपुर ३—गुलड़िया, तहसील-ब जिला बदायूं में आबादी से पास दूर दिये हुए छोटे/बड़े चकों के सम्बन्ध में सूचना।

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	ग्राम में कुल चकों की संख्या	२ एकड़ से अधिक रकबे के चकों की संख्या जो आबादी के पास/दूर हैं आबादी के		२ एकड़ तक के रकबे के चकों की संख्या जो आबादी के पास/दूर हैं आबादी के	
			पास	दूर	पास	दूर
१	२	३	४	५	६	७
१	नौसाना	१२३	२	५३	४२	२६
२	भगवतीपुर	१७०	१	६४	७७	२८
३	गुलड़िया	३७३	३०	१६५	११२	६६

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२९ पर)

बाढ़ सहायता सलाहकार कमेटी की बैठक श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह सभा सचिव की उपस्थिति में ८ सितम्बर, १९६३ को हुई थी। इस बैठक में पारित प्रस्तावों का ब्योरा निम्नलिखित है :—

१—बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों को उनके मासिक शुल्क में उचित छूट दिये जाने के निमित्त सरकार से उपयुक्त धनराशि की स्वीकृति मंगाई जावे तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखा जावे कि ऐसे विद्यार्थियों के शुल्क की वसूली स्थगित कर दें।

२—वन विभाग से प्रार्थना की जावे कि बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को मकान की मरम्मत के हेतु जंगल के भाव (नो प्राफिट नो लास) से लकड़ी तथा फूस इत्यादि दिये जाने की व्यवस्था की जावे।

३—तहसील तरबगंज जहां हर साल बाढ़ आती है वहां के काश्तकारों की दशा शोचनीय है। उनके जिम्मे पिछले तीन सालों की मालगुजारी का विवरण तैयार किया जावे और सरकार से इस मालगुजारी को माफ करने की प्रार्थना की जावे।

४—सी० एल० आर० डी० स्कीम में बाढ़ पीड़ितों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सीरदार हुये थे परन्तु उनका यह अधिकार चकबन्दी में कागजात के दुरुस्ती के कारण समाप्त हो गया है फिर भी पुरानी मालगुजारी उनके जिम्मे अब भी बाकी है। इसकी दुरुस्ती के लिये एस० ओ० सी० को लिखकर अनुरोध किया जावे कि नवम्बर तक ऐसे मामलों को ठीक करें।

५—मैंने पावर यूटीलाइजेशन स्कीम (Man power utilization Scheme) अन्तर्गत निम्नलिखित रास्ते ठीक करने के निमित्त कदम उठाया जावें :

(१) रगड़गंज से उमरी बेगमगंज,

(२) करनेलगंज से कुकुरभोकवा कटरा होते हुये,

(३) बालपुर से पसका परसपुर होते हुए,

(४) गोंडा कचेहरी से कटरा और विशेशरगंज तक,

(५) सरजू घाट से भवंरीगंज शाहपुर होते हुये।

६—पानी के जमाव को रोकने के लिये निम्नलिखित योजनाओं का सुझाव हुआ :—

(१) भरथौली तथा सुहिला ताल के पानी को राप्ती नदी में गिरने की व्यवस्था की जावे।

(२) ऐलो परसौली से परसपुर तक के बांध की मरम्मत व उसको बनवाया जावे।

७—ट्रेडीशनल (Traditional) चरखा चलाने का प्रचार बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में किया जावे जिससे वहां के निवासी लाभ उठा सकें।

८—बाढ़ क्षेत्र में सहायतार्थ बैल की तकाबी बांटने के लिये उपयुक्त धन उपलब्ध किया जावे।

———

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३८ पर)

वाराणसी जिले के उन प्रसाराध्यापकों का विवरण जो एक ही स्थान पर पांच साल अथवा पांच साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

क्रम-संख्या	विद्यालय तथा स्थान का नाम	प्रसाराध्यापक का नाम	विद्यालय में नियुक्ति की तिथि
१	२	३	४
१	बी० एन० राजकीय इन्टर कालेज, ज्ञानपुर ।	श्री मुन्नीलाल दुबे ..	२१–११–१९५७
२	बल्देव इन्टर कालेज, बड़ागांव ..	श्री कृष्णप्रसादसिंह	३–२–१९५८
३	जूनियर हाई स्कूल, बबुरी ..	श्री जगदीशसिंह ..	२८–६–१९५५
४	जूनियर हाई स्कूल, ढ़िगुतरगढ़ ..	श्री धर्मदेव मिश्र ..	१३–८–१९५८
५	जूनियर हाई स्कूल, चोलापुर ..	श्री शीतलाप्रसादसिंह	१३–८–१९५८
६	जूनियर हाई स्कूल, उतरौत ..	श्री केदारराम ..	१३–८–१९५८
७	जूनियर हाई स्कूल, मथेला ..	श्री जगदम्बाप्रसाद श्रीवास्तव	१३-८-१९५८
८	जूनियर हाई स्कूल, मोढ़ ..	श्री कमलाकर मिश्र ..	१३–८–१९५८

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

सूची नियुक्त अमीनान तथा योग्यता जो प्रश्न ९३ के सम्बन्ध में है

तहसील एटा	योग्यता	तहसील अलीगंज	योग्यता
१—श्री ओम प्रकाश. .	हिन्दी मिडिल	१—श्री नाथूराम. .	हिन्दी मिडिल
२—श्री विजेन्द्र सिंह . .	,,	२—श्री ज्वाला सिंह	,,
३—श्री रहमतदाद खां	हाई स्कूल	३—श्री सिया राम	,,
४—श्री गोपाल सिंह . .	हिन्दी मिडिल	४—श्री अन्तराम. .	,,
५—श्री पुत्तू लाल . .	,,	५—श्री परताप सिंह	,,
६—श्री अब्दुल सत्तार	,,	६—श्री अमृत सिंह	८वां दर्जा पास
७—श्री रामवीर सिंह	,,	७—श्री भगवान सिंह	,,
८—श्री हनुमन्त सिंह	,,	८—श्री बाबू सिंह	,,
९—श्री कृशनपाल सिंह	,,	९—श्री शिवनाथ सिंह	हिन्दी मिडिल
१०—श्री बलवीर सिंह	,,	१०—श्री गंगा सहाय	८वां दर्जा पास
११—श्री बिसम्बर दयाल	,,	११—श्री मिट्ठी लाल	हाई स्कूल
१२—श्री अब्दुल रऊफ	हाई स्कूल	१२—श्री तेज सिंह	,,
१३—श्री होरी लाल शर्मा	हिन्दी मिडिल		
१४—श्री गया प्रसाद	,,		
तहसील कासगंज		**तहसील जलेसर**	
१—श्री सूरज पाल . .	हिन्दी मिडिल	१—श्री यशकरनपाल सिंह	हाई स्कूल
२—श्री रामसेवक . .	हाई स्कूल	२—श्री राधेश्याम	हिन्दी मिडिल
३—श्री महेन्द्र पाल शर्मा	हिन्दी मिडिल	३—श्री रोशनलाल	,,
४—श्री वीरेन्द्र शर्मा	,,	४—श्री उदेबीर सिंह	८वां दर्जा पास
५—श्री बहोरी सिंह	एर्थ क्लास	५—श्री दिनेश चन्द्र	हाई स्कूल
६—श्री ज्ञान देव . .	,,	६—श्री साकिर उसमानी	,,
७—श्री नेत्रपाल सिंह	,,	७—श्री सुलेमान खां	,,
८—श्री बहार अहमद . .	हाई स्कूल	८—श्री वासदेव सिंह	हिन्दी मिडिल
९—श्री दशरथ कुमार. .	हिन्दी मिडिल	९—श्री राजकुमार पाठक	हाई स्कूल
१०—श्री वीरेन्द्र सिंह. .	८वीं दर्जा पास	१०—श्री बंगाली बाबू	हिन्दी मिडिल
११—श्री राजेन्द्र सिंह. .	,,		
१२—श्री निरंजन सिंह. .	,,		
१३—श्री महेश चन्द्र. .	हाई स्कूल		
१४—श्री गंगा सहाय . .	हिन्दी मिडिल		

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

शिकायतों का बिवरण (संक्षेप में)

श्री गेनाउल्लाह के शिकायती आवेदन-पत्रों की तिथि	शिकायतों का बिवरण (संक्षेप में)
(१) १२-८-६३	(१) जब श्री शोभनाथसिंह ने सम्भवतः जुलाई के अन्तिम सप्ताह (२५ या २६ जुलाई, १९६३) में अपने स्थानान्तरण (नौगढ़ तहसील, जिला बस्ती से) का समाचार सुना और जब उनके स्थान पर नये ओवरसियर नौगढ़ उनको "रिलीज" (Release) करने के लिये आ गये तो श्री शोभनाथसिंह भिषक प्रमाण-पत्र पर छुट्टी (मेडिकल लीव) चले गये और क्रोधावेश में आकर कुछ अपने गुन्डे और बदमाशों को संगठित करके उपद्रव करना आरम्भ कर दिया और श्री नसीबदार (जो तहसील नौगढ़, जिला बस्ती के जनता के बीच में काम करते हैं) को केवल इस शक में कि उनका हाथ स्थानान्तरण में है, अपने समर्थकों (गुंडों) से दिन दहाड़े बुरी तरह पिटवाया है।
	(२) इसके पूर्व श्री शोभनाथसिंह, ओवरसियर ने तहसील नौगढ़ (जिला बस्ती) के परगनाधीश श्री भगवन्तसिंह (जो हरिजन हैं) के बंगले को अपने समर्थकों की मदद से घेर लिया और उनको अश्लील, अभद्र एवं असभ्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया और बाहर निकलने की धमकी दी।
	(३) श्री शोभनाथ सिंह, ओवरसियर ने नौगढ़, विकास खंड कार्यालय आदि के बड़े-बड़े कार्यों को करवाया जिसमें उन्होंने अपने ही जाने पहचाने ठेकेदारों को ही काम दिया और उनसे हजारों रुपये कमाये। इसके अलावा जो निर्माण-कार्य उनके समय में हुये वे बहुत खराब हैं और जो "मेटेरियल" निर्माण कार्य के लिये मिला उसका अधिक भाग इन्होंने इधर-उधर कर दिया जिससे सरकार को हानि हुई।
(२) १८-१०-६३ (१)	श्री गेनाउल्लाह अपनी शिकायतों के सम्बन्ध में (श्री शोभनाथसिंह, ओवरसियर के विरुद्ध) जांच की बराबर प्रतीक्षा करते रहे परन्तु जांच करने वाले अधिकारी महोदय ने प्रार्थी (श्री गेनाउल्लाह) को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना ही चुपके से (छिपाकर) ओवरसियर के समर्थकों को बुलाकर उनके बयान आदि लेकर खानापूरी कराकर ओवरसियर के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने की चेष्टा की है।
	(२) श्री गेनाउल्लाह की शिकायत को दबाने और वास्तविकता पर पर्दा डालने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारीगणों ने अपने विभाग के उच्चाधिकारियों तथा बस्ती के जिलाधीश से सांठ-गांठ कर लिया है।

श्री गेना उल्लाह के शिकायती आवेदन-पत्रों की तिथि	शिकायतों का विवरण (संक्षेप में)
	(३) श्री शोभनार्थसिंह, ओवरसियर के देखरेख में जिस ठेकेदार ने नौगढ़ विकासखंड के कार्यालय के निर्माण करवाने का ठेका लिया था उसने कार्यालय की नींव में अपने ईंट के भट्ठे की जली हुई छाई और दिवारों के निर्माण करवाने में, प्रथम श्रेणी के ईंटों को न लगवाकर अपने निजी भट्ठे के बचे हुए द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के ईंटों को लगवाया है और ओवरसियर से मिल कर प्रथम श्रेणी के ईंटों का दाम चार्ज किया है।
	(४) श्री शोभनार्थसिंह, ओवरसियर के समय में हुये कार्यों की जांच निष्पक्ष और "स्पेशल" ढंग से होना चाहिए।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४९ पर)

(१) ए० सी० ओ० क्षेत्र, बरहतीर जगदीशपुर

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	एकत्रित की गई धनराशि
		रु०
१	मित्तूपुर	१०१
२	अमदही	२३९
३	सोनापुर	९६
४	बरहतीर जगदीशपुर	५१६
५	मुस्तफाबाद	१५
६	चक अब्दुलमलिक	३३
	योग	१,०००

(२) ए० सी० ओ० क्षेत्र, सेमा—

		रु०
१	शाहपुर	१००
२	बीरमपुर	३३
३	रामपुर	३०
४	महाबलपुर	१५
५	लपसीपुर	९७०
६	भुजही	५५७
७	बोहना	३७०
८	सेमा	३५७
९	निजामपुर	२१६
१०	करउत	११०
११	धनहुआ	४८
१२	रोशनपुर	१०
१३	पाड़रबोझ	३१
१४	अभिलासन	४
१५	चौबेपुर	२५०
१६	कारी साथ	२६१
१७	बसारिकपुर	२०
	कुल ..	३,३८२
	सम्पूर्ण योग ..	४,३८२

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

क्रम संख्या	कन्या जूनियर हाई स्कूल का नाम व अन्य विवरण	अनुदान की धनराशि तथा प्रयोजन जिसके लिये दिया गया	अनुदान कब और किस के द्वारा दिया गया
१	जूनियर हाई स्कूल ज्वालागंज, व्यक्तिगत एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त।	३,०१२ रु० अनुपालन अनुदान।	शिक्षा निदेशक द्वारा उनके पत्र दि० ८-३-६३ में स्वीकृत।
		७२२ रु० सज्जा आदि के लिए।	शिक्षा निदेशक द्वारा उनके पत्र दि० ८-३-६३ एवं १८-३-६३ में स्वीकृत।
२	ग्राम महिला विद्यापीठ जूनियर हाई स्कूल, अशोकनगर, भरसवां व्यक्तिगत है और अभी मान्यता प्राप्त नहीं है।	१५,००० रु० भवन निर्माणार्थ।	शिक्षा निदेशक द्वारा उनके पत्र दि० ८-३-६३ में स्वीकृत।
		१,१२५ रु० सज्जा आदि के लिए।	शिक्षा निदेशक द्वारा उक्त पत्र में स्वीकृत।
		१,७८० रु० अनुपालन अनुदान।	शिक्षा निदेशक द्वारा उनके पत्र दिनांक १६-३-६३ एवं १८-३-६३ में स्वीकृत।

जूनियर हाई स्कूल, ज्वालागंज ने स्वीकृत धनराशि विभागीय आदेशानुसार उपयोग कर लिया है।

ग्राम महिला विद्यापीठ जूनियर हाई स्कूल, अशोकनगर, भरसवां ने अभी तक स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया है। इसके लिए विभागीय छानबीन की जा रही है।

अनुदान विभागीय जांच पड़ताल के पश्चात् ही दी गई थी।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

लखनऊ मण्डल में राजकीय परीक्षा विद्यालयों की सूची

नार्मल स्कूलों के नाम—

१—	राजकीय नार्मल स्कूल	.. सिसेंडी, लखनऊ	..	माडल स्कूल है।
२—	,,	,, गनेशपुर (बाराबंकी)		,,
३—	,,	,, बिसवां (सीतापुर)		,,
४—	,,	,, खीरी		,,
५—	,,	,, ओयल (खीरी)		,,
६—	,,	,, हरदोई		,,
७—	,,	,, उन्नाव		,,
८—	,,	,, रायबरेली		,,
९—	,,	,, सुल्तानपुर		,,
१०—	,,	,, अमेठी (सुल्तानपुर)		,,
११—	,,	,, दलीपपुर (प्रतापगढ़)		,,
१२—	,,	,, रामनगर (बाराबंकी)		,, यह नार्मल स्कूल निगोहां, लखनऊ से स्थानान्तरित होकर आया है।
१३—	,,	,, जहांगीराबाद (बाराबंकी)		एक माडल स्कूल (लखनऊ) में है जो इस समय किसी नार्मल स्कूल के साथ नहीं है। पहले यह नार्मल स्कूल निगोहां (लखनऊ) के साथ था। माडल स्कूल नहीं है।
१४—	,,	,, खैराबाद (सीतापुर)		,,
१५—	,,	,, कछौना (हरदोई)		,,
१६—	,,	,, मौरावां (उन्नाव)		,,
१७—	,,	,, अफीम कोठी (रायबरेली)		,,

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालयों की सूची—

१—	राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय	सीतापुर	..	माडल स्कूल है।
२—	,,	,, उन्नाव	..	,,
३—	,,	,, प्रतापगढ़	..	माडल स्कूल नहीं है।

नत्थी 'ठ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

चालू वर्ष ६३–६४ में भर्ती हुए हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्रों की सूची।

	हरिजन जाति	पिछड़ी जाति
राजकीय दीक्षा विद्यालय, मडियाहूं।	१—खखनू राम २—संतराम ३—केशव राम ४—देवराज राम ५—राम राज ६—रामदेव राम	१—हुबलाल नट २—मणिराम विश्वकर्मा (विश्वकर्मा) ३—बबऊराम कुर्मी (कुर्मी) ४—मैयालाल मौर्य (मौर्य) ५—सिधौरी राम (अहिर) ६—श्रीराम विश्वकर्मा (विश्वकर्मा) ७—श्रीधर मौर्य (मौर्य) ८—राजनाथ सिंह यादव (यादव) ९—सुग्रीव विश्वकर्मा (विश्वकर्मा) १०—फूलचन्द कुर्मी (कुर्मी) ११—लालमणि (राजभर) १२—जोखन राम चौरसिया (चौरसिया) १३—मु० रशीद (मोमिन अन्सार)
राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत।	१—बद्रीराम चमार २—रामदेव चमार ३—श्यामवली पासी ४—फूलचन्द राम पासी ५—गोवर्धनराम चमार (१) ६—गोवर्धनराम चमार (२) ७—इन्ददेव राम चमार ८—सीताराम चमार ९—लोकनाथ चमार १०—हरीलाल चमार ११—बल्लू राम चमार	१—मनीराम यादव २—पतिराम यादव ३—लालचन्द यादव ४—सूबराज राम निषाद ५—रामनरायन मौर्य ६—भजनराम यादव ७—फुनई राम यादव ८—सतिराम यादव ९—रामअधीन मौर्य १०—रामबली यादव ११—गुलाब राम केवट १२—राम चरित्र राम केवट १३—चन्दभान यादव १४—वंशराज यादव १५—बच्चन यादव १६—राम अजोर यादव १७—कोमल राम चौहान।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३६० पर)

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में पशुधन के सुधार की व्यवस्था करने के लिये;

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "अनुमोदित सांड़" का तात्पर्य धारा ६ के अधीन प्रमाणित और दागे गये सांड़ से है ;

(ख) "सांड़" का तात्पर्य गाय या भैंस के ऐसे नर संतति (male progeny) से है जो बधिया न किया गया हो और जिसकी अवस्था दो वर्ष से कम न हो;

(ग) सांड़ के सम्बन्ध में "बधिया करना" का तात्पर्य उसे अपनी जाति की प्रजनन शक्ति से वंचित करना है;

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत पशुपालन अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश भी है ;

(ङ) सांड़ के सम्बन्ध में "पालने" का तात्पर्य सांड़ का स्वामी होने से अथवा तत्समय उस पर कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखने से है ;

(च) "पशुधन अधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में पशुधन अधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है, और

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ।

अनमोदित सांड़ पालने का निषेध

३—इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसा सांड़ नहीं पालेगा जो अनुमोदित सांड़ न हो ।

सांड़ों की उपयुक्त नस्लों या वर्गों की घोषणा

४—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में, उस क्षेत्र के लिये उपयुक्त सांड़ों की नस्लों और वर्गों की घोषणा कर सकती है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति जारी करते समय सरकार, उस क्षेत्र में सभी नस्लों और वर्गों के उपलभ्य सांड़ों की संतति से प्राप्त होने वाले दुग्ध की मात्रा और इनकी उपयुक्तता तथा ऐसी नस्ल और वर्ग के सांड़ों की, जिन्हें उस क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित करने का प्रस्ताव हो, पर्याप्त संख्या में उपलभ्यता और ऐसे अन्य विषयों पर, जिन्हें वह संगत समझे, विचार करेगी ।

(३) उपधारा (१) के अधीन घोषणा करने के पूर्व सरकार गजट में प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकाशित करायेगी जिसमें वह सम्बद्ध क्षेत्र के लिए उपयुक्त

घोषित किये जाने वाले प्रस्तावित साड़ों के वर्गों और नस्लों को निर्दिष्ट करेगी और प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्रारम्भिक विज्ञप्ति में अनुमत समय के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

निरीक्षण के लिए सांड़ों को प्रस्तुत करना

५—पशुधन अधिकारी, लिखित आज्ञा द्वारा, किसी व्यक्ति से जो अननुमोदित सांड़ पालता हो, निरीक्षण के लिये सांड़ को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और तदुपरान्त वह व्यक्ति उसे निरीक्षण के लिये ऐसे दिनांक पर और ऐसे समय तथा स्थान पर प्रस्तुत करेगा जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि निरीक्षण उसी ग्राम अथवा नगर में होगा जिसमें सांड़ पालने वाला व्यक्ति सामान्यतया रहता हो ।

सांड़ों को प्रमाणित करना और दागना

६—यदि साँड़ का निरीक्षण करने पर, पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि साँड़ प्रजनन प्रयोजनों के काम में लाये जाने योग्य है, और—

(क) वह दोषपूर्ण या निम्न संरूप (conformation) का नहीं है; या

(ख) असाध्य प्रकार के ऐसे सांसर्गिक (contagious) या सांक्रामिक (infectious) रोग से या किसी ऐसे अन्य रोग से पीड़ित नहीं है जिससे कि साँड़ प्रजनन प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त हो जाय; और

(ग) उक्त क्षेत्र के संबंध में धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति कर दिये जाने की दशा में वह ऐसी नस्ल (breed) या वर्ग का नहीं है जो उक्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त घोषित न किया गया हो—

तो वह उस साँड़ को अनुमोदित साँड़ के रूप में प्रमाणित करेगा और तदर्थ नियत चिन्ह से उसे दगवायगा ।

उन साड़ों का बधिया किया जाना जो अनुमोदन के लिए अनुपयुक्त हों

७—(१) यदि निरीक्षण करने पर, पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि कोई सांड़ धारा ६ के अधीन प्रमाणित किये जाने या दागे जाने के उपयुक्त नहीं है तो वह लिखित आज्ञा द्वारा सांड़ पालने वाले व्यक्ति को यह निदेश देगा कि—

(१) उक्त धारा के खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाली अयोग्यता की दशा में वह सांड़ को ऐसी अवधि में बधिया करा ले जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय;

(२) उक्त धारा के खंड (ग) के अन्तर्गत आने वाली किन्तु खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत न आने वाली अयोग्यता की दशा में, उसे या तो निषिद्ध क्षेत्र से दूर हटा दे या ऐसी अवधि के भीतर बधिया करा ले जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय ।

(२) [क] उपधारा (१) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी को और ऐसी रीति से अपील कर सकता है जो नियत की जाय और अपील पर दी गयी आज्ञा अन्तिम तथा बन्धनकारी होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील तबतक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि के पश्चात् अपील ग्रहण करना उचित न समझे ।

[ख] वह प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील विचाराधीन हो ऐसी अन्तरिम आज्ञा दे सकता है जो वह उचित और इष्टकर समझे ।

(३) बधिया करने का कार्य पशुधन अधिकारी करेगा या करायेगा, जब तक कि सांड़ का स्वामी या उसे पालने वाला अन्य व्यक्ति आज्ञा का अनुपालन करने के लिये स्वयं अपना प्रबन्ध करने की इच्छा प्रकट न करे ।

(४) यदि उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा अंतिम हो जाय किन्तु अनुमत समय के भीतर उसका अनुपालन न किया जाय, तो पशुधन अधिकारी धारा १३ के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सांड़ को अभिगृहीत और उसे बधिया करा सकता है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा में सांड़ के संबंध में निषिद्ध क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके संबंध में धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति कर दी गयी हो और जिसके लिये ऐसा सांड़ उपयुक्त घोषित न किया गया हो ।

अस्वामिक सांड़ों का बधिया किया जाना और उनकी अभिरक्षा

८--(१) यदि पशुधन अधिकारी को नियत रीति से जांच करने के पश्चात् यह प्रतीत हो कि सांड़ किसी ज्ञात व्यक्ति द्वारा पाला नहीं गया है, तो वह उसे अभिगृहीत करायेगा और उसका निरीक्षण करेगा ।

(२) यदि उक्त निरीक्षण करने पर उसे यह प्रतीत हो कि सांड़, अनुमोदित सांड़ के रूप में प्रमाणित किये जाने और दागे जाने के लिये उपयुक्त नहीं है तो वह उसे बधिया करायेगा ।

(३) पशुधन अधिकारी, किसी व्यक्ति के सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में सांड़ के सम्बन्ध में अपना स्वत्व स्थापित करने के अधिकार के अधीन रहते हुये, सांड़ को किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसी रीति से या ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर दे सकता है जो नियत किये जायें ।

अनुपयुक्त होने पर अनुमोदित सांड़ों का बधिया किया जाना

९--यदि पशुधन अधिकारी को किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि अनुमोदित सांड़ को असाध्य प्रकार का सांसर्गिक या संक्रामिक रोग हो गया है, या वह अनुमोदित सांड़ के रूप में काम करने के लिये, अन्यथा अनुपयुक्त हो गया है तो वह सांड़ के संबंध में ऐसी कार्यवाही कर सकता है मानो वह अननुमोदित सांड़ हो और ऐसी कार्यवाही पर धारा ५, ६ और ७ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

पशुधन अधिकारी का प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार

१०--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पशुधन अधिकारी को और ऐसे व्यक्ति को, जिससे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता देने की अपेक्षा करे, यह अधिकार होगा कि वह किसी भी उचित समय पर,

(क) सांड़ का निरीक्षण करे ; और

(ख) यदि कोई शर्तें नियत की जायें तो ऐसी शर्तों के अधीन किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करे जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि सांड़ पाला जा रहा है ।

रजिस्टरों का रखा जाना

११--पशुधन अधिकारी ऐसे रजिस्टरों को रखेगा या रखवायेगा जिनमें सांड़ों के निरीक्षण, बधिया किये जाने, प्रमाणीकरण और दागे जाने के विवरण तथा ऐसी अन्य सूचनायें दी जायेंगी जो नियत की जायें ।

अनधिकृत चिन्हांकन के लिए शास्ति

१२--यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिह्न से अथवा नियत चिन्ह सदृश्य किसी चिन्ह से, जिसका अभिप्राय धोखा देना हो अथवा जिससे यह विश्वास करने का कारण हो कि उस सदृश्य चिह्न द्वारा धोखा दिया जायगा, किसी सांड़ को दागता है अथवा दगवाता है तो उसे कारावास का दंड दिया जायगा जो तीन मास तक हो सकता है या अर्थ दंड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों दिये जा सकते हैं ।

इस अधिनियम के उपबंधों, आदि का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

१३—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दी गयी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अर्थ दंड दिया जायगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है ।

अपराधों का संज्ञान

१४—जब तक कि पशुधन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत न किया जाय तब तक कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

१५—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी, तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दंड दिया जा सकेगा :

प्रतिबंध यह है कि यदि कोई उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दंड का भागी नहीं होगा ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता (Connivance) से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो वह निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दंड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है ; और

(ख) फर्म के संबध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

१६—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दी गयी किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के लिये राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत नहीं किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी ।

नियम बनाने का अधिकार

१७—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है ।

(२) विशेषत : और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) पशुधन अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी अर्हतायें ;

(ख) चिह्न जससे और रीति जिसके अनुसार सांड को अनुमोदित सांड़ के रूप में दागा जायगा ;

(ग) प्राधिकारी जिसे और रीति जिसके अनुसार धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन अपील की जा सकती है ;

(घ) रीति जिसके अनुसार और शर्तें तथा प्रतिबन्ध जिन पर सांड़ धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया जा सकता है ;

(ङ) शर्तें, जिनका पालन करने पर धारा १० के अधीन किसी स्थान में प्रवेश किया जा सकता है ;

(च) पशुधन अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और उनमें दर्ज की जाने वाली सूचना ;

(छ) रीति जिसके अनुसार कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन जांच , अपील की सुनवाई और निस्तारण या अन्य कृत्यों का सम्पादन कर सकता है ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश के तामील करने की रीति ; और

(झ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

उद्देश्य और कारण

पशुओं का सुधार हमारे राज्य की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है । उत्तर प्रदेश के पशुओं की संख्या तो अधिक है किन्तु वे अधिकतर अनुपयोगी और रुद्ध बाढ़ के होते हैं । हमारे बैलों की भारवाहक क्षमता कम है । गायों में प्रजनन शक्ति देर से आती है और बछड़े लम्बी अवधि के बाद पैदा होते हैं; वे दूध भी कम देती हैं । इस वस्तुस्थिति का एक प्रमुख कारण अच्छे सांड़ों का अभाव है । इस समस्या को हल करने के लिये यह प्रस्ताव है कि बेकार सांड़ों को बधिया किया जाय और अभिजनन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अच्छे सांड़ों की व्यवस्था की जाय । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है ।

चरणसिंह,
कृषि मंत्री ।

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार, विधेयक, १९६३ के सम्बन्ध में वित्तीय विवरण-पत्र का ज्ञापन

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ के अधीन खण्ड ६ में अनुमोदित सांड़ के रूप में प्रमाणित किये जाने के प्रतीक स्वरूप नियत चिन्ह से सभी अनुमोदित सांड़ों को दागने के लिये व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में अन्तर्ग्रस्त व्यय, पशु चिकित्सालयों के लिये प्रदिष्ट वर्तमान प्रासंगिक (Contingency) व्यय से पूरा किया जायगा और इस प्रयोजन के लिये कोई अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता न होगी।

२—विधेयक में राज्य सरकार द्वारा पशुधन अधिकारियों की नियुक्ति के लिये व्यवस्था की गयी है, किन्तु उक्त प्रयोजन के लिये कोई नयी नियुक्तियां नहीं की जायेगी और विभाग के वर्तमान अधिकारी, अधिनियम के प्रयोजन के लिये पशुधन अधिकारी नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे और इस प्रकार इसके कारण कोई अतिरिक्त व्यय न होगा।

चरणसिंह,
कृषि मंत्री।

विधान सभा

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ के ऐसे उपबन्धों को स्पष्ट किया गया है जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है। खंड १७ में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह सामान्यतया इस विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए और विशेषतया उसके उपखंड (२) में दी गयी कतिपय बातों के लिए नियम बनाये । ये नियम विधेयक में, जैसा कि वह विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए, उसमें उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त बनाये जायेंगे। विधान मंडल को इन नियमों का परीक्षण और उनमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि उक्त खंड के उपखंड (३) में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे समस्त नियम विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करना चाहे।

उपर्युक्त व्यापक खंड के अतिरिक्त, विधेयक के अन्य खंडों में प्रतिनिहित विधायन की अलग-अलग प्रस्थापनायें हैं और उन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है :—

खंड १ (२)— राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांकों को विज्ञापित करे।

खंड ४ (१)— राज्य सरकार को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि किस क्षेत्र के लिए सांडों की कौन-सी नस्ल या कौन-सा वर्ग उपर्युक्त होगा।

खंड ६— राज्य सरकार को ऐसा चिह्न नियत करने का अधिकार देता है जिससे अनुमोदित सांड़ के रूप में प्रमाणित सांड़ दागा जायगा।

खंड ७(२) क— राज्य सरकार को, उस अधिकारी को जिसे और वह रीति जिसके अनुसार खंड ७(१) के अधीन पशुधन अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति अपील प्रस्तुत कर सके, नियत करने का अधिकार देता है।

खंड ८(१) — राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार देता है जिसके अनुसार पशुधन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगा कि कोई सांड़ ज्ञात व्यक्ति द्वारा पाला नहीं गया है।

खंड ८(३)— राज्य सरकार को ऐसी रीति के संबंध में जिसके अनुसार और वे शर्तें तथा प्रतिबन्ध जिन पर ज्ञात व्यक्ति द्वारा पाला न गया सांड़ पशुधन अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया जायगा, नियम बनाने का अधिकार देता है।

खंड १०— राज्य सरकार को ऐसी शर्तें नियत करने का अधिकार देता है जिनके अधीन रहते हुए कोई अधिकारी सांड़ का निरीक्षण करने के लिए किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि सांड़ पाला जा रहा है।

खंड ११— राज्य सरकार को ऐसे रजिस्टर नियत करने का अधिकार देता है जो पशुधन अधिकारी द्वारा या उसके अनुरोध से रखे जायेंगे और इस प्रकार रखे गये रजिस्टरों में सांड़ों का निरीक्षण व बधिया करने, उनके प्रमाणीकरण और उन्हें दागने के ब्योरे के अतिरिक्त किसी अन्य सूचना की प्रविष्टि भी नियत करने का अधिकार देता है।

चरणसिंह,
कृषि मंत्री।

नत्थी 'ढ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३९४ पर)

प्रश्न	उत्तर
१०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पत्र सं० १८७४/४—सी०—२३ पी०डब्ल्यू०ए०—५४७-सी-५७, मई, १९६० में श्री कृष्ण कान्त घोष, सहायक सचिव ने एक पत्र के उत्तर में स्वीकार किया था कि सरकार गोंडा जिले में तुलसीपुर-हरैया सड़क का निर्माण सी० सी० ट्रैक का विचार कर रही है, परन्तु अभी तक यह कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार क्या इस कार्य को तराई क्षेत्र विकास हेतु तुरंत आरम्भ करेगी ?	जी हां । इस सड़क को योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और निर्माण-कार्य आरम्भ करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

गिरधारीलाल,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

नत्थी 'ण'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३९४ पर)

प्रश्न

२३--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पुर्नव्यवस्था योजना में सन् १९५४ से अब तक कितने ऐसे प्रसार अध्यापक हैं जिनका वेतन अभी तक नहीं दिया गया जबकि वे इस विभाग के सेवा कार्य से मुक्त हो गये हैं। यदि वेतन नहीं दिया गया तो क्यों, कितने प्रसार अध्यापक ऐसे हैं और क्यों, जो अब तक ससपेंड हैं। उनके लिये सरकार क्या कर रही है ?

उत्तर

२३--१२ सेवा-मुक्त अध्यापक ऐसे हैं जिनका वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। इनमें से कुछ का वेतन निर्धारण किया जा रहा है, कुछ के बारे में आवश्यक कागजात की जांच की जा रही है और उनमें जो कमी है उसकी पूर्ति के सिलसिले में कार्यवाही हो रही है तथा कुछ अध्यापकों के अवशेष वेतन के क्लेमों की जांच महालेखापाल कर रहे हैं।

२ अध्यापक निलम्बित हैं जिनमें से एक पर दफा ३७७/२ का मुकदमा कायम है और उन्हें Suspension Allowance दिया जा रहा है। दूसरे अध्यापक को बिना किसी प्रार्थना-पत्र के अनुपस्थित रहने के कारण निलम्बित किया गया था। उन्हें पुनः कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। उनका कोई पता नहीं है।

जुगल किशोर,
शिक्षा मंत्री।

अवशेष वेतन के प्रकरण

क्रम-सं०	प्रसाराध्यापक का नाम व जिला	विवरण
१	श्री मुलायम सिंह, जालौन ..	.. श्री मुलायम सिंह ने इस विभाग से त्याग-पत्र दे दिया है। उनका १ मार्च, १९५६ तथा २ मार्च, १९५६—२ दिन का वेतन अवशेष है जिसकी स्वीकृति शासन से मांगी गई है। स्वीकृति आने पर भुगतान कर दिया जायगा।
२	श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई, टेहरी-गढ़वाल	.. श्री विश्नोई अगस्त, १९६० में इस विभाग को त्याग-पत्र देकर चले गये थे। मार्च, १९६० में वे चौबटिया से प्रत्यावर्तन होकर इस जिले में प्रसार निदेशक के पद पर आये थे। उन्हें भूत वेतन १२० रुपये प्रति माह की दर से दिया गया था। उनका वेतन निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात् वेतन के अन्तर का भुगतान कर दिया जायगा।
३	श्री शिव बहादुर सिंह, रायबरेली	.. श्री शिव बहादुर सिंह का वेतन दिनांक तक १ मार्च, १९५६ से १२ अप्रैल, १९५६

क्रम-सं०	प्रसाराध्यापक का नाम व जिला	विवरण
		सेवा पंजिका तथा अन्य पत्रादि न मिलने के कारण भुगतान नहीं हो सका है ।
४	श्री जगदीशचन्द्र उपमन्यु, मैनपुरी ..	श्री उपमन्यु इस विभाग से दिनांक ६ अक्तूबर, १९५७ को त्याग -पत्र देकर चले गये हैं । उनका २१ दिसम्बर, १९५४ से ३१ दिसम्बर, १९५४ तथा २ फरवरी, १९५५ से ३ मार्च, १९५५ तक का वेतन अवशेष है । उपरोक्त समय में श्री जगदीश चन्द्र उपमन्यु जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे जहां से उनका अवकाश अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है । इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर से पत्र-व्यवहार बराबर जारी है ।
५	श्री शिक्षान सिंह तथा बाबूराम शर्मा, मेरठ ..	श्री शिदान सिंह तथा बाबू राम शर्मा को माह अगस्त, १९६१ का १७ दिन का वेतन नहीं दिया जा सका है । जिसका कारण यह है कि इन दोनों प्रसाराध्यापकों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में कृषि इंन्सपेक्टर के पद पर हुई थी । दोनों ने इस जिले से कार्य से मुक्ति होने हेतु अपने-अपने प्रार्थना-पत्र दिये तथा कार्यभार से मुक्त कर दिये गये हैं । इन दोनों प्रसाराध्यापकों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र उप शिक्षानिदेशक, मेरठ को भेजे जा चुके हैं । अभी त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । कार्यवाही बराबर जारी है ।
६	श्री रघुवीर सिंह, मुजफ्फरनगर ..	श्री रघुवीर सिंह ने इस विभाग से त्याग पत्र दे दिया है । श्री रघुवीर सिंह मार्केटिंग विभाग की सेवाओं से Retrenched थे । मार्केटिंग विभाग के बार-बार स्मरण-पत्र देने के उपरान्त भी इनकी सेवा पंजिका प्राप्त न होने के कारण इनका वेतन निर्धारित नहीं हो सका है ।
७	श्री रामनरेश तिवारी तथा राम किशोर गप्ता, जौनपुर । ..	१—श्री रामनरेश तिवारी का २ माह का वेतन नहीं दिया गया है क्योंकि वह १४ दिन के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर २० दिन के आकस्मिक अवकाश तथा १२ दिन विद्यालय से बिना किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहे,

क्रम-सं०	प्रसाराध्यपक का नाम व जिला	विवरण
		तथा इनके चार्ज में २५४.५८ न० पै० के मूल की वस्तुओं की कमी थी, उक्त प्रसाराध्यापक को लिखा गया कि उक्त धन जमा कर दें तभी उनको वेतन भुगतान किया जा सकता है, परन्तु अब तक श्री राम नरेश तिवारी ने धन जमा नहीं किया इस कारण उनका अवशेष वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है।
		२—श्री राम किशोर गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक १३ सितम्बर, १९६१ को हो गया। प्रसाराध्यापक ने अपनी बीमारी की सूचना अथवा अवकाश लेने हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। अब श्री गुप्ता की स्त्री ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि मेरे पति अत्यधिक बीमारी के कारण प्रार्थना-पत्र अवकाश की स्वीकृति के लिये प्रेषित न कर सके तथा वेतन दे दिया जाय। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के पश्चात् उक्त प्रसाराध्यापक का बकाया वेतन उनके उत्तराधिकारी को दे दिया जायगा।
८	श्री इन्द्रपाल सिंह, अलीगढ़ ..	इनकी अवशेष वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं हो सका है, उनका बिल बनाकर सरकार को भेज दिया गया था और राजाज्ञा संख्या डी-३१६-१५-१६००-१८—६१, दिनांक ३१ मई, १९६१ द्वारा महासंख्यानक, इलाहाबाद के पास आया है, उसके आते ही तुरन्त भुगतान कर दिया जायगा।
९	श्री नरेन्द्र चन्द्र भारद्वाज, बदायूं ..	यह १ मई, १९५७ से २९ जनवरी, १९५८ की अवधि में कई बार अनियमित रूप से बिना प्रार्थना-पत्र के अनुपस्थित रहे और २९ जनवरी, १९५८ के उपरान्त उन्होंने बिना किसी प्रकार की सूचना दिये कार्य करना समाप्त कर दिया, इस कारण उनका वेतन भुगतान नहीं हो सका। यद्यपि इस विषय पर निरन्तर पत्र-व्यवहार होता रहा है। श्री भारद्वाज को लिखा गया है कि वह अवकाश प्रार्थना-पत्र भेजें ताकि उनका वेतन भुगतान कर दिया जाय किन्तु अभी तक उनसे कोई सूचना नहीं मिली।

क्रम-सं०	प्रसाराध्यापक का नाम व जिला		विवरण
१०	लखीमपुर खीरी	..	एक प्रसाराध्यापक का वेतन १८ दिसम्बर, १९६० से १२ जुलाई, १९६१ तक ९ सितम्बर, १९६१ से ३ अक्तूबर, १९६१ तक नहीं दिया गया है। वेतन भुगतान न होने का कारण यह है कि प्रसाराध्यापक जो उक्त तिथियों में मेडिकल अवकाश पर रहे तथा उन्होंने Fitness Certificate Medical Certificate बार-बार लिखने पर भी अब तक नहीं जमा किया है।
११	श्री जी० पी० पाण्डेय, प्रतापगढ़	..	श्री जी० पी० पाण्डेय ने २ मई, १९५८ को इस विभाग से त्याग-पत्र दे दिया है। इनका १ व २ मई, १९५८ का वेतन रुपया ६.०४ न० पै० महासंख्यानक, उत्तर प्रदेश को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। स्वीकृति आने पर भुगतान कर दिया जायगा।
	श्री एस० एस० लाल, प्रतापगढ़	..	श्री एस० एस० लाल १८ अगस्त, १९५८ को इस विभाग को त्याग-पत्र देकर चले गये। इनका १ अगस्त से १८ अगस्त, १९५८ का वेतन बाकी है। रुपये ९१.७४ न० पै० का बिल महा-संख्यानक की स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।
	श्री जे० पी० तिवारी, प्रतापगढ़	..	श्री जे० पी० तिवारी ने ७ नवम्बर, १९५८ को त्याग-पत्र दे दिया था। इनका रुपया १७२.२७ न० पै० का बिल महा-संख्यानक, उत्तर प्रदेश को भुगतान हेतु भेजा गया है।
१२	श्री त्रिवेनी सहाय शुक्ल, बहराइच	..	श्री त्रिवेनी सहाय शुक्ल, प्रसाराध्यापक का वेतन माह, जून व जुलाई, १९५७ का भुगतान अवशेष है, जिसके लिये कार्य-वाही हो रही है, प्राप्त होते ही भुगतान किया जायगा।
१३	श्री रघुवंशी, जालौन, उरई	..	बिना किसी प्रार्थना-पत्र के अधिक काल तक अनुपस्थित रहने के कारण श्री रघुवंशी १० फरवरी, १९५७ से निलम्बित किये गये थे, उन्हें पुनः २१ फरवरी, १९६१ से कार्य करने की अनमति दी गई थी। परन्तु उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया तथा उनका कोई पता नहीं है।
१४	श्री बलराम पांडेय, बलिया	..	श्री बलराम पांडेय पर ३७७/२ दफा का मुकदमा कायम है, उन्हें ससपेंशन एलाउन्स दिया जा रहा है।